

Report  
of the

Joint Committee Constituted by  
Hon'ble NGT

In reference to

Original Application

No.143/2025(CZ); Rajendra Kumar  
& Ors. V/s Union of India & Ors.

**Members of the Joint Committee: -**

- 1. Shri Vijay Shankar Pandey, Deputy Conservator of Forest (DFO), Nagaur**
- 2. Miss Divya Soni, Sub Divisional Officer, Nawa, District: - Didwana-Kuchaman.**
- 3. Shri Rajkumar Meena, Regional Officer, RSPCB, Nagaur**

**INDEX**

<b>Sr.No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Page No.</b>
<b>1.</b>	<b>Report of Joint Committee</b>	3-16
<b>2.</b>	<b>Annexure C-1</b> Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal order dated 15-10-2025	17-19
<b>3.</b>	<b>Annexure C-2</b> Nomination of Officials from Concerning Departments	20-24
<b>4.</b>	<b>Annexure C-3</b> Details of attendees in meeting	25
<b>5.</b>	<b>Annexure C-4</b> Copy of the minutes of Board Meeting submitted by M/s Sambhar Salt Limited	26-28
<b>6.</b>	<b>Annexure C-5</b> Documents regarding lease agreement/ MOU between M/s Sambhar Salt Limited & M/s SJVN Green Energy Limited	29-36
<b>7.</b>	<b>Annexure C-6</b> Copy of letter written to SDM, Nawa dated 16/10/2023 by M/s Sambhar Salt Limited	37-39
<b>8.</b>	<b>Annexure C-7</b> Copy of Mauka Report prepared by Patwari	40
<b>9.</b>	<b>Annexure C-8</b> Copy of RSPCB Office Order dated 31-05-2016 and Department of Environment Notification dated 26-05- 2016	41-57
<b>10.</b>	<b>Annexure C-9</b> Copies of the Court documents submitted by Revenue Department	58-149

**Factual report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal Central Zone Bench, Bhopal order dated 15-10-2025 in the matter of OA 143/2025 (CZ), Rajendra Kumar & Ors. V/s Union of India & Ors.**

Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal vide order dated 15-10-2025 issued following order/instructions in the matter of OA 143/2025 (CZ) of Rajendra Kumar & Ors V/s Union of India & Ors: -

- "1. Issue raised in this application is indiscriminate tree felling including indigenous species such as Neem, Babul, Rohida, and Khejri that the state tree of Rajasthan. This loss of Forest cover has grave ecological consequences. These trees not only prevented soil erosion and safeguarded water resources but also provided critical habitat for numerous species of birds, wild animals, and aquatic fauna. Their destruction has displaced wildlife, forcing animals to stray into nearby villages in search of food and water, creating both ecological and public safety concerns.*
- 2. Learned Counsel for the applicant Ms. Aastha Kachawa has further contended that the unchecked destruction of green cover and land conversion in such a fragile, landscape not only threatens biodiversity and ecological balance but also undermines the conservation value of a wetland site recognized under international conventions. Unless restrained, the ongoing activities will result in irreversible environmental damage.*
- 6. We also deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*
- I. One Representative from District Collector, Didwana-Kuchaman (Rajasthan)*
  - II. One representative from the DFO, Didwana (Rajasthan)*
  - III. One representative from the Rajasthan Wetland Authority (Rajasthan)*
  - IV. One representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board (Rajasthan),*
- 7. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."*

Copy of Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal order dated 15-10-2025 is enclosed at **Annexure-C-1**.

In compliance of above Hon'ble Tribunal order dated 15-10-2025, the following officials have been nominated as members of Joint Committee by respective departments: -

1. Shri Vijay Shankar Pandey, Deputy Conservator of Forest (DFO), Nagaur (One representative from the Rajasthan Wetland Authority (Rajasthan)).
2. Shri Vijay Shankar Pandey, Deputy Conservator of Forest (DFO), Nagaur (One representative from the DFO, Didwana (Rajasthan))
3. Miss Divya Soni, Sub Divisional Officer, Nawa, District: - Didwana-Kuchaman. (One Representative from District Collector, Didwana-Kuchaman (Rajasthan)).
4. Shri Rajkumar Meena, Regional Officer, RSPCB, Nagaur (One representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board (Rajasthan)).

Copies of the nomination letters are enclosed at **Annexure-C-2**.

**Meeting and Field Visit by the Joint Committee: -**

Regular discussions were held among Joint Committee members in the reference to Original Application before Hon'ble National Green Tribunal. A meeting of Joint Committee was held on 09-12-2025 at 1:30 PM in chamber of SDM, Nawa, District: - Didwana-Kuchaman to ask the information regarding the status of land acquisition details, status of NOCs from concerning departments for cutting trees and status of NOCs for setup of solar plant as to examine the facts of the matter.

During meeting representative of M/s Sambar Salt Ltd. and M/s SJVN Green Energy Ltd were also present. Joint Committee resolved to summon the Tehsildar/Girdawar/Patwari of concerning area during field visit. Details of attendees in meeting is enclosed at **Annexure- C-3**.

Details of points discussed in the joint committee meeting are as follows –

- A. The representatives from the M/s Sambhar Salt Limited were also directed to submit the minutes of the Board Meeting of M/s Sambhar Salt Limited in which it was decided to sign MoU with M/s SJVN Green Energy Limited for development of solar power plant. Copy of the minutes of Board Meeting submitted by M/s Sambhar Salt Limited is enclosed at **Annexure- C-4**.

- B. The representatives from the M/s Sambhar Salt Limited were also directed to submit the report of scientific study conducted by Indian Institute of Science, Bangalore to establish, if there is any impact of installation of the solar plant on the environment and other factors on the wetland site at Sambhar Lake as mentioned in Board meeting minutes. However, despite specific directions, the said scientific study report was not submitted before the Joint Committee.
- C. The representatives from the M/s Sambhar Salt Limited were directed to submit the documents regarding lease agreement/ MOU between M/s Sambhar Salt Limited & M/s SJVN Green Energy Limited which is enclosed at **Annexure- C-5**.

After conclusion of the meeting, the Joint Committee, along with the complainant who was also present during the site inspection, conducted a field visit of the proposed solar plant site. The observations of the Committee during the field visit are as under: -

1. The area under reference is Khasra No. 1174 (Approx. 156 Hectares) of Nawa City, District Didwana-Kuchaman.
2. During the field visit, it was found that M/s SJVN Green Energy Limited has carried out the extensive land clearing, tree felling, land levelling and fencing of the Khasra no. 1174. Unit has also constructed a boundary wall to a closed premises for storage of it's vehicles/materials. Levelling of the land was underway with the help of tractors.
3. The representatives from the M/s Sambhar Salt Limited have submitted the Letter written by them to SDM, Nawa on 16/10/2023 regarding intimation of removal of Juli Flora and tender document issued by them for ground clearance and Juli Flora removal. Copy of letter written to SDM, Nawa dated 16/10/2023 by M/s Sambhar Salt Limited is enclosed at **Annexure - C-6**. As per letter they have only cleared the Juli Flora plant species from Khasra No. 1174 and have left all the remaining species of trees as they were. The letter also describes Khasra No. 1174 as "khejri jangal". However, the site visit revealed indiscriminate clearing inconsistent with the claim that exclusively *Juli flora* was removed, as detailed in subsequent observations.

4. Satellite imagery of Khasra No. 1174 evidences a green area in the year 2023, with a visibly altered and cleared condition as evident during today's inspection (09/12/2025).



(Both Images are from 2023. Image 1 showing the marking of area under reference i.e. Khasra No. 1174 and Image 2 is showing the green cover in that Khasra)

5. The representatives of M/s Sambhar Salt Limited were queried regarding the specific rationale for selecting Khasra No. 1174—an area containing an

existing green belt, for installation of the solar plant by M/s SJVN Green Energy Limited, particularly when extensive land under the ownership and control of M/s Sambhar Salt Limited was available for such development. However, no comments, justification, supporting evidence, or documents were furnished by the representatives of either M/s Sambhar Salt Limited or M/s SJVN Green Energy Limited in response to this query.

6. During the field visit, various stumps (i.e., remaining cut trunks) of the trees of Khejri, Neem & Jaal were found on site. Further, the Joint Committee observed various pits in the ground indicating towards the facts of removal of various trees along with roots. It is relevant to record that, in several pits, freshly emerging saplings from residual rootstock were found to be of Neem and Khejri, thereby conclusively establishing that the uprooted species were not limited to Juli flora. These observations therefore contradict any assertion that only Juli flora was removed and demonstrate that tree felling and uprooting extended to indigenous and protected species as well. Photographs of site & tree stumps are enclosed.
7. Representatives of M/s Sambhar Salt Limited informed that Khasra No. 1174 belong to M/s Sambhar Salt Limited and there is no Katani rasta (road) and forest land in said Khasra. During the field visit, Patwari informed that a Katani rasta is also present leading to Shri Jaleshwar Mahadev Temple. Copy of Mauka Report prepared by Patwari is enclosed at **Annexure – C-7**.
8. Further, the location of cleared site is in close vicinity to Sambhar Wetland which is a Ramsar site. Pending notification of the wetland boundary and its catchment area under Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017, the legality of activities could not be ascertained. However, the site being close the Sambhar lake, the impact over wetland and its ecology can be determined by detailed scientific study.

**Compliance of other statutory regulations: -**

- a) As per the Office Order No. F.12(PSC-1)/RSPCB/PSC/360-397 dated 31-05-2016 of the Rajasthan State Pollution Control Board, Solar plant is covered under white category. As per Department of Environment notification dated 26-05-2016 *“Any industry or activity or operation or process which are non-*

*polluting and categorized as white category in part-IV of Schedule IV shall not be required to obtain Consent to Operate and Consent to Establish, but shall have to intimate the State Board prior to commissioning of industry or activity or operation or process".* Copy of RSPCB Office Order dated 31-05-2016 and Department of Environment Notification dated 26-05-2016 are enclosed as **Annexure-C-8**.

- b) As the land does not falls under the "Forest land". Hence the provisions of the Rajasthan Forest Act'1953 are not applicable, as this land is khatedari land and non-forest land.
- c) In the meeting, Revenue Department informed that M/s Sambhar Salt Limited has obtained 02 Stay orders from Civil Courts of Kuchaman City (District – Didwana – Kuchaman) and Sambhar Lake (District – Jaipur) on the land of Khasra no. 1174. Copies of the Court documents submitted by Revenue Department are enclosed at **Annexure-C-9**.
- d) In the meeting, M/s Sambhar Salt Limited informed that they have submitted a letter for informing removal of Juli Flora from Khasra no. 1174, Village & Tehsil – Nawa, District – Didwana – Kuchaman. However, M/s Sambhar Salt Limited has not obtained any N.O.C. from the department regarding tree felling including Juli Flora at Khasra no. 1174.
- e) The area of Khasra no. 1174 does not falls under the Sambhar Lake wetland complex as informed by DCF, Nagaur.
- f) As per the administration, no wild life encounters were observed near aforesaid site in previous few years.

### **Conclusion –**

After conducting inspection of aforesaid area by the Joint Committee, it has been observed that M/s Sambhar Salt Limited has removed trees other than Juli Flora such as Khejari, Neem & Jaal from the aforesaid site without obtaining prior permission from the revenue department. It is also submitted that Solar Plants falls under White Category as per the Office Order No. F.12(PSC-1)/RSPCB/PSC/360-397 dated 31-05-2016 of the Rajasthan State Pollution Control Board, hence having lower risks of Pollution. As per Forest Department, the aforesaid area does not fall under Forest Lands. For the assessment of the

ecological effects of the aforesaid solar plant site on near-by environment & wildlife, an extensive scientific study may be performed by a qualified institution, if deemed fit by Hon'ble Court.





(Rajkumar Meena)  
Regional Officer, RSPCB,  
Nagaur







(Divya Soni)  
SDM, Nawa








(Vijay Shankar Pandey)  
DCF, Nagaur



















Item No.05

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No.143/2025(CZ)**

Rajendra Kumar & Ors.

Applicant(s)

Vs.

Union of India & Ors.

Respondent(s)

**Date of Hearing: 15.10.2025**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Ms. Aastha Kachawa, Adv.

For Respondent(s):

**ORDER**

1. Issue raised in this application is indiscriminate tree felling including indigenous species such as Neem, Babul, Rohida, and Khejri that the state tree of Rajasthan. This loss of Forest cover has grave ecological consequences. These trees not only prevented soil erosion and safeguarded water resources but also provided critical habitat for numerous species of birds, wild animals, and aquatic fauna. Their destruction has displaced wildlife, forcing animals to stray into nearby villages in search of food and water, creating both ecological and public safety concerns.
2. Learned Counsel for the applicant Ms. Aastha Kachawa has further contended that the unchecked destruction of green cover and land conversion in such a fragile, landscape not only threatens biodiversity

and ecological balance but also undermines the conservation value of a wetland site recognized under international conventions. Unless restrained, the ongoing activities will result in irreversible environmental damage.

3. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the Respondents. Returnable within four weeks.
4. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
5. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
6. We also deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:
  - (i) One representative from District Collector, Didwana Kuchaman (Rajasthan)
  - (ii) One representative from the DFO, Didwana (Rajasthan)
  - (iii) One representative from the Rajasthan Wetland Authority (Rajasthan)
  - (iv) One representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board (Rajasthan)
7. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
8. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the Committee and the Respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an

affidavit that notices and copy of the application have been served upon the Committee and Respondents.

9. The report in the matter be filed by the Committee by email at [ngtczbbho-mp@gov.in](mailto:ngtczbbho-mp@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **15<sup>th</sup> December,2025.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Sudhir Kumar Chaturvedi, EM**

15<sup>th</sup> October, 2025,  
Original Application No.143/2025(CZ)  
K



## Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141- 2716804, 2716800 e-mail :[member-secretary@rpcb.nic.in](mailto:member-secretary@rpcb.nic.in)

Helpline No.: 0141-2716877

No. F.10 (795) RPCB/Legal/NGT/2025/1145-1148

Date: 06/11/2025

Regional Officer,  
Regional Office,  
Rajasthan State Pollution Control Board,  
Nagaur  
Mobile No.: 9413447806  
Email: [rорcb.nagaur@gmail.com](mailto:rорcb.nagaur@gmail.com)

Subject:- Nomination of Member as well as Nodal Officer to Joint Committee in compliance with the Order dated 15.10.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal in O.A. No. 143/2025 (CZ), Rajendra Kumar & Ors V/s Union of India & Ors.

Sir,

This is with reference to the subject cited above. The Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, vide order dated 15.10.2025 in Original Application No. 143/2025 (CZ), has constituted a Joint Committee and directed as follows:

**"6. We also deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:**

- (i) One representative from District Collector, Didwana Kuchaman (Rajasthan)
- (ii) One representative from the DFO, Didwana (Rajasthan)
- (iii) One representative from the Rajasthan Wetland Authority (Rajasthan)
- (iv) One representative from the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board (Rajasthan)

**7. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."**

In compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, you are hereby appointed as the Member as well as Nodal Officer representing the Rajasthan State Pollution Control Board in the aforesaid Joint Committee. You are directed to coordinate with all concerned authorities and ensure timely submission of the report in accordance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

A copy of the Tribunal's order dated 15.10.2025 is enclosed herewith for your ready reference and necessary action in the matter.

Encls-As above.

(Sharda Pratap Singh)  
Member Secretary

Copy to following for information and necessary action:-

1. District Collector, Didwana –Kuchaman, Rajasthan
2. Member Secretary, Rajasthan Wetland Authority, Jaipur
3. District Forest Officer , Forest Department, Didwana –Kuchaman, Rajasthan

**Signature valid**



Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.05 15:30:29 IST  
Reason: Approved

ole



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT & CLIMATE CHANGE**

No. F.12(51)ENV/2025-01277

Jaipur, Dated: 11.11.2025

**ORDER**

**Subject:** Original Application No. 143/2025 (CZ), *Rajendra Kumar & Ors. Vs. Union of India & Ors.* — pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone, Bhopal.

In compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, contained in its Order dated **15.10.2025** in the aforesaid Original Application, the Hon'ble Tribunal has constituted a **Joint Committee** comprising representatives from the following departments/agencies:

1. District Collector, Didwana–Kuchaman
2. Divisional Forest Officer (DFO), Didwana
3. Rajasthan State Wetland Authority
4. Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB)

The Committee has been directed to visit the site and submit a factual and action taken report within six weeks, with the Rajasthan State Pollution Control Board designated as the nodal agency for coordination and logistic support.

The matter pertains to the alleged large-scale tree felling, land leveling, and ecological disturbance in and around Sambhar Lake Wetland Region, Nawa Village, District Didwana–Kuchaman, for the establishment of a Solar Power Project by SJVN Green Energy Ltd. in association with Bridge & Roof Co. (India) Ltd., purportedly without obtaining requisite environmental and forest clearances.

In compliance with the directions of the Hon'ble NGT, the **Deputy Conservator of Forests (DCF), Nagaur** is hereby **nominated as the representative of the Rajasthan State Wetland Authority** in the Joint Committee constituted by the Hon'ble NGT.

The said officer shall also act as the **Officer-in-Charge** in the above-mentioned Original Application and **file the reply on behalf of the Member Secretary, Rajasthan State Wetland Authority, Jaipur (Res. 3)**.

Further, **Mr. Shoeb Hasan Khan, Standing Counsel for the State of Rajasthan, NGT, Bhopal**, is hereby **appointed as Advocate** in the said Original Application for representation, preparation, and filing of the reply before the Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal.

Validity unknown

Special Secretary (Environment)  
Digitally signed by B. J. Joy

Designation: Special Secretary To  
Government

Date: 2025.11.12 16:27:23 IST

Reason: Approved

21

Address: Room No. 8325, SSO Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Government Secretariat, Jaipur. Phone: 0141-2228501 Fax: 0141-2228502  
E-mail :- [ENV.DOIT@RAJASTHAN.GOV.IN](mailto:ENV.DOIT@RAJASTHAN.GOV.IN) , [env\\_raj@yahoo.co.in](mailto:env_raj@yahoo.co.in)



**Copy to:**

1. Member Secretary, Rajasthan State Wetland Authority, Jaipur.
2. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
3. District Collector, Didwana–Kuchaman.
4. Divisional Forest Officer, Didwana.
5. Deputy Conservator of Forests, Nagaur — for information and necessary action in coordination with the Standing Counsel, NGT, Bhopal.
6. Mr. Shoeb Hasan Khan, Standing Counsel for State of Rajasthan, NGT, Bhopal.
7. Guard File.

**Special Secretary to Government**

**Validity unknown**

---

Address: Room No. 8325, SSO Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Government Secretariat, Jaipur Phone: 0141-222851 Fax: 0141-222852  
E-mail :- [ENV.DOIT@RAJASTHAN.GOV.IN](mailto:ENV.DOIT@RAJASTHAN.GOV.IN) , [env\\_raj@yahoo.co.in](mailto:env_raj@yahoo.co.in)

Digitally signed by B. J. Joy

Designation: Special Secretary To  
Government

Date: 2025.11.12 16:27:23 IST

Reason: Approved

22

## कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना-कुचामन (राज.)

Room No. 12, Collectorate Didwana -Kuchaman

E-mail : vidhi.dm-dk@rajasthan.gov.on

क्रमांक : एफ.4( ) ( )विधि/प्रफॉर्मा/2025/

दिनांक : नवम्बर 2025

प्रेषिति:-

उपखण्ड अधिकारी  
नावां।

विषय:- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के Original Application  
No. 143\2025(CZ) के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के प्रकरण सं.  
Original Application No. 143\2025 अनवान राजेन्द्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में  
जिला कलेक्टर महोदय को पक्षकार बनाया जाकर नोटिस प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण पर्यावरण से संबंधित  
होकर उपखण्ड क्षेत्र नावां के क्षेत्राधिकार में है व प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.10.2025 को पारित  
आदेश में इस मुद्दे पर एक संयुक्त समिति से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

1. जिला कलेक्टर, डीडवाना कुचामन (राजस्थान) से एक प्रतिनिधि
2. डीडवाना (राजस्थान) के डीएफओ से एक प्रतिनिधि
3. राजस्थान वेटलैंड प्राधिकरण (राजस्थान) से एक प्रतिनिधि
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (राजस्थान) का एक प्रतिनिधि

समिति को निर्देशित किया गया है कि वह घटनास्थल का दौरा करे और छह सप्ताह के भीतर  
तथ्यात्मक एवं की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समन्वय एवं रसद सहायता  
के लिए नोडल एजेंसी होगी।

अतः उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर महोदय डीडवाना-कुचामन की ओर से आपको समिति  
सदस्य(प्रतिनिधि)/प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण  
बोर्ड से समन्वय एवं रसद सहायता के लिए नोडल एजेंसी व समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित  
कर पारित आदेश के क्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही की  
प्रगति रिपोर्ट से कार्यालय हाजा को अवगत करवाना सुनिश्चित करावें।

(मोहन लाल खटनावलिया)

प्रभारी अधिकारी(विधि)

एवं अति.जिला कलेक्टर

(मुख्यालय)डीडवाना-कुचामन

दिनांक : नवम्बर 2025

क्रमांक : सम/2025/

प्रतिलिपी-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (राजस्थान)।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान वेटलैंड ऑथोरिटी राजस्थान, जयपुर
3. जिला वन अधिकारी, डीडवाना-कुचामन।

प्रभारी अधिकारी(विधि)

एवं अति.जिला कलेक्टर

(मुख्यालय)डीडवाना-कुचामन

Signature Not Verified

Digitally Signed by MOHAN LAL  
KHATNAVALIADesignation : Additional Collector  
And Additional District Magistrate

Date :14-11-2025 05:26:15

RajKaj Ref No.:

18846074

eSign DSC

## कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-294056, ईमेल: [dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in)क्रमांक : एफ ( )विधि/उवस/2025-26/ 9884  
प्रेषित: -

दिनांक : 01-12-25

क्षेत्रीय अधिकारी,  
राजस्थान राज्य प्रदूषण  
नियंत्रण मण्डल, नागौर

विषय:- Regarding compliance of the Hon ble NGT (CZ) order in the matter of OA 143/2025 (Rajendra Kumar& Ors. Vs Union of India &Ors) के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2981 दिनांक 14.11.2025 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की (छायां प्रति) संलग्न कर लेख है कि Regarding compliance of the Hon ble NGT (CZ) order in the matter of OA 143/2025 (Rajendra Kumar& Ors. Vs Union of India के संबंध में प्रकरण प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण में राजस्थान वेटलैण्ड प्राधिकरण एवं वन विभाग के प्रतिनिधि निम्नानुसार है:-

नाम: विजय शंकर पाण्डेय

पद: उप वन संरक्षक, नागौर

दिशा निर्देशानुसार माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में गठित समिति द्वारा निरीक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर ताकि प्रगति रिपोर्ट जवाबदावा माननीय न्यायालय के समस्त प्रस्तुत किया जा सकें।

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डेय)  
उप वन संरक्षक  
नागौर

## ATTENDANCE SHEET

CASE VISIT Hon'ble NGT OA no. 143/2025  
Date - 09.12.2025

S. No.	Name	Dept.	Signature
01	Dinesh Soni	SDO Nawan	
02	Rameshwar Lal Goshwal	Tehsildar Nawan	
03	Akanksha Goshwal	ACF, Perbetwar	
04	Vijay Shanker Pandey	DC(CIFS) Nagaur	
05	Tejaswar Mudgal	ARE, RSPCD	
06	PANKAJ KUMAR JAIN	E.O., SSL	
07	SOMNATH ROY	Ad GM (Taw), SSL	
08	MANOJ KR. MITAL	PGM, Se & L	
09	MANOJ KR. SHARMA	Addl. GM, SSL	
10	<u>Dilbag Singh</u>	Chief Manager (P&A)	 09/12/2025
11	Vishal Kumar Gini	F. E. S GEL	

Minutes of 300 <sup>th</sup> Meeting of the Board of Directors of Sambhar Salts Limited held on 28 <sup>th</sup> day of June, 2023 (Wednesday) at Room No. 280 C, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 at 03:20 PM.	
Directors present at the commencement and during the meeting:	Commodore Kamlesh Kumar (Retd.), CMD, SSL (Chairman) Smt. Purna Joshi, Salt Commissioner, GoI Shri Naresh Kumar, Deputy Secretary, MHI, GOI  <b>In Attendance</b> Shri Sandeep K Tak, GGM (F&A) -- Shri Vikas Yadav, CS, HSL
Welcome of the members and commencement of meeting:	The meeting commenced at 03:20 PM. Chairman welcomed all the Board members and after confirming the presence of quorum, Chairman proceeded to take the items of agenda. Quorum was present throughout the meeting.
ITEM No. 300.1 - Confirmation of minutes of 299 <sup>th</sup> Board Meeting held on 28.03.2023.	Board after discussion, confirmed the minutes of 299 <sup>th</sup> meeting of Board of Directors held on 28.03.2023.
ITEM No. 300.2 - Confirmation of minutes of 82 <sup>nd</sup> meeting of Audit Committee of the company held on 28.03.2023.	Board after discussion, confirmed the minutes of 82 <sup>nd</sup> meeting of Audit Committee of the company held on 28.03.2023.
ITEM No. 300.3 - To take note of the indigenous procurement by the company during 01.01.2023 - 31.03.2023.	Board took note of compliance regarding indigenous procurement by the company during the period 01.01.2023 to 31.03.2023.
ITEM No. 300.4 - To consider and review compliances of applicable laws to the company during the period from 01.01.2023 - 31.03.2023.	Board reviewed and took note of compliance of applicable laws to the company during the period 01.01.2023 to 31.03.2023.
ITEM No. 300.5 - To take note of Affirmation of Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management of the Company for FY 2022-23.	Board took note of the same and passed the following resolution:  "RESOLVED THAT affirmation with respect to compliance of "Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management" received from Board members and senior Management of the company for FY 2022-23 be and is hereby noted and taken on record."
ITEM No. 300.6 - To take note of Notice of Disclosure of Interest by the directors for the FY 2023-24.	Board took note of the same and passed the following resolution:  "RESOLVED THAT General Notice of Disclosure of Interest of directors for the Financial Year 2023-24, in Form MBP-1, pursuant to section 184(1) of the Companies Act, 2013, read with Rule 9(1) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, including notice of membership/chairmanship of committees, in compliance of DPE Corporate Governance Guidelines, 2010 and received from the directors as tabled in the meeting be and are hereby taken on record."

<p>ITEM No. 300.19 - Installation of Renewable Energy Projects at SSL, Sambhar Lake:</p> <p>A) Scientific Study from IISC, Bangalore, and</p> <p>B) MoU with SJVN Green Energy Limited.</p>	<p>A. Board was informed that from last 25-30 years there was a regular theft of brine from the Sambhar lake area by private salt producers and local influential peoples which has caused the level of ground water to fall very low. The circumference of the lake is about 103 Kms. It is a difficult task for the company to undertake patrolling of the entire lake area. In view of the above SSL had planned to install Solar Power Plant in the Peripheral (outer) lake area of capacity about 4000 MW, which would definitely help the company to provide green energy, as well as would prove to be one of the effective methods to stop encroachments resulting in arresting theft of brine and saving Ecology &amp; Environment of Sambhar Lake.</p> <p>As a part of this endeavour, SSL had issued Expression of Interest (Eoi) for Installation of 4000 MW Solar Plant at Sambhar Lake in Dec-2021. Hon'ble High Court of Rajasthan took cognizance of this process and after submission of clarification ordered regarding the Expression of Interest (Eoi) that, Company may open the EOIs received in response to the invitation dated 27.11.2021, however the same would create no equity in favour of any party. It is reiterated that under no circumstances any bid would be accepted or contract would be awarded for setting up of solar plant at the site without the leave of the Court.</p> <p>Subsequently, company carried out a scientific study from Scientific Study from IISC, Bangalore to establish, if there is any impact of installation of solar plant on the environment and other factors on the wetland site at Sambhar Lake.</p> <p>Energy and Wetlands Research Group (EWRG), Indian Institute of Science, Bangalore is the top most institute of repute in India in the field of Wetlands, Energy and Environment and their recommendations in relation with Scientific Study at Sambhar will be considered by the various Central / State Government Agencies regarding installation of Solar Plant at Sambhar Lake as well as for conservation of ecology and environment at Sambhar Lake. The recommendations of study will be binding for execution and compliance on the agency finalisation for installation of Solar Power Project at Sambhar Lake. The entire expenses incurred on the scientific study are proposed to be reimbursed by the Agency Finalised for the Installation of Solar Power Plant at Sambhar Lake. A clause related the same will be included in the tender document / agreement/ MoU for 4000 MW Solar Power Project at Sambhar Lake. The institute has submitted its report on 18.03.2023, with complete recommendations and phase wise plan for Installation of Solar Plant. This report from IISc, Bangalore has been submitted in Hon'ble High Court of Rajasthan.</p> <p>After discussion, Board took note of the same and appreciated company's effort in safeguarding ecologically sensitive Sambhar Lake.</p>
---	--



	<p>B. Board was informed that SGEL is a wholly owned subsidiary of SJVN which is major PSU of Power Sector in the country. Utilization of SSL's land by SGEL for development of Renewable Energy Project will go a long way in utilization of assets of HSL/SSL for the overall national interest and contribute towards achievement of renewable energy targets of Govt. of India. This will also improve the financials of both the companies. It is proposed that SSL may enter into MoU with SGEL for Installation of Solar Plant of mutually agreed capacity in phases at the premises of SSL in Rajasthan. -"</p> <p>Informed that Sambhar Salts Limited shall make available the mutually agreed area of Land as found suitable for the development of Solar Power Project by SGEL, for the life of proposed Project subject to the maximum period of 30 years and renewal clause subject to the approval of the Board of SSL. Sambhar Salts Limited shall sign the Right to Use Agreement / Land Use Agreement / any suitable agreement for the identified Land with the SGEL separately for the each phase of the project mentioning the details of the area and project capacity of that phase. Government of Rajasthan vide letter dt. 10.03.2021 has informed that Environment Clearance is not required for Solar Photo Volatic (PV) power project. All other necessary clearances for the project shall be obtained by SGEL. Further the mitigating measures as mentioned in the IISc report is also required to be complied by SGEL.</p> <p>Informed that the minimum rates for deciding the "Charges for Utilization of its Resources" will be minimum Rs.12500 /- Per Acre Per Annum or H-1 rates received in the Tender for Installation of Solar Project issued by SSL in the nearby areas, whichever is higher. These rates will remain unchanged during Two years of the contract and then shall be enhanced thereafter for every year @ minimum 5% per annum of the previous year, i.e. cumulative amount (i.e. Base Rate + 5% enhancement will become the base rate for the following year and so on till the completion of contract period.</p> <p>After detailed discussion, Board considered and allowed to to sign an MOU for the development of Solar Project/Park in Phases by SGEL on the identified land bank of Sambhar Salt Limited as per the Terms and Conditions for the Draft MoU. In first Phase of above MoU, Board allowed to sign the agreement for the development of 100 MW Solar Project with SGEL to commence the installation of Solar Plant immediately. The initial minimum applicable rate for 'Utilization of Resources of SSL' for this MoU of 100 MW Solar Project in first Phase will be Rs. 12500/ Per Acre Per Annum + GST. if the rates received in the future tender for 4000 MW project are higher than Rs. 12500 Per Acre Per Annum, than the difference amount will be paid by SGEL to SSL and if the rates in tender is less, than Rs. 12500 Per Acre Per Annum will be applicable for the entire duration of MoU.</p>
<p>ITEM No. 300.20 - P&amp;A Matter: Proposed - "Hindustan Salts Limited/ Sambhar Salts Limited Policy on Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment At Work Place- (Posh Policy)".</p>	<p>Board was informed that the company is committed towards providing a work environment which ensures that each women employee is treated with dignity and respect the objective is to promote an equitable work culture that is conducive to the growth of women employee and encourages equality in terms of opportunities. The company is committed to take all necessary steps to ensure that it's women employee are not subjected to any form of harassment. In this direction &amp; as per Government Guidelines/ Supreme Court Judgment related to Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment At Work Place (Posh) a brief draft Policy was submitted before the Board.</p> <p>After discussion, Board approved the Hindustan Salts Limited/ Sambhar Salts Limited Policy on Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment At Work Place- (Posh Policy).</p>



**Memorandum of Understanding**

AA 812021

On

**“Ultra-Mega Sambhar Solar Power Project (s)/Park (s) at Sambhar Lake”**

**Between**

**SJVN Green Energy Limited**

**And**

**Sambhar Salts Limited**

1

**THIS Memorandum of Understanding (“MOU”) is made on this 09<sup>th</sup> day of August, 2023 at New Delhi**

**BETWEEN**

**SJVN Green Energy Limited**, a company incorporated under the Companies Act, 2013 and having its Registered Office at SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla, Himachal Pradesh - 171006, India (hereinafter referred to as “**SGEL**” which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successor (s) and permitted assignee (s) of the **First Party**:

**AND**

**Sambhar Salts Limited (A subsidiary of Hindustan Salts Limited)**, a Company incorporated on 30th September 1964 under the Companies Act 1956 with CIN No. UI4220RJ1964GOI001188 having its Registered Office at G-229, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022 (hereinafter referred to as “**SSL**” which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successor(s) and permitted Assignee(s) of the **SECOND PARTY**:

**WHEREAS**

**SJVN Green Energy Limited, A wholly owned subsidiary of SJVN** has been established to work in the verticals of Power Generation from Renewable Sources such as Solar Parks, Wind & Hybrid Projects, Battery Energy Storage System, Assets Creation in Wave, Biomass, Small Hydro (being RE) and Green Hydrogen based business ventures. SGEL is pursuing Renewable Energy Sources towards its commitment to contribute to the reduction of Carbon footprints by expanding its existing portfolio of on-grid Renewable Energy Projects.

SGEL is further interested in development of Renewable Energy Power Projects in various States in the country to contribute towards achievement of renewable energy targets of Govt. Of India.

**AND**

**Sambhar Salts Limited (SSL)** is a major producer of salt in India and has about 57600 acres of land on 99 years lease at Sambhar Lake, Distt. Jaipur, Rajasthan from the Government of India and Government of Rajasthan. The area has potential for Solar Power Generation. SSL intends to use this vast area of unused land for Solar Power Development.



## 1.0 BACKGROUND

- 1.1 SGEL is exploring opportunities to enhance its Renewable Portfolio, in line with the shared vision of SJVN to achieve 5000 MW by 2023, 25000 MW by 2030 and 50000 MW by 2040. Further, SGEL is also looking for opportunities to set up Ultra Mega Solar Power Project(s)/ Park of suitable capacities for the sale of Solar Power to the beneficiary.
- 1.2 Sambhar Salts Limited had approached SJVN with a proposal to set up Ultra Mega Solar Power Project vide letter No.1/CMD/2020/2608 dated 06.02.2021.
- 1.3 Vide above letter, Sambhar Salts Limited has requested SGEL to explore the possibility of installation of the Ultra Mega Solar Power Project at Sambhar Lake for Solar Power Generation. Sambhar Salts Limited will provide encumbrance free land with requisite clearance from the Government of Rajasthan and Government of India/DHI or other statutory bodies, as the case may be, for utilization of land for the installation of Solar Power Project(s) and will get the revenue returns for the use of said land.
- 1.4 SGEL vide its letter No. SJVN/CHQ/DF/Ren/2021-2793 dated 16.02.2021 has conveyed that SGEL is keen on the development of a solar park/project on the said land if the same is rendered by SSL to SGEL, free of encumbrances on mutually agreed rates, terms and conditions etc., utilization of SSL's land on mutually agreed terms by SGEL for development purpose as stated above will go a long way in utilization of assets of HSL/SSL for the overall national interest and improving the financials of both the companies.
- 1.5 SGEL and Sambhar Salts Ltd. further intend to sign an MOU for the development of Solar Project/Park in Phases by SGEL on the identified land bank of Sambhar Salt Limited.
- 1.6 Both the Parties will explore the opportunities and/or carry out discussion on Equity Partnership, Revenue Sharing Mechanism, Roles and Responsibilities etc. with respect to potential collaboration for forming Joint Venture Company (JVC) for development of Solar Power Development on the identified land bank of Sambhar Salt Limited in Sambhar.

## 2.0 SCOPE

- 2.1 This Memorandum provides a framework under which Sambhar Salts Ltd. will enable SGEL to utilize its encumbrance free land suitable for Solar Power Development with requisite clearance from Government of Rajasthan and Government of India/DHI related with the use of land for the stated purpose and will get the returns for the use of land and SGEL shall Conceptualize, Plan, Structure, Implement, Operate and Maintain Solar Power Projects/Park in Phases at appropriate locations in the Land Bank of Sambhar Salts Ltd.

## 3.0 RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

### 3.1 Responsibility of Sambhar Salts Limited

- a) Sambhar Salts Limited shall make available the mutually agreed area of Land as found suitable for the development of Solar Power Project by SGEL, free from all the encumbrances and secure approvals of all the agencies only restricted to permitting the use of land for development of Solar Power Project (s) for the life of proposed Project subject to the maximum period of 30 years from the date of the first acquisition of land towards the installation of Solar Power Project(s) and renewal clause subject to the approval of the appropriate prescribed authority.
- b) Sambhar Salts Limited shall allow SGEL to install/develop Solar Power Projects/Park of appropriate capacity in Phases on the identified land bank of SSL under CPSU Scheme of Govt/SECI/State Agencies, Competitive Bidding Process or any other mode is available from time to time.
- c) Sambhar Salts Limited shall sign the Right to Use Agreement/ Land Use Agreement / any suitable agreement for the identified Land with the SGEL and shall obtain requisite clearance from the State Government of Rajasthan, only restricted to permitting the usage of the Land by SGEL for the proposed Solar Project/Park purposes. All other necessary clearances for the project shall be obtained by SGEL.
- d) Sambhar Salts Limited shall support SGEL in identifying the freshwater resources for the Project and charges for the water required for the project shall be borne by SGEL.
- e) Sambhar Salts Limited shall extend all necessary administrative backhand support, however will not be responsible to SGEL for successful execution, commissioning and O&M of the solar power project. Sambhar Salts Limited shall also support SGEL in Right of Way (ROW) or any other issues in laying the Transmission Line/Underground Cable from Solar Project Boundary till Pooling/Interconnecting Sub Station of State Transmission Utility (STU)/Central Transmission Utility (CTU). The responsibility for successful execution, commissioning and O&M of the solar power project or any other issues in laying the Transmission Line/Underground Cable from Solar Project Boundary till Pooling/Interconnecting Sub Station of State Transmission Utility (STU)/Central Transmission Utility (CTU) will remain with SGEL and SSL will not have liability (financial or any other whatsoever) for execution and completion of such works.

### 3.2 Responsibility of SGEL

- a) SGEL intends to develop solar power projects in Phases on suitable land of SSL. For each phase, SGEL will sign the Right to Use Agreement/Land Use Agreement for the identified land with Sambhar Salts Limited and shall pay Charges for Utilization of its Resource on mutually agreed terms & conditions.
- b) SGEL will Design, Construct and Implement Solar Power Project(s)/Park of suitable capacity in Phases and Operate & Maintain the same for a period not less than 25 years from the date of commissioning of the project. SGEL shall construct the Transmission Line from the plant end to the nearest substation for evacuation of power from the solar power project.




- c) SGEL shall participate in the competitive bidding process to obtain the Power Purchase Agreement at a tariff discovered under the competitive bidding process or sign MOU with the interested parties to supply/sell the power generated from the Solar Power Project(s)/Park at mutually agreed tariff or as per other available opportunities.
- d) In the event of non-renewal of agreement between both parties post initial period of the agreement, SGEL shall be responsible for cleaning and complete removal of all equipment, machines, structures etc. erected as a part of the project prior to handing over of land to SSL. SGEL will be required to submit a refundable security deposit regarding the same and will be part of the agreement (Refer 3.2) on a mutually agreeable term.
- e) This being a green field project, SGEL will be required to adhere to all statutory and environmental norms as per the extant environment, wetland, safety and pollution control policies of the Government of Rajasthan and GoI. Wherever applicable, SGEL will comply all conditions imposed by all any Statutory Agencies etc. for construction & Installation of Solar Power Project and also construct an adequate number of channels/drainage systems in/around the project area to ensure the free flow of water in the lake area so that the ecology and natural habitat of migratory birds remain intact. All efforts are to be made towards sustainable development in tandem with the environment and natural ecosystem of the area.
- f) A Project Specific Agreement comprising Charges for Utilization of SSL Resources, Security Deposits etc., and other detailed terms and conditions for setting up the Identified Solar Power Project (s) based on this MOU shall be signed between SSL and SGEL.

#### 4.0 CONFIDENTIALITY

- 4.1 Neither Party will disclose any of the contents of this MOU or the commercial arrangements between them without the written consent of the other, except as required by this MOU. The Parties shall covenant to keep the sanctity of the information w.r.t the other party/ies that they come in possession during the course of the execution of the scope of work and shall not with or without intent place the other party in a position that compromises its integrity.
- 4.2 The Party's obligations under this Clause shall not apply to any information or material (a) that is or becomes part of the public domain (for reasons not attributable to the Party); (b) documented by competent evidence to be known to a receiving Party before disclosure by the disclosing party under this MOU and without violation of any confidentiality obligation; or (c) independently developed without reference or access to the Information of the other Party, as demonstrated by competent evidence. The Party must promptly notify the other Party in writing before making any disclosure required by law, reasonably assist to obtain a protective order or another remedy of the original disclosing Party's election, provide a prior review of any disclosure, provide only that portion of the Information that is legally required, and make reasonable efforts to obtain reliable assurance that the Information shall be maintained in confidence.

#### 5.0 LIMITATION OF LIABILITY

Any loss and/or liability arising as a result of the submission of false information/documents, willful act, willful negligence, or non-fulfillment of its obligations by either of the Parties shall be borne by such defaulting Party which shall indemnify and hold harmless the other Parties from and against any claims, proceedings, costs, charges and expenses in respect thereof or relation thereto. Notwithstanding anything contained to the contrary elsewhere in this MOU, neither Party shall be liable for indirect or consequential damages resulting from or arising out of this MOU, including, without limitation, indirect loss of profit or business interruptions.

#### **6.0 MONITORING OF IMPLEMENTATION OF MOU:**

Implementation of the MoU will be monitored by a high-level committee comprising of 2 (two) members each from SGEL Ltd. and Sambhar Salts Limited.

#### **7.0 EFFECTIVE DATE & VALIDITY**

This MoU shall come into force from the date of signing of MOU for all-purpose and intents and shall remain in force for a period of 5 years unless an agreement is entered between the Parties to substantiate or action is taken to commence the Project by SGEL during these 5 years, otherwise MOU shall be deemed to have been terminated. If an action to commence the Project has been initiated at Ground Zero, this MOU shall remain valid till Project Term or period till that Last Project would complete.

#### **8.0 ENTIRE UNDERSTANDING**

The parties hereto record that this Memorandum of Understanding reflects the broad terms of their understanding and is non-binding in nature.

#### **9.0 SETTLEMENT OF DISPUTES:**

This MOU shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. Any dispute or difference arising out of this MOU shall be amicably settled between the Parties by mutual negotiations and conciliation within a period of 60 days through a dispute resolution committee having two members each one from SSL and SGEL. In the event of non-agreement between members of the dispute resolution committee for any dispute, the issue will be deliberated at the CMD level of both companies. In all cases, the overall total duration should not be more than 60 days.

In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of a commercial contract between "SSL" and "SGEL" remain unsolved within a period of 60 days, such disputes or differences shall be taken up by either party for resolution through AMRCD as mentioned in Department of Public Enterprise (DPE) Office Memorandum No-- 4(1)/2013-DPE(GMIIFTS-1835) dated 22.05.2018.

Courts in Jaipur shall have the jurisdiction in respect of all matters that are incidental or consequential to clause 12(b) of this agreement.

#### **10.0 TERMINATION OF MOU**

The Parties agree that this MOU only records the broad understanding between the Parties on issues mentioned hereinabove. Either Party may terminate this MOU by giving 30 days notice in writing but such termination will not affect their obligations or rights accrued up to the date of termination.

**11.0 NOTICES**

Any notice to be given under this MOU shall be in writing and shall be deemed to have duly and properly served upon the Parties hereto, addressed to the Signatories or the Authorized Representatives of the Signatories at the address mentioned herein or such changed addresses as will be duly notified by the Parties to each other's from time to time through E: mail or Registered Post.

**If Served to SJVN Green Energy Limited (SGEL):**

SJVN Green Energy Limited (SGEL)  
Corporate Office Complex,  
Shanan, Shimla,  
Himachal Pradesh - 171006, India

Authorized Representative: .....**Shri AjayKumar Singh, CEO (SGEL)**.....

**If Served to Sambhar Salts Ltd.:**

Sambhar Salts Limited  
G-229, Sitapura Industrial Area  
Jaipur-302022(Rajasthan)

Authorized Representative: Shri/Smt.....**to be nominated by SSL**.....

**12.0 MISCELLANEOUS**

- a) Any other matter not included in this MOU but which is necessary for smooth functioning will be finalized by Parties on mutually agreed Terms & Conditions.
- b) This MOU may be executed in counterparts, each of which when taken together shall constitute -the entire instrument.
- c) This MOU contains the entire understanding and supersedes any and all prior and contemporaneous understanding (oral or written), among the Parties regarding this MOU's subject matter. Except as otherwise provided herein, no addition, amendment to or modification to this MOU shall be effective unless it is in writing and signed by and on behalf of both Parties by their respective authorized signatories.
- d) This MOU and the rights and liabilities hereunder shall bind and inure to the benefit of the respective successors of the Parties hereto. No Party shall assign or transfer any of their rights and liabilities hereunder to any other person without the prior written permission of the other Parties. Any assignment or transfer without such consents of the other Party shall be deemed null and void.
- e) If any provision of this MOU is held to be invalid or unenforceable, that provision will (so far as it is invalid and unenforceable) be given no effect with effect from the date of


such invalidation and will be deemed not to be included in this MOU, but without invalidating any of the remaining provisions.

f) This Agreement has been executed in duplicate and each Party has received one (1) copy, and all originals shall be equally valid.

13.0 The parties may, in pursuance of the MoU, execute a legally enforceable agreement after incorporating the detailed terms and conditions as required for the implementation of Solar Power Project (s)/ Park in the land of Sambhar Salts Ltd. for a period, not less than 25 years but not exceeding 30 years.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have entered into this Memorandum, on the 09<sup>th</sup> Day of August, 2023 at New Delhi

For and on behalf of  
SJVN Green Energy Limited



[Ajay Kumar Singh]  
Chief Executive Officer (CEO)


For and on behalf of  
Sambhar Salts Ltd.



[Commodore Kamlesh Kumar (Retd.)]  
Chairman & Managing Director (CMD)

Witness:

1.   
PUSHKAR JORNA  
DAM, SGBL

2.   
DAM, SGBL  
(MAMO BRANCH)

Witness:

1.

2.



## सांभर साल्ट्स लिमिटेड

(एक सरकारी उपक्रम)  
कार्यालय महा प्रबन्धक(कार्य)  
सांभरलेक-303604 जिला-जयपुर (राजस्थान)  
CIN: U14220RJ1964GOI001188

Tel. No.: 01425-228249

Fax No. 01425-228244

Website: [www.indiansalt.com](http://www.indiansalt.com)

E-mail: [gm.sambhar@indiansalt.com](mailto:gm.sambhar@indiansalt.com)

क्रमांक: 5-LC/2021/1087, 1088

दिनांक 16/10/2023

उपखण्ड अधिकारी,  
नांवा शहर  
जिला - डीडवाना-कुचामन (राज0)

**विषय:- सांभर साल्ट्स लिमिटेड की स्व-स्वामित्व भूमि खसरा नं. 1174 में जंगली बबूलो/जंगली झाड़ियों (Juliflora) को उखाडना।**

1. सांभर साल्ट्स लिमिटेड की स्व-स्वामित्व भूमि खसरा नं. 1174, रकबा 156 हेक्टर (खेजड़ी जंगल) में उगे हुए, जंगली बबूलो/जंगली झाड़ियों (Juliflora) को जड़ से उखाडकर भूमि को लेवलिंग एवं ड्रेसिंग कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।
2. कम्पनी की उक्त निजी भूमि से जंगली बबूलो/जंगली झाड़ियों (Juliflora) को जड़ से उखाडना निहायत जरूरी है। इस सम्बन्ध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश संदर्भ संख्या F.No.10-2/2020-NRM-SMAF (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा निजी भूमिधारक को जंगली बबूलो को जड़ से उखाडकर, अपनी भूमि का सदुपयोग कर सकता है।
3. अतः उपरोक्त कार्य के लिए आपको सुचनार्थ प्रेषित है।

वास्तु सांभर साल्ट्स लिमिटेड

संलग्न: यथोपरि।

  
[लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षपाल सिंह खंगारोत (से.नि.)]  
महाप्रबन्धक (कार्य)

प्रतिलिपि: तहसीलदार, नांवा शहर, जिला - डीडवाना-कुचामन (राज0)

178

## साँभर साल्ट्स लिमिटेड

(एक सरकारी उपक्रम)

साँभरलेक-303604

जिला-जयपुर (राजस्थान)

CIN No. : U14220RJ1964GOI001188



Tel. No.: 01425-228249

Fax No. 01425-228244

कमांक: 05-एल.सी./2021/ 11548 to 11552

श्री सकराम गुर्जर पुत्र श्री छीतर गुर्जर,

ग्राम खँडाज, तहसील किशनगढ,

जिला- अजमेर (राजस्थान) ।

Website: [www.indiansalt.com](http://www.indiansalt.com)E-mail: [gm.sambhar@indiansalt.com](mailto:gm.sambhar@indiansalt.com)

दिनांक: 21/10/2023

(कार्य-आदेश)

विषय:- कम्पनी के स्व-स्वामित्व अधिकार की नांवा तहसील में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1174 रकबा 172.72 हैक्टेयर (खेजडी जंगल) में उगे हुए समस्त जंगली बबूलो/जंगली झाड़ियों को जड से उखाड़ कर ले जाने एवं जमीन को समतल करवाने के क्रम में कार्य-आदेश बावत ।

महोदय,

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 5-एल.सी./2021/ दिनांक 04-10-2023 के सन्दर्भ में साँभर साल्ट्स लिमिटेड के नांवा तहसील में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1174 रकबा 172.72 हैक्टेयर (खेजडी जंगल) में उगे हुए समस्त जंगली बबूलो/जंगली झाड़ियों को जड से उखाड़ कर ले जाने एवं जमीन को समतल करवाने के क्रमे जारी निविदा के सन्दर्भ में आपके द्वारा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तावित उच्चतम दर रु. 3,10,000/ (रु. तीन लाख दस हजार मात्र) को सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । अतः आपको निम्नलिखित शर्तों पर कार्यदेश जारी किया जाता है :-

1. उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कार्य राशि रु.3,10,000/- (रु. तीन लाख दस हजार मात्र) आपके द्वारा इस कार्य आदेश की प्राप्ति से 03 दिवस में कम्पनी के लेखा विभाग में जमा कराना होगा ।
2. उपरोक्त अनुसार साँभर साल्ट्स लिमिटेड, साँभर लेक के स्व-स्वामित्व अधिकार की नांवा तहसील में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1174 रकबा 172.72 हैक्टेयर (खेजडी जंगल) में उगे हुए समस्त जंगली बबूलो/जंगली झाड़ियों को जड से उखाड़ कर पार्टी द्वारा अपने कारखाने पर ले जाना होगा ।
3. उक्त वर्णित समस्त कार्य दिनांक कार्य आदेश की प्राप्ति से 01 माह में पूर्ण रूप से सम्पादित करना होगा ।
4. यह कार्य आदेश मात्र जंगली बबूलो की कटाई से सम्बन्धित है अन्य किसी प्रकार के वृक्ष आपके द्वारा नहीं उखाड़े जायेंगे तथा जँहा से जंगली बबूल वृक्षों को उखाड़ा जायेगा उस स्थान के गड्डे को पुनः भराव कर समतल करना होगा ।
5. उपरोक्त वर्णित समस्त कार्य पार्टी को अपने स्वयं के स्तर पर करना होगा तथा इस पर खर्च होने वाली सम्पूर्ण राशि पार्टी को स्वयं को वहन करनी होगी ।
6. सरकार द्वारा निर्मित कानून, नियमों एवं अधिनियमों का पार्टी द्वारा अपने स्वयं के स्तर एवं खर्च पर पालन किया जावेगा। यदि किसी भी प्रकार से इनका उल्लंघन किया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. पार्टी को कम्पनी के सभी निर्देशों एवं नियमों का पालन करते हुए इनके अधीन कार्य का संचालन करना होगा।
8. आपके द्वारा उक्त परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की गन्दगी व कचरा ईत्यादि नहीं फैलाया जायेगा। कटिंग के दौरान कचरे को एकत्रित कर साफ सफाई का पूर्णतः ध्यान रखा जायेगा।

38


-----2-----

9. आपके/आपकी फर्म के किसी भी व्यक्ति/कार्मिको या आपके द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरणों के कारण अथवा लापरवाही के कारण कम्पनी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति की वसुली आपसे की जावेगी।
10. कम्पनी की बिना पुर्व लिखित में अनुमति लिए इस कार्य या इसके किसी भी भाग को सब लेट या सुदुर्द नहीं करगें।
11. आप द्वारा किसी भी शर्तों के भंग करने या विधिवत पूरा करने में विफल रहते है तो कार्य आदेश को निरस्त करने का अधिकार कम्पनी के महाप्रबन्धक (कार्य) के पास सुरक्षित होगा। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जमा करवाई गई राशि को कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
12. आपको उपरोक्त कार्य संचालन में समस्त सामग्री की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।
13. किसी भी कारण से अनुबन्ध अवधि के मध्य में कार्य छोड़ने अथवा नियम एवं शर्तों का पालन नही किये जाने पर उपरोक्त जमा राशि को कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जावेगा।
14. राज्य सरकार के द्वारा लागू नियमों की पालना आपको सुनिश्चित करनी होती तथा यदि स्थानीय प्रशासन से स्वीकृति आवश्यक हो तो सम्बन्धित विभाग से आपको अपने स्तर/खर्चे पर आपके स्वयं के द्वारा ली जानी होगी।
15. आवश्यक राशि एक मुश्त आपके द्वारा 03 दिवस में जमा करवाई जाकर इस कार्यालय को रसीद प्रस्तुत करनी होगी तथा साथ ही राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर करारनामा सम्पादित करना होगा। कार्य-आदेश की प्राप्ति से तीन दिवस में उपरोक्त वर्णित राशि एक मुश्त जमा नही करवाये जाने पर कार्य-आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

आप शीघ्रातिशित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करें।

धन्यवाद।

वास्ते सांभर साल्ट्स लिमिटेड, सांभर लेक।

  
महाप्रबन्धक (कार्य)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
2. प्रभारी, सिविल विभाग
3. सम्पदा अधिकारी
4. इन्चार्ज नांवा उत्पादन वृत्त - को भेजकर लैख है कि सम्बन्धित वृत्ताधिकारी के अधीन क्षेत्र में अपने पर्यवेक्षण में कार्य को नियमों की पालना के साथ सम्पादित करावें।







राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल  
**RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD**  
 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी जयपुर - 302004  
 फोन: 5101871, 5101872, ईपीबीएक्स: 5159600, 5159699, फैक्स: 5159694 & 97

**OFFICE ORDER**

The Rajasthan Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 and Rajasthan Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983 have been amended, vide Notification dated 26.05.2016. In the said rules "white category" has been inserted.

The following industries mentioned herein in the white category are not required to obtain consent to establish and consent to operate under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981:-

S. No.	Type of Unit
1.	Assembly of air coolers/ conditioners, repairing and servicing
2.	Assembly of bicycles, baby carriages and other small non motorizing vehicles
3.	Bailing (hydraulic press) of waste papers
4.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
5.	Biscuits trays etc from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
6.	Blending and packing of tea
7.	Block making for printing without foundry (excluding wooden block making)
8.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying/ electrical oven)
9.	Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other gases)
10.	Cotton and woolen hosiers making (Dry process only without any dyeing/ washing operation)
11.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
12.	Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only
13.	Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
14.	Engineering and fabrication units (dry process without any heat treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
15.	Flavoured betel nuts production/ grinding of Spices (completely dry mechanical operations)
16.	Fly ash bricks/ block manufacturing
17.	Fountain pen manufacturing by assembling only
18.	Glass ampules and vials making from glass tubes
19.	Glass putty and sealant (by mixing with machine only)
20.	Ground nut decorticating
21.	Handloom/ carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
22.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
23.	Manufacturing of coir items from coconut husks
24.	Manufacturing of metal caps containers etc
25.	Manufacturing of shoe brush and wire brush
26.	Medical oxygen
27.	Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28.	Organic manure (manual mixing)
29.	Packing of powdered milk
30.	Paper pins and u clips
31.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
32.	Rope (plastic and cotton)

33.	Scientific and mathematical instrument manufacturing
34.	Solar module non conventional energy apparatus manufacturing unit
35.	Solar power generation through solar photovoltaic cell and wind power
36.	Mini hydel power (less than 25 MW)
37.	Surgical and medical products assembling only (not involving effluent/ emission generating processes)
38.	Flour Mill (Atta Chaki) without washing
39.	Furniture making units (without mechanized paint booth, anodizing, pickling, galvanizing, furnace and boiler)
40.	Wax Candles (excluding manufacturing of wax)
41.	Agarbati making units
42.	Blue potteries
43.	General wire industries like wire drawing, Barbed wire, Chain links making units (dry process without any heat treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
44.	Gems and jewelry units (without furnace and metal finishing operations)
45.	Cold Storage
46.	Production of earthen pots, bricks (using fly ash), kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located within a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant
47.	Production of earthen pots, bricks, kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located beyond a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant

The industries mentioned hereinabove are deleted from the office order No. F-14(23)Policy/RPCB/Plg/10548-10587, dated 07.03.2013 and subsequent orders forthwith.

*dc* (K.C.A. Arun Prasad)  
Member Secretary

F.12 (PSC-1)/ RSPCB/ PSC/ 366 to 397

Dated: 31/05/2016

Copy to following for information and necessary action:

1. P.S. to Additional Chief Secretary (Environment & Forest), Department of Environment, Government of Rajasthan, Jaipur
2. P.S. to Chairperson, RSPCB, Jaipur
3. Secretary, Department of Environment, Government of Rajasthan, Jaipur
4. Sr. P.A. to Member Secretary, RSPCB, Jaipur
5. Chief Environmental Engineer / Chief Scientific Officer, RSPCB, Jaipur
6. Group Incharge, EC/ Hazardous/ MSW/ BMW/ HOP/ Textile/ CPM/ Planning/ IT, DF & Cess/ MUID/ Mines/ CD & SCMG/ Law/ CCC/ PSC & Projects, RSPCB, Jaipur
7. Regional Officer, RSPCB, Jaipur (South)/ Jaipur (North)/ Alwar/ Balotra/ Bhartpur/ Bhilwara/ Bikaner/ Jodhpur/ Pali/ Kota/ Chittorgarh/ Kishangarh/ Sikar/ Udaipur/ Bhiwadi.
8. ACP, RPCB, Jaipur, with the direction to upload the order on Board's website.
9. Master File (PSC-6), PSC, RPCB, Jaipur.

*dc* Member Secretary



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 5, गुरुवार, शाके 1938-मई 26, 2016  
Jyaistha 5, Thursday, Saka 1938-May 26, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

## DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

### NOTIFICATIONS

Jaipur, May 26, 2016

**G.S.R. 13.-** In exercise of the powers conferred by section 54 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act No. 14 of 1981), the State Government, after consultation with the Rajasthan State Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Air (Prevention and Control of Pollution) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 5.-** In rule 5 of the Rajasthan Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983 hereinafter referred to as the said rules,-

- (i) in sub-rule (2), for the existing expression "50%", the expression "25%" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (3), for the existing expression "50%", the expression "25%" shall be substituted;
- (iii) after the existing sub-rule (3) and before the existing sub-rule (4), the following new sub-rule (3A) shall be inserted, namely:-

"(3A) where an applicant makes an application for consent to operate after expiry of period of earlier consent, the application for consent to operate shall be accompanied with an additional fee of 50% as specified in Schedule."

- (iv) in sub-rule (4), for the existing expression "sub-rule (2) and (3)", the expression "sub-rule (2), (3) and (3A)" shall be substituted;
- (v) after the existing sub-rule (5) and before the existing sub-rule (6), the following new sub-rule (5A) and (5B) shall be inserted, namely:-

"(5A) Any industry or activity or operation or process which are non polluting and categorized as White Category in Part IV of Schedule shall not be required to obtain Consent to Operate and Consent to Establish, but shall have to intimate the State Board prior to commissioning of industry or activity or operation or process.

(5B) The State Board shall issue consent to operate for a period of 5 years in case of Red category, 10 years in case of Orange category and 15 years in case of Green category. The Red, Orange and Green category shall be as per categorization decided by the State Board from time to time."; and

- (vi) the existing sub-rule (8) shall be substituted by the following, namely:-

"(8) The prescribed fee shall be paid to the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board in the manner specified by the State Board, from time to time."

**3. Substitution of SCHEDULE.-** The existing SCHEDULE appended to the said rules, shall be substituted by the following,

namely:-

**"SCHEDULE****(See rule 5)****Part I**

Fee for Industries/ Process/ Projects/ Activities other than Mining,  
Quarrying and Health Care Facilities (in rupees)

S. No.	Capital Investment (In rupees)	For Consent to Establish			For Consent to Operate	For acknowledgement
		Red	Orange	Green		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Up to 5 Lacs	3000	2000	1000	7500	1000
2.	More than 5 Lacs Upto 10 lacs	4500	3000	1500	12000	1500
3.	More than 10 Lacs Upto 25 lacs	6000	4000	2000	16500	2000
4.	More than 25 Lacs Upto 50 lacs	9000	6000	3000	24000	3000
5.	More than 50 Lacs Upto 1 Crore	15000	10000	5000	28500	5000
6.	More than 1 Crore Upto 2 Crores	18000	12000	6000	37500	6000
7.	More than 2 Crore Upto 5 Crores	21000	14000	7000	42000	7000
8.	More than 5 Crore Upto 10 Crores	24000	16000	8000	48000	Acknowledgment is not applicable
9.	More than 10 Crore Upto 25 Crores	30000	20000	10000	57000	
10.	More than 25 Crore Upto 50 Crores	37500	25000	12500	72000	
11.	More than 50 Crore	Rs. 50000 + Rs. 1000 per Crore or part thereof, of incremental investment above 50 crores	70% of applicable fees for Red category	35% of applicable fees for Red category	Rs. 72000 + Rs. 1500 per Crore or part thereof, of incremental investment above 50 crore	

**Part- II****A. Fee for mining and Short Term Permits (in rupees)**

S. No.	Lease area of the mines	For Consent to Establish		For Consent to Operate	
		Major	Minor	Major	Minor
1	2	3	4	5	6
1.	Less than 1 Hectare	15000	8000	33000	24000
2.	1 Hectare to 5 Hectare	17000	12000	37500	33000
3.	Above 5 Hectare	17000+ Rs 1000 per incremental hectare above 5 hectares	12000 + Rs 400 per incremental hectare above 5 hectares	90000+ Rs 1500 per incremental hectare above 5 hectares	37500+ Rs 750 per incremental hectare above 5 hectares

**B. Fee for Quarry Licenses (in rupees)**

S. No.	Lease area of the mines	For Consent to Establish	For Consent to Operate	
			For 1 Year (annual)	For 3 Years
1.	Upto 1.0 Hectare	-	2000	
2.	More than 1.0 Hectare	8000	4000	11000

**Part- III****Fee for Hospital, Health Care Facility and Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (in rupees)**

S. No	Description	Amount in Rs	
		Consent to Establish	Consent to Operate
1.	Hospitals, Nursing Homes and Health Care Establishments upto 10 beds; Non- beded Health Care Facilities (Clinics); Pathological/ Forensic/ Research Laboratories and Blood Banks; Veterinary	5000/-	10000/-

	Institutions, Dispensaries and Animal Houses; Drug vendor/ Drug ware house		
2.	Operator of the Common Bio- Medical Waste Treatment Facility	30,000/-	1,00,000/-
3.	Hospitals, Nursing Homes and Health Care Establishments		
	(i) More than 10 beds and upto 25 beds	10000/-	20000/-
	(ii) More than 25 beds and upto 50 beds	20000/-	40000/-
	(iii) More than 50 beds	20000/- + Rs. 500/- per incremental bed above 50 beds	40000/- + Rs. 500/- per incremental bed above 50 beds

**Part- IV**  
**White Category**

S. No.	Type of Unit
1.	Assembly of air coolers/ conditioners, repairing and servicing
2.	Assembly of bicycles, baby carriages and other small non motorizing vehicles
3.	Bailing (hydraulic press) of waste papers
4.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
5.	Biscuits trays etc from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
6.	Blending and packing of tea
7.	Block making for printing without foundry (excluding wooden block making)
8.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying/ electrical oven)
9.	Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other gases)
10.	Cotton and woolen hosiers making (Dry process only without any dyeing/ washing operation)
11.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)

12.	Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only
13.	Electrical and electronic item assembling (completely dry process)
14.	Engineering and fabrication units (dry process without any heat treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
15.	Flavoured betel nuts production/ grinding of Spices (completely dry mechanical operations)
16.	Fly ash bricks/ block manufacturing
17.	Fountain pen manufacturing by assembling only
18.	Glass ampules and vials making from glass tubes
19.	Glass putty and sealant (by mixing with machine only)
20.	Ground nut decorticating
21.	Handloom/ carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
22.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
23.	Manufacturing of coir items from coconut husks
24.	Manufacturing of metal caps containers etc
25.	Manufacturing of shoe brush and wire brush
26.	Medical oxygen
27.	Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28.	Organic manure (manual mixing)
29.	Packing of powdered milk
30.	Paper pins and u clips
31.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
32.	Rope (plastic and cotton)
33.	Scientific and mathematical instrument manufacturing
34.	Solar module non conventional energy apparatus manufacturing unit
35.	Solar power generation through solar photovoltaic cell and wind power
36.	Mini hydel power (less than 25 MW)
37.	Surgical and medical products assembling only (not involving effluent/ emission generating processes)
38.	Flour Mill (Atta Chaki) without washing
39.	Furniture making units (without mechanized paint booth, anodizing, pickling, galvanizing, furnace and boiler)
40.	Wax Candles (excluding manufacturing of wax)
41.	Agarbati making units
42.	Blue potteries
43.	General wire industries like wire drawing, Barbed wire, Chain links making units (dry process without any heat

	treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
44.	Gems and jewelry units (without furnace and metal finishing operations)
45.	Cold Storage
46.	Production of earthen pots, bricks (using fly ash), kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located within a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant
47.	Production of earthen pots, bricks, kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located beyond a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant

**Note:**

1. For Facility as listed at serial number 1 of Part-III of Schedule, the State Board will issue one time Consent to Operate.
2. In case of mines, the Consent period shall be coterminous with the validity of lease subject to maximum period as per sub-rule (5B) of rule 5.
3. In case of quarry licenses the consent to operate will be granted normally for one year but can be granted upto 3 years on deposition of adequate fees provided Quarry License is valid for 3 years.
4. In case of mines which apply for consent to establish/ consent to operate for additional/ enhanced production or addition of new mineral within the validity period of consent to operate without any increase in lease area, the applicable fees shall be 20% of the prescribed fee. In such cases the consent to establish/ consent to operate shall be validated upto the period of validity of existing consent to operate.
5. In addition to fee mentioned in Schedule, all industries or processes or projects or activities requiring Environmental Clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006, except quarry license, shall pay an additional amount of Rs 25000/- as onetime fee with the first consent to establish or consent to operate application, as the case may be.

6. The classification of industries in Large/ Medium/ Small/ Tiny scale shall be as notified by the Department of Industries.
7. The State Board shall issue consent to establish for a period of 5 years. In case Project Proponent requires extension in validity then a request for the same should be made atleast four months before the expiry of validity of consent to establish along with reasons for the same. In case Project Proponent fails to apply for extension four months before the expiry of validity of consent then fresh consent application alongwith requisite fees will have to be submitted for extension in validity of consent.
8. That in case of quarry licences upto 1.0 hectares, only obtaining of acknowledgment as per sub-rule (6) of rule 5 is sufficient subject to compliance of Environment Impact Assessment Notification, 2006, as amended from time to time. The quarry licence holder upto 1.0 hectares shall not be asked for separate consent to establish and consent to operate."

**Jaipur, May 26, 2016**

**G.S.R. 14.-** In exercise of the powers conferred by section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the Rajasthan State Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Water (Prevention and Control of Pollution) (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 29.-** In rule 29 of the Rajasthan Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 hereinafter referred to as the said rules,-

- (i) in sub-rule (3), for the existing expression "50%", the expression "25%" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (4), for the existing expression "50%", the expression "25%" shall be substituted;

- (iii) after the existing sub-rule (4) and before the existing sub-rule (5), following new sub-rule (4A) shall be inserted, namely:-

"(4A) Where an applicant, makes an application for consent to operate, after expiry of period of earlier consent, the application for consent to operate shall be accompanied with an additional fee of 50% as specified in Schedule IV."

- (iv) in sub-rule (5), for the existing expression "sub-rule (3) and (4)", the expression "sub-rule (3), (4) and (4A)" shall be substituted;

- (v) after the existing sub-rule (6) and before the existing sub-rule (7), following new sub-rule (6A) and (6B) shall be inserted, namely:-

"(6A) Any industry or activity or operation or process which are non polluting and categorized as White Category in part-IV of Schedule IV shall not be required to obtain Consent to Operate and Consent to Establish, but shall have to intimate the State Board prior to commissioning of industry or activity or operation or process.

(6B) The State Board will issue consent to operate for a period of 5 years in case of Red category, 10 years in case of Orange category and 15 years in case of Green category. The Red, Orange and Green category shall be as per categorization decided by the State Board from time to time."; and

- (vi) the existing sub-rule (9) shall be substituted by the following, namely:-

"(9) The prescribed fee shall be paid to the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board in the manner specified by the State Board, from time to time."

**3. Substitution of SCHEDULE IV.-** The existing SCHEDULE IV appended to the said rules, shall be substituted by

the following, namely:-

**“SCHEDULE IV**

**(See rule 29)**

**Part I**

**Fee for Industries/ Process/ Projects/ Activities other than Mining,  
Quarrying and Health Care Facilities (in rupees)**

S. No.	Capital Investment (In rupees)	For Consent to Establish			For Consent to Operate	For acknowledgement
		Red	Orange	Green		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Up to 5 Lacs	3000	2000	1000	7500	1000
2.	More than 5 Lacs Upto 10 lacs	4500	3000	1500	12000	1500
3.	More than 10 Lacs Upto 25 lacs	6000	4000	2000	16500	2000
4.	More than 25 Lacs Upto 50 lacs	9000	6000	3000	24000	3000
5.	More than 50 Lacs Upto 1 Crore	15000	10000	5000	28500	5000
6.	More than 1 Crore Upto 2 Crores	18000	12000	6000	37500	6000
7.	More than 2 Crore Upto 5 Crores	21000	14000	7000	42000	7000
8.	More than 5 Crore Upto 10 Crores	24000	16000	8000	48000	Acknowledgement is not applicable
9.	More than 10 Crore Upto 25 Crores	30000	20000	10000	57000	
10.	More than 25 Crore Upto 50 Crores	37500	25000	12500	72000	
11.	More than 50 Crore	Rs. 50000 + Rs. 1000 per Crore or part thereof, of incremental investment above 50 crores	70% of applicable fees for Red category	35% of applicable fees for Red category	Rs. 72000 + Rs. 1500 per Crore or part thereof, of incremental investment above 50 crore	

**Part- II****A. Fee for mining and Short Term Permits (in rupees)**

S. No.	Lease area of the mines	For Consent to Establish		For Consent to Operate	
		Major	Minor	Major	Minor
1	2	3	4	5	6
1.	Less than 1 Hectare	15000	8000	33000	24000
2.	1 Hectare to 5 Hectare	17000	12000	37500	33000
3.	Above 5 Hectare	17000+ Rs 1000 per increment 1 hectare above 5 hectares	12000 + Rs 400 per increment al hectare above 5 hectares	90000+ Rs 1500 per incremental hectare above 5 hectares	37500+ Rs 750 per incremental hectare above 5 hectares

**B. Fee for Quarry Licenses (in rupees)**

S. No.	Lease area of the mines	For Consent to Establish	For Consent to Operate	
1.	Upto 1.0 Hectare	-	2000	
2.	More than 1.0 Hectare	8000	For 1 Year (annual)	For 3Years
			4000	11000

**Part- III****Fee for Hospital, Health Care Facility and Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (in rupees)**

S. No.	Description	Amount in Rs	
		Consent to Establish	Consent to Operate
1.	Hospitals, Nursing Homes and Health Care Establishments upto 10 beds; Non- beded Health Care Facilities (Clinics); Pathological/ Forensic/ Research Laboratories and Blood Banks; Veterinary Institutions, Dispensaries and	5000/-	10000/-

	Animal Houses; Drug vendor/ Drug ware house		
2.	Operator of the Common Bio- Medical Waste Treatment Facility	30,000/-	1,00,000/-
3.	Hospitals, Nursing Homes and Health Care Establishments		
	(i) More than 10 beds and upto 25 beds	10000/-	20000/-
	(ii) More than 25 beds and upto 50 beds	20000/-	40000/-
	(iii) More than 50 beds	20000/- + Rs. 500/- per incremental bed above 50 beds	40000/- + Rs. 500/- per incremental bed above 50 beds

**Part- IV**  
**White Category**

S. No.	Type of Unit
1.	Assembly of air coolers/ conditioners, repairing and servicing
2.	Assembly of bicycles, baby carriages and other small non motorizing vehicles
3.	Bailing (hydraulic press) of waste papers
4.	Bio fertilizer and bio-pesticides without using inorganic chemicals
5.	Biscuits trays etc from rolled PVC sheet (using automatic vacuum forming machines)
6.	Blending and packing of tea
7.	Block making for printing without foundry (excluding wooden block making)
8.	Chalk making from plaster of Paris (only casting without boilers etc. (sun drying/ electrical oven)
9.	Compressed oxygen gas from crude liquid oxygen (without use of any solvents and by maintaining pressure & temperature only for separation of other gases)
10.	Cotton and woolen hosiers making (Dry process only without any dyeing/ washing operation)
11.	Diesel pump repairing and servicing (complete mechanical dry process)
12.	Electric lamp (bulb) and CFL manufacturing by assembling only
13.	Electrical and electronic item assembling (completely dry

	process)
14.	Engineering and fabrication units (dry process without any heat treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
15.	Flavoured betel nuts production/ grinding of Spices (completely dry mechanical operations)
16.	Fly ash bricks/ block manufacturing
17.	Fountain pen manufacturing by assembling only
18.	Glass ampules and vials making from glass tubes
19.	Glass putty and sealant (by mixing with machine only)
20.	Ground nut decorticating
21.	Handloom/ carpet weaving (without dyeing and bleaching operation)
22.	Leather cutting and stitching (more than 10 machine and using motor)
23.	Manufacturing of coir items from coconut husks
24.	Manufacturing of metal caps containers etc
25.	Manufacturing of shoe brush and wire brush
26.	Medical oxygen
27.	Organic and inorganic nutrients (by physical mixing)
28.	Organic manure (manual mixing)
29.	Packing of powdered milk
30.	Paper pins and u clips
31.	Repairing of electric motors and generators (dry mechanical process)
32.	Rope (plastic and cotton)
33.	Scientific and mathematical instrument manufacturing
34.	Solar module non conventional energy apparatus manufacturing unit
35.	Solar power generation through solar photovoltaic cell and wind power
36.	Mini hydel power (less than 25 MW)
37.	Surgical and medical products assembling only (not involving effluent/ emission generating processes)
38.	Flour Mill (Atta Chaki) without washing
39.	Furniture making units (without mechanized paint booth, anodizing, pickling, galvanizing, furnace and boiler)
40.	Wax Candles (excluding manufacturing of wax)
41.	Agarbati making units
42.	Blue potteries
43.	General wire industries like wire drawing, Barbed wire, Chain links making units (dry process without any heat treatment/ metal surface finishing operations/ painting)
44.	Gems and jewelry units (without furnace and metal finishing operations)

45.	Cold Storage
46.	Production of earthen pots, bricks (using fly ash), kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located within a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant
47.	Production of earthen pots, bricks, kawelu etc. having maximum capacity of three lac numbers per year, manufactured through Ava-Kajawa process located beyond a radius of 300 kms. from any coal/ lignite based thermal power plant

**Note:**

1. For Facility as listed at serial number 1 of Part-III of Schedule IV, the State Board will issue one time Consent to Operate.
2. In case of mines, the Consent period shall be coterminous with the validity of lease subject to maximum period as per sub-rule (6B) of rule 29.
3. In case of quarry licenses the consent to operate will be granted normally for one year but can be granted upto 3 years on deposition of adequate fees provided Quarry License is valid for 3 years.
4. In case of mines which apply for consent to establish/ consent to operate for additional/ enhanced production or addition of new mineral within the validity period of consent to operate without any increase in lease area, the applicable fees shall be 20% of the prescribed fee. In such cases the consent to establish/ consent to operate shall be validated upto the period of validity of existing consent to operate.
5. In addition to fee mentioned in Schedule IV, all industries or processes or projects or activities requiring Environmental Clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006, except quarry license, shall pay an additional amount of Rs 25000/- as onetime fee with the first consent to establish or consent to operate application, as the case may be.
6. The classification of industries in Large/ Medium/ Small/ Tiny scale shall be as notified by the Department of Industries.

7. The State Board shall issue consent to establish for a period of 5 years. In case Project Proponent requires extension in validity then a request for the same should be made atleast four months before the expiry of validity of consent to establish along with reasons for the same. In case Project Proponent fails to apply for extension four months before the expiry of validity of consent then fresh consent application alongwith requisite fees will have to be submitted for extension in validity of consent.
8. That in case of quarry licences upto 1.0 hectares, only obtaining of acknowledgment as per sub-rule (7) of rule 29, is sufficient subject to compliance of Environment Impact Assessment Notification, 2006, as amended from time to time. The quarry licence holder upto 1.0 hectares shall not be asked for separate consent to establish and consent to operate."

**By Order of the Governor,  
NIHAL CHAND GOEL,  
Additional Chief Secretary to the Government.**

—————  
**Government Central Press, Jaipur.**

राजरथान-सरकार  
कार्यालय तहसीलदार नावां जिला डीडवाना-कुचामन

क्रमांक: राजस्व/सांभर झील/2025/488

दिनांक:- 15.07.2025

प्रेषित:-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय

डीडवाना-कुचामन।

विषय : सांभर साल्ट लिमि0 द्वारा सौलर प्लांट लगाने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग : श्रीमान से प्राप्त निर्देशानुसार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण राजस्व ग्राम नावां के खसरा नंबर 1174 रकबा 156.72 हैक्टेर किस्म लवण क्षेत्र भूमि से संबंधित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार महकमा श्री साल्ट के नाम दर्ज है। उक्त खसरान में सांभर साल्ट लिमि. कम्पनी द्वारा एल.सी.सी. प्रोजेक्ट लिमि. कम्पनी से एमओयु कर सौलर प्लांट लगाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मौके पर कम्पनी द्वारा खेजडी व नीम के वृक्ष काटे गये है। जिनको मौके पर आगे से वृक्ष नहीं काटने हेतु पाबन्द भी किया गया है। ग्राम नावां के खसरा नंबर 1174 रकबा 156.72 हैक्टेर किस्म लवण क्षेत्र भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड, न्यायिक स्थिति एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है :

1. खसरा नंबर 1174 के राजस्व रिकॉर्ड के सम्बन्ध में विवरण :

- उक्त भूमि खसरा नंबर 1174 के गत खसरान सम्वत् 1981 (वर्ष 1924) में राज0 मारवाड परगना सांभर के नाम दर्ज है।
- सम्वत् 2010-13 की जमाबंदी में उक्त भूमि "अन्य सरकारी विभागो द्वारा या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संधारित जमीने " की श्रेणी में आकर महकमा श्री साल्ट के नाम दर्ज हुई है।
- सम्वत् 2008, 2010-13 की खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि खेजडी जंगल दर्ज रही है।
- उक्त खसरान की गिरदावरी सम्वत् 2018-19, 2020-21 में महकमा श्री साल्ट का कब्जा साल्ट विभाग को दर्शाया गया है।
- लवण निरीक्षक श्री मुकेश शर्मा से दूरभाष (7877059604) पर हुई वार्तानुसार उन्होंने बताया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 1174 श्री साल्ट (साल्ट विभाग, केन्द्र सरकार) के नाम दर्ज है। हमने उक्त भूमि को हिन्दूस्तान साल्ट लिमि0 को लीज पर दे रखा है। वर्तमान में हिन्दूस्तान साल्ट लिमि0 के उपक्रम सांभर साल्ट लिमि0 द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा है।

2. खसरा नंबर 1174 के न्यायिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में विवरण :

- माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक जिला जयपुर में विचाराधीन वाद संख्या 116/2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 92/2023 हिन्दूस्तान साल्ट लिमि0 बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.12.2023 में सांभर झील खसरा नंबर 01 व अन्य विवादित खसरान कुल किता 31 कुल रकबा 9043 बीघा 10 बिस्वा जिनमें 1174 भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं अंतरित नहीं करने के निर्देश दिये है।

- वादी सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभरलेक जयपुर द्वारा सांभर झील के पास लगते कुल किता 31 खसरान रकबा 9043 बीघा 10 बिस्वा को सांभर झील का हिस्सा मानते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुचामनसिटी में वाद संख्या 33/2023 एवं प्रार्थना पत्र 26/2023 प्रस्तुत किया है। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.07.2023 को विवादित 31 खसरान कुल रकबा 9043 बीघा 10 बिस्वा (खसरा नंबर 1174 सम्मिलित) के मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत रखने हेतु पाबंद किया गया है।

### 3. खसरा नंबर 1174 के सम्बन्ध में अतिरिक्त कथन :

- माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुचामनसिटी ने खसरा नंबर 1174 पर वर्तमान स्थिति अथवा तत्समय की स्थिति को यथावत रखने का आदेश दिया है, जबकि वर्तमान में वादी सांभर साल्ट लिमि0 स्वयं माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए खसरा नंबर 1174 की स्थिति परिवर्तन करते हुए निजी कम्पनी से समझौता कर सौलर प्लांट लगाने पर उतारू है।
- जब वादी सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभरलेक जयपुर द्वारा सांभर झील के पास लगते कुल किता 31 खसरान रकबा 9043 बीघा 10 बिस्वा (खसरा नंबर 1174 सम्मिलित) को सांभर झील का हिस्सा मानते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुचामनसिटी में वाद संख्या 33/2023 एवं प्रार्थना पत्र 26/2023 प्रस्तुत कर रखा है तो फिलहाल अभी उक्त विवादित भूमि का मालिकाना हक निर्णित होना शेष है। यदि उक्त भूमि सांभर साल्ट लिमि0 के वाद अनुसार झील का हिस्सा दर्ज होती है तो भविष्य में खसरा नंबर 1174 भी झील का हिस्सा होकर वैटलेण्ड रूल्स, 2017 के प्रभाव अधीन होगा। जिसमें एनजीटी के अनुमति बिना किसी प्रकार की नॉन वैटलेण्ड गतिविधि नहीं की जा सकेगी।
- उपरोक्त वर्णित विवेचन से सांभर साल्ट का स्पष्ट विरोधाभास प्रतीत होता है कि एक तरफ सांभर साल्ट लिमि0 खसरा नंबर 1174 को अपनी निजी खातेदारी की भूमि बता रहा है और सौलर प्लांट लगाने पर उतारू है जबकि दूसरी तरफ सांभर साल्ट लिमि0 खसरा नंबर 1174 को सांभर झील का हिस्सा मानते हुए विभिन्न उच्च एवं अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में वाद प्रस्तुत किया है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

  
तहसीलदार नावां  
डीडवाना-कुचामन

क्रमांक : सम/2025/489

प्रतिलिपि : श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदया नावां को सूचनार्थ

दिनांक : 15-07-2025

  
तहसीलदार नावां  
डीडवाना-कुचामन

शेखर या अकाउंटी की सूची		विवरण		विवरण		विवरण		विवरण		विवरण		विवरण		विवरण	
क्र.सं.	शेखर या अकाउंटी का नाम	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
1	राजस्थान सरकार	अलावा जोरना को बिल का	262	300	राजस्थान सरकार	अलावा जोरना को बिल का	262	300	राजस्थान सरकार	अलावा जोरना को बिल का	262	300	राजस्थान सरकार	अलावा जोरना को बिल का	262
	जेशरह सदर	महकमा श्री साल्ट	266	300	जेशरह सदर	महकमा श्री साल्ट	266	300	जेशरह सदर	महकमा श्री साल्ट	266	300	जेशरह सदर	महकमा श्री साल्ट	266
		बांवा	342	300											
			343	300											
			344	300											
			345	300											
			346	300											
			347	300											
			348	300											
			349	300											
			350	300											
			351	300											
			352	300											
			353	300											
			354	300											
			355	300											
			356	300											
			357	300											
			358	300											
			359	300											
			360	300											
			361	300											
			362	300											
			363	300											
			364	300											
			365	300											
			366	300											
			367	300											
			368	300											
			369	300											
			370	300											
			371	300											
			372	300											
			373	300											
			374	300											
			375	300											
			376	300											
			377	300											
			378	300											
			379	300											
			380	300											
			381	300											
			382	300											
			383	300											
			384	300											
			385	300											
			386	300											
			387	300											
			388	300											
			389	300											
			390	300											
			391	300											
			392	300											
			393	300											
			394	300											
			395	300											
			396	300											
			397	300											
			398	300											
			399	300											
			400	300											

नकल कर्ता  
मिलान कर्ता

सत्य छायाप्रति  
साक्षी (पू.अ.)  
सत्यदेव, डी डबाना-कुचामन

आवेदन का क्रमांक 717

1 JUL 2025

आवेदन पत्र क्रमांक 717  
 जगा फिनांक 19 जून 2025  
 राजीव गांधी राष्ट्रीय निवडणुकीचे मंडळ

क्र.सं.	उमेदवार	पेशा	वैधता	व्यक्तिगत	शैक्षणिक	व्यवसायिक	व्यक्तिगत		शैक्षणिक		व्यवसायिक	
							अ	ब	अ	ब	अ	ब
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

नकारा काठा  
 मितलान काठा

सत्य धायावली  
 राजसलदार (पू.अ.)

मलेक्ट, डीडवाना-कुयामन

गणपति मठ  
गणपति मठ (गुणित) का खाता  
गणपति मठ  
4 जन 2025

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	देब/क्रेडिट	शुद्ध		शुद्ध		बैलेंस
				देब	क्रेडिट	देब	क्रेडिट	
1	30/12	शुद्ध						
2	30/12	शुद्ध						
3	30/12	शुद्ध						
4	30/12	शुद्ध						
5	30/12	शुद्ध						
6	30/12	शुद्ध						
7	30/12	शुद्ध						
8	30/12	शुद्ध						
9	30/12	शुद्ध						
10	30/12	शुद्ध						

गणपति मठ  
गणपति मठ  
गणपति मठ

गणपति मठ  
गणपति मठ

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	देब/क्रेडिट	शुद्ध		शुद्ध		बैलेंस
				देब	क्रेडिट	देब	क्रेडिट	
1	30/12	शुद्ध						
2	30/12	शुद्ध						
3	30/12	शुद्ध						
4	30/12	शुद्ध						
5	30/12	शुद्ध						
6	30/12	शुद्ध						
7	30/12	शुद्ध						
8	30/12	शुद्ध						
9	30/12	शुद्ध						
10	30/12	शुद्ध						

गणपति मठ  
गणपति मठ  
गणपति मठ

आवदन पर क्रमांक 717  
गणपति मठ  
11 JUL 2025



सर्वोत्तम (सर्वोत्तम) का अंक

सर्वोत्तम का अंक

11.11.2025

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	परीक्षा का अंक		कुल अंक	श्रेणी
				पहला	दूसरा		
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...

Handwritten signature and name in purple ink.

सर्वोत्तम (सर्वोत्तम) का अंक

सर्वोत्तम का अंक

11.11.2025

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	परीक्षा का अंक		कुल अंक	श्रेणी
				पहला	दूसरा		
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...

Handwritten signature and name in purple ink.

Handwritten text at the bottom right corner.







कौतनी मौजा नाला

परगना साधा

राज भारवाड़ संवत् १९८३

१९०३०, १००००

नाम प्राविज मय परिषदत  
कोमियत लकूमत व तिस्सा

सुखत कारत	खसत नम्बर	रकयत		परता	दरियत
		मजुदग्या	गेर मजुदग्या मय प्रित्तम जामीन		
३	४	५	६	७	८

१२० नाडी

१२१ परमठ व समद

देखोनेर काहली का  
पसा ४२६ पर दर्ज है

81

	२६५		२॥		
	३००		१६०॥		
	३०२		२५०२॥		
	५६२		१०॥		
	५६५		१६॥		
	५२०		४॥		
	५२१		६॥		
	५२३		२१॥		
	५२४		१३॥		
	५२६		१६॥		
	५२७		५॥		
	५२८		२०॥		
	५२९		६॥		
	५३०		५॥		
	५३१		२६॥		

खतौनी मौजा नम० परगना साभर

नाम आबिज मय यद्विपत कोमियत सकूनत य दिस्ता	सुरत कारत	खलरा नम्बर	रकबा		परता	हासिल	किस्मती	कक्रियत
			मजूरकबा	गेर मजूरकबा मय क्रिस्म जमीन				
	३	४	५	६	७	८		९
परमठ व समद मजकूर		६२०		६२॥ ४	.			✓
		६२१		३२॥ ३	.			✓
		६२२		२२२५॥ ९	२६२५ ३			✓
		६२३		५१॥ २	.			✓
		६२४		१६०॥ ३	.			✓
		६२६		३६॥ २	.			✓
		६२७		१६॥ ३	.			✓
		६२८		२॥ ४	.			✓
		६२९		४०॥ ९	.			✓
		६३०		३॥ ३	.			✓
		६३१		१४ २	.			✓
		६४३		३२॥ ९	.			✓
		६४४		१०॥ ३	.			✓
		६४५		२॥ २	.			✓
		६४६		१४६४॥ ४				✓

\* देखो तो सामलदास  
खाला ४२८ पर ६३६

खतौनी मौजा नरवा

परगना साभर

राज भारवाड़ संवत् १९६३  
 व. ०००००, ४००००, ३-११-२३

नाम क्राबिज़ मय वल्लियत कौमियत सकूनत व हिस्सा	सुद्धत कायत	खसरो नम्बर	रकबा		परता	हासिल	कफियत
			मज़रुआ	गैर मज़रुआ मय किरान ज़मीन			
	३	४	५	६	७	८	९
परमठ व समर मजकूर		१००५		५२२५ ३			
		१०१०		६४४१ ३			
	मौजात	३९ म-११ २२ ३		१०४२१ ३			

(राज.)

राज. न्यायालय: अपर जिला न्यायाधीश, कुचामनसिटी, जिला नागौर।

87-8-23

पीठासीन अधिकारी :- सुन्दर लाल, खारोल, आर.जे.एस.  
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या:- 26/2023

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड व अन्य

...प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार ज़रिये मुख्य सचिव व अन्य

...प्रतिवादीगण

-:उपस्थित:-

1	वादीगण की ओर से	अधिवक्तागण, श्री मुकेश कुमार अजमेरा: श्री मोहम्मद ईस्लाम
2	प्रतिवादीगण सं०-1, 3, 4 से 7 की ओर से	राजकीय अधिवक्ता, श्री दौलत खॉ
3	प्रतिवादी सं०-2(ii) की ओर से से	अधिवक्ता, श्री विनोद बागड़ा
4	प्रतिवादी सं०-1 (iv) व (v) की ओर से	अधिवक्ता, श्री मोहम्मद हनीफ

प्रार्थना बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :- 27.07.2023

-: आदेश :-

इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण की ओर प्रस्तुत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना का निस्तारण किया जा रहा है।

- 2- प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर यह वर्णित किया गया कि प्रार्थी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है तथा अप्रार्थी संख्या-02 के अधीन व नियन्त्रण में कार्य करती आ रही है, जो कम्पनी अधिनियम, 1953 की धारा 617 के तहत रजिस्टर्ड सरकारी कम्पनी है। प्रार्थी कम्पनी की सहायक कम्पनी सॉभर साल्ट्स लिमिटेड है, जो हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन व नियन्त्रण में सॉभर झील में नमक उत्पादन व वितरण का कार्य करती है। विश्व धरोहर सॉभर झील का कुल क्षेत्रफल 90 वर्गमील से अधिक है। सॉभर झील को वर्ष 1990 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर आर्द्रभूमि(WETLAND) घोषित किया जाकर गिराका आर्द्रभूमि(WETLAND) गैप भी जारी किया गया है, जिसमें सॉभर

राजस्थान न्यायालय

31

27-7-2023

अपर जिला न्यायाधीश  
कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)

हिन्दुस्तान साल्ट व अन्य यमम संवर्धन संरक्षण सं. सं. सं.  
 सीमा-नि विधि प्रमाण संख्या. 26/2023  
 आदेश दिनांक :- 27.07.2023

झील की सीमाओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। वर्ष 1902-03 व 1949-50 में भी भारत सरकार के विभाग सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा ही वर्ष 1902-03 व 1949-50 में साँभर झील की सीमाओं, उसमें गिरने वाली नदी, नालों, नमक उत्पादन क्षेत्र, रेल लाईन, नमक के क्यार, पेन, कुएं, सीमा चिन्ह, मन्दिर व अन्य संरचनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा उक्त संरचनायें आज भी मौके पर स्थित हैं। प्रार्थी कम्पनी व साँभर साल्ट्स लिमिटेड भारत की आम जनता के लिये खाने योग्य उत्तम गुणवत्ता का नमक उत्पादन कर उसका वितरण सम्पूर्ण भारत में करते हैं। सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करने के लिये प्रार्थी के पास राजस्व ग्राम मरकोटी, कोच्या की ढाणी, सागर, गुढा साल्ट बहुत सी भूमियाँ, ऑफिस, लेबर क्वार्टर, ऑफिसर क्वार्टर, बंगले, सर्किट हाऊस, ट्रांजिट हाऊस इत्यादि साल्ट सोर्सज स्थित हैं, जिनका उपयोग-उपभोग कर प्रार्थी कम्पनी, साँभर झील में नमक उत्पादन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करती है। प्रार्थी कम्पनी की सहायक कम्पनी, साँभर साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) साँभर झील में उक्त समस्त सम्पत्तियों व साल्ट सोर्सज का उपयोग, उपभोग कर नमक उत्पादन व उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करती है तथा उक्त समस्त सम्पत्तियों की देख-रेख करती है। सम्पूर्ण झील, उक्त समस्त साल्ट सोर्सज व सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रार्थी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड में निहित है।

- 3- प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित किया है कि आजादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार (तत्कालीन भारत सरकार) द्वारा सम्पूर्ण साँभर झील को जरिये ट्रीटीज वर्ष 1869, 1870 एवं 1879 में जयपुर व जोधपुर दरबार से अधिग्रहण कर नमक उत्पादन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जाने लगा, तब से साँभर झील से सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही हैं। आजादी के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व, आधिपत्य की सम्पूर्ण झील एवं इससे सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ भारतीय संविधान के प्रमाणित विधि 205 के तहत भारत सरकार में उन्हीं संविधानों (ट्रीटीज) के तहत



21/ (8)  
 प्रमुख प्रतिनिधिक  
 नारायण व्याघ्राधीश एव  
 अन्य अधिकारी मजिस्ट्रेट  
 साँभर (राजस्थान) भारत

27-7-2023

अपर जिला न्यायाधीश  
 कचहरी साँभर जिला

संख्या 26/2023  
दिनांक 27.07.2023

निहित हो गयी जिनसे ये पूर्व से अधिशासित थी। वर्ष 1950 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय व राज प्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेंट के अनुसार वर्ष 1960 तक सांभर झील व समस्त साल्ट सोर्सेंज, भारत सरकार को लीज पर दिया गया, जिनका उपयोग कर वर्ष 1960 तक भारत सरकार के साल्ट विभाग द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया गया। इसी दौरान दिनांक 13-01-1959 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्णय पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सांभर झील, डीडवाना झील (राजस्थान) एवं खाराघोड़ा (वम्बई) का साल्ट सोर्सेंज का स्वामित्व व प्रबन्धन हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को हस्तान्तरण कर दिया, तब से प्रार्थी कम्पनी का सांभर झील एवं झील से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। तथा उक्त पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार ही प्रार्थी कम्पनी उक्त समस्त साल्ट सोर्सेंज का उपयोग व उपभोग कर नमक उत्पादन का कार्य करती आ रही है।



4-

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित किया है कि वर्ष 1950 में भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति व राजप्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेंट के समाप्त होने पर भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने राष्ट्रहित को देखते हुए सांभर झील एवं समस्त साल्ट सोर्सेंज से नमक उत्पादन का कार्य करने के लिए भारत सरकार के पक्ष में पूर्व से चली आ रही लीज (ट्रीटीज) को निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात् साल्ट सोर्सेंज पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अदा की जाने वाली रायल्टी को समाप्त करने के लिए सोल-आर्बिट्रेटर श्री वी०टी० कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया, जिन्होंने दोनों सरकारों के पक्ष को सुनने के बाद दिनांक 29-04-1961 को एक अवार्ड पारित कर सांभर झील एवं सांभर झील के समस्त साल्ट सोर्सेंज को 99 वर्ष के लिए भारत सरकार को लीज पर दे दिया गया तथा इसके बदले में भारत सरकार द्वारा रु.5.50 लाख प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को अदा करने का निर्णय किया गया। श्री वी०टी० कृष्णमाचारी द्वारा जारी अवार्ड को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार करने के पश्चात् उक्त अवार्ड को दिनांक 19.08.1961 को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया गया। श्री वी. टी. कृष्णमाचारी

3 प्रामाणिक प्रतिलिपि

(2)

प्रमुख ( मुख्य प्रतिलिपि )  
संयुक्त सिविल न्यायाधीश एवं  
अति. मुख्य न्यायिक अधिकारी  
कृष्णमाचारी (दाखर) राज

27.7.2023  
अपर जिला न्यायाधीश  
कृष्णमाचारी सिटी जिला नगर (राज)

अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन के तहत वादी कम्पनी की सहायक कम्पनी साँगर साल्ट लिमिटेड का गठन किया गया तथा साँगर झील, झील के समस्त साल्ट रोसेज व सम्पत्तियों का 550 लाख रुपये तीज रेंट प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को वादी कम्पनी द्वारा अदा किया जा रहा है। उक्त श्री वी०टी० कृष्णामाचारी अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन 1961 आज भी प्रभावी है तथा दोनों सरकारों पर बाध्यकारी है।

- 5- प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित किया है कि विवादित पुराने आरजी खसरा नम्बर नि. 300, 302, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 856, 587, 588, 589, 590, 591, 620, 621, नि. 622, 623, 625, 626, 527, 527, 629, 630 व 631, 643, 644, 645, 996, 1009, 1010 कुल किता 21 रकबा 9043 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नांवा में स्थित है तथा उक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 1981 में परमठ व समन्द दर्ज है तथा उक्त किस्म अपरिवर्तनशील है। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 1781 लगायत 1788, 1173, 1175, 1176, व 1180 लगायत 1193, 1195 एवं 1203 लगायत 1209, 1805, 1807, 1873/1188, 1874/1191, 1937/1805, 1938/1805, 1953/1805, 1941/1203, 1954/1203, 1983/1805 लगायत 1988/1805, 1790, 1797 लगायत 1803, 1174 है। वर्ष 1983 में तहसीलदार नांवा द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को भेजी गई सूचना में ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 302 रकबा 2508 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन समन्द, खसरा नम्बर 996/1 रकबा 90 बीघा 13 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन समन्द, खसरा नम्बर 1009/88 रकबा 582 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 1010/622 रकबा 694 बीघा 13 बिस्वा गैर मुमकिन समन्द, खसरा नम्बर 622 रकबा 2693 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 996 रकबा 1419 बीघा भूमि को स्पष्ट तौर पर माना है कि उक्त भूमि का रकबा साँगर झील में आता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि साँगर झील की भूमि है, जिसमें राज्य सरकार व अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है।

- 6- प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर: 7 में वर्णित विवादित झील की भूमि को प्रथम सेटलमेन्ट के समय

4 | Page

(3)

Signature  
27.7.2023

74

अपर जिला न्यायाधीश  
मुद्रागत रिजर्व बैंक साँगर (राज.)

विशेषज्ञता प्राप्त व अन्य कानून अनुपालन सम्बन्धित व अन्य  
 दिनांक 14-02-2023  
 दिनांक 27-07-2023

सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती व मौका स्थिति के निमित्त जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजकीय शिवायचक भूमि दर्ज कर दिया गया है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के उक्त भूमि की अपरिवर्तनशील किस्म को परिवर्तन कर दिया गया, जो कतई गैर कानूनी है। जबकि उक्त भूमि साँभर झील की अग्नि भूमि है तथा वारिश्त के सम्यक् उक्त भूमि पर पानी का भराव होता है, जिसका उपयोग, उपभोग कर कम्पनी द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। खसरा नम्बर 996 के नये खसरा नम्बर 2111/1803, 1800 व खसरा नम्बर: 622 के नये खसरा नम्बर 1805 में अतिक्रमणकारियों द्वारा कर नये खारड़ों का निर्माण, अवैध नमक उत्पादन करने के लिये बनाये जा रहे हैं। खसरा नम्बर 996 मि. में बने चालीस मोरा जिसमें होकर मिण्डा नदी साँभर झील में आती है, के बीच व चालीस मोरा के सामने दिनांक 14-02-2023 से चोरी-छीपे रात्री के समय भारी मशीनों, जेसीबी, ट्रक्टरों की मदद से नमक के अवैध खरड़ों व कमरे का निर्माण किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या-7 खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये साँभर झील आर्द्रभूमि(WETLAND) की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि पर मिट्टी दोहन करने की अनुमति अपने आदेश संख्या 989, 993 दिनांक 21-03-2023 व आदेश संख्या 1850 दिनांक 05-06-2023 को प्रदान की गयी है। उक्त आदेशों व किये जा रहे अतिक्रमणों के सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी ने जिला कलेक्टर नागौर, उपखण्ड अधिकारी नावां व तहसील नावां को अनेक बार शिकायतें दी जाकर झील की मिट्टी के अवैध दोहन व अवैध नमक उत्पादन के नये खारड़ों के निर्माण को रोकवाने हेतु पत्र दिये गये हैं, परन्तु आज दिन तक अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 5 व 6 द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे आर्द्रभूमि(WETLAND) रूल्स-2017 की अवहेलना हो रही है।

- 7- प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 15-08-1947 से पूर्व स्थिति, नदी, नालों की भूमि जिसे दिनांक 15-08-1947 के पश्चात् उनवी किस्म या

प्रमाणित प्रतिलिपि

5 | Page

प्रस्तुत (मुख्य प्रतिलिपि)  
 राज्य न्यायाधीश एवं  
 अन्य मुख्य न्यायिक अधिकारियों

अपर जिला न्यायाधीश  
 मुचामन सिद्धांत नागौर (राज.)

विशेष आदेश नं. 3/2023  
 दिनांक 27/07/2023  
 आदेश दिनांक 27/07/2023

राजस्व रिकार्ड में उनकी स्थिति को परिवर्तन किया जाकर किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण या भूमि की किरम को परिवर्तन कर दिया गया है तो उनको निरस्त कर दिनांक 15-08-1947 की स्थिति पुनः बहाल की जावे तथा इस प्रकार की भूमि पर से रागरत अतिक्रमण हटाये जावे। इस सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये गये, किन्तु जिला कलेक्टर नागौर, उपखण्ड अधिकारी नावा व तहसीलदार नावा तथा अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6 व 7 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राजस्व गुप (4) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक P.8 (5) राज./4/2000 जयपुर दिनांक 22-11-2002 द्वारा खुदकाशत आयुक्त व समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश दिये गये थे कि भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाशत भूमि का आवंटन किसी भी जिले में न किया जाकर नियमानुसार इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में इस प्रयोजन हेतु आरक्षित क्षेत्र में ही किया जावेगा। इसके बावजूद साँभर झील आर्द्रभूमि(WETLAND) भूमि का आवंटन खुदकाशत आयुक्त द्वारा किये गये है, जो विधि के विपरित होने से प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित किया है कि राजस्व गुप-(3) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक P.3(24) राज-3/02 जयपुर दिनांक 27-12-02 जयपुर द्वारा जिला कलेक्टर नागौर को आदेशित किया गया है कि साँभर साल्ट्स के लवण क्षेत्र में भूमि आवंटित नहीं की जाये। यदि लवण क्षेत्र में कोई आवंटन हुआ है तो कब्जा नहीं देवे। इसके पश्चात् उद्योग (गुप-2) विभाग राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18-10-2004 द्वारा निर्देशित किया गया कि साँभर साल्ट लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को किया गया आवंटन रद्द किये जाने की कार्यवाही करावे। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित भूमि साँभर झील आर्द्रभूमि(WETLAND) की भूमि है। आर्द्रभूमि(WETLAND) की भूमि पर अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण करने पर उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने के कारण साँभर झील के इकोलोजिकल सिस्टम पर गम्भीर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा झील का काफी बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है।

6 | Page प्रकाशित प्रतिलिपि

3) प्रतिलिपि  
 जिला कलेक्टर नागौर

2023  
 अपर सिल्ली (सायाधोश)  
 युवायन शिबी जिला नागौर (राज.)

भारत सरकार द्वारा जारी की गयी  
 प्रविष्टि कर विधि 1987 के तहत  
 प्रविष्टि कर विधि 1987 के तहत  
 प्रविष्टि कर विधि 1987 के तहत

हिन्दुस्तान साल्ट व अन्य खाद्य महामुक्त नमक व अन्य  
 विन्यास विधि प्रकरण संख्या 26/2023  
 आदेश दिनांक - 21/07/2023

9- प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को इस आशय की अंतिम अध्यादेश निष्काशना से  
 पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है कि दौरान वार रॉगर ड्रील  
 आर्द्रभूमि(WETLAND) गेप की सीमाओं के भीतर प्रार्थना पत्र के सद  
 संख्या- 8 में वर्णित भूमि में किये जा रहे अतिम मिट्टी के दोहन व  
 अवैध रूप से बनाये जा रहे नमक के खारखी को रोकना जाये तथा रॉगर  
 ड्रील आर्द्रभूमि(WETLAND) के महत्व को देखते हुए दीण्डा नदी व 60  
 मीटर के मध्य किये जा रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने के आदेश  
 प्रदान करें, ताकि निकट भविष्य में होने वाली मानसून की दौरे का पानी  
 रॉगर ड्रील में पूर्ण मुक्त प्रवाह से ड्रील में आ सके और ड्रील के  
 इकोलोजिकल सिस्टम को सुरक्षित रखने के आदेश प्रदान करें। रॉगर ड्रील  
 आर्द्रभूमि(WETLAND) गेप की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि को किसी  
 क्षीण व्यक्ति या संस्था को आवंटन, हस्तान्तरित ना करें। ना ही प्रार्थी  
 कंपनी को उक्त भूमि पर से बेदखल करें और ना ही उसके उपयोग  
 उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न करें।

10- अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर  
 सीधे मौखिक बहस का निवेदन किया गया।  
 11- बहस समाप्त समय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
 12- बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत  
 प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये यह तर्क दिये है कि  
 प्रार्थी कंपनी रॉगर साल्ट्स लिमिटेड भारत की आम जनता के लिये खाने  
 योग्य उत्तम गुणवत्ता का नमक उत्पादन कर उसका वितरण सम्पूर्ण भारत  
 में करती है, जिसे हेतु रॉगर स्थित कार्यालय में विभिन्न प्रशासनिक एवं  
 आवश्यक भवनों का निर्माण किया गया है। आजादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार  
 द्वारा सम्पूर्ण रॉगर ड्रील को जारिये ड्रीटीज वर्ष 1869, 1870 एवं 1879 में  
 जयपुर व जोधपुर दरबार से अधिग्रहण कर नमक उत्पादन एवं उससे  
 सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जाने लगा। वर्ष 1950 में भारत  
 के महामहिम राष्ट्रपति व राजप्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के समाप्त होने  
 पर भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने राष्ट्रहित को देखते हुये रॉगर  
 ड्रील एवं रॉगर साल्ट रॉरीज से नमक उत्पादन का कार्य करने के लिए



21/07/2023  
 (3)

अधिवक्ता, अप्रार्थीगण  
 अतिरिक्त अधिवक्ता, अप्रार्थीगण  
 अतिरिक्त अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

*(Signature)*  
 अपर अधिवक्ता, अप्रार्थीगण  
 कुचामन सिन्धी सिआ नागौर (राज.)



प्रमाणित प्रतिलिपि  
 (1/15/23) का प्रमाण  
 प्रमाणित प्रतिलिपि  
 प्रमाणित प्रतिलिपि  
 प्रमाणित प्रतिलिपि

विशेष न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश

आर्द्रभूमि(WETLAND) की सीमाओं के भीतर मिट्टी दोहन करने की अनुमति अवैध रूप से प्रदान की गयी है, जिससे आर्द्रभूमि(WETLAND) रूल्स-2017 की अवहेलना हो रही है तथा साँभर झील के इकोलोजिकल सिस्टम पर गम्भीर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार व अन्य को समय-समय पर आवेदन प्रेषित किये, लेकिन उनके द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः अग्रार्थीगण को इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि साँभर झील आर्द्रभूमि(WETLAND) मैप की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति या संस्था को आवंटन, हस्तान्तरित ना करे। ना ही प्रार्थी कम्पनी को उक्त भूमि पर से वेदखल करे और ना ही उसके उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं:-

1. 2023(1) DNJ (Raj) 188 Prem singh & Ors Vs. Gautam & Ors.
2. 2023(1) DNJ (Raj.) 191, Suman devi sharma & Ors. Vs. Kukmaram & Ors.
3. 2021(2) RRT 1204, Lachhmi Naranin Singh through L.rs. & Ors. Vs. Sarjug singh.
4. 2022(2) RRT 1217 State Vs. Rameshwar
5. 2022(2) RRT 1219, Bhanwar Lal Vs. Nanuram & Ors.
6. 2019(2) CJ(Civ) (Raj)905, Girish kumar Vs. Rajesh kumar & Ors.
7. 2019(1) CJ(Civ)(Raj) 135, Santosh Boobna Vs. Ramavtar Kandoi & Anr.
8. 2018(2) CJ (Civ) (Raj) 1317 Badrikashram joshi, Charitable trust jaipur Vs. R.D. Baheti Charitable Trust, Jaipur & Anr.

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रस्तुत प्रतिलिपि  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश

अपर जिला न्यायाधीश  
 न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश

हिन्दुस्तान सरकार व अन्य नवान राजस्थान सरकार व अन्य  
 चीमनी विधि प्रकरण संख्या 26/2023  
 आदेश दिनांक :- 27 07 2023

9. 2018(3) CJ (Civ) (Raj) 1850 Swati bhatia Vs  
 Lalit upadhyay shastri & Anr.
10. 2016 (1) CJ (Civ) (Raj) 69 Shahrukh khan Vs.  
 Ismail @ Munna
11. 2016(20) CJ (Civ) (Raj) 822, Manak Chand Vs.  
 Sampat Rai & Ors.

इसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से यह तर्क रहा है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या-8 में जिन खसरा नम्बरान की भूमि का उल्लेख किया है, उनके सम्बन्ध में कोई स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थी कम्पनी को प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थीगण की कम्पनी को मात्र नमक उत्पादन करने के लिये भारत सरकार व राज्य सरकार की सहमति से अधि किया गया था। जिन खसरा नम्बरान की भूमि का उल्लेख उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में किया गया है, उनके स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण प्रार्थीगण को वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि में कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में समय-समय पर अपने स्वामित्व व अधिकार घोषित करवाये जाने बाबत विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की गयी थीं, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रार्थीगण की याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया था, जिनसे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण को सांभर लेक पर किसी भी प्रकार का स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादग्रस्त स्थान पर काश्तकारों की भूमियाँ स्थित हैं, जिनमें उनके द्वारा कृषि व नमक उत्पादन का व्यवसाय कर जिविकोपार्जन करते हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई स्वामित्व व आधिपत्य नहीं होने से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सांभर झील एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को आर्द्रभूमि (WETLAND) घोषित किया गया है और न ही इसके सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी की



विस्तृत विवरण संख्या: 2767/2023  
 दिनांक: 27/07/2023  
 अदालत संख्या - 2767/2023

गयी है। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जो भी आदेश किये गये हैं, वे विधि के प्रावधानों व मौकों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये किये गये हैं। इसलिये प्रार्थीगण इस स्तर पर किसी भी प्रकार का अंतरिम व्यादेश का अनुतोप प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण की अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं:-

1. Civil revision Petition No. 955/99 Decided on 08-09-1999 (Rajasthan) Chief general Manager state bank of India and others Vs. Brij mohan shukla.
2. 1997 DNJ (SC) 6, Hanumam thappa Vs. muninrayanappa.
3. 2014(1) civil Court Cases 327 Raj, Chotu meena Vs. M/s osho Real Estate & Ors.
4. AIR 1999 Raj 361, pirtha singh Vs. Laxman singh and ors.
5. D.B. Civil Writ Petition No. 48/2022 Decided On 14-07-2022 Jaisa Ram V/s State of Rajasthan.
6. 1983 AIR (SC) 1272 Cotton Corporation of India Limited V/s United Industrial Bank Limited ans Ors.

14- उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों की की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन कर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया।

15- प्रार्थीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की संख्या-8 में वर्णित

प्रमाणित प्रतिलिपि

(39)

प्रस्तुत ( मुख्य प्रतिलिपि )  
 नरिष्ट सिविल न्यायाधीश एव

अपर न्यायाधीश  
 कुचमन सिटी जिला न्यायाधीश (राज.)

विद्यमान सांभर व अन्य नमक उत्पादन राजस्थान व अन्य  
 क्षेत्रों में विभिन्न दिनांक 26/7/2023  
 आदेश दिनांक 27/07/2023

रक्या की आराजिमात सांभर झील की भूमि छोकर सांभर झील को  
 आर्द्रभूमि(WETLAND) घोषित कर आर्द्रभूमि (WETLAND) गेप जारी  
 किया जाकर उक्त गेप को समयसमय अगिसमय में अंगीकार होना बताया है।  
 अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि/सांभर झील आर्द्रभूमि(WETLAND) में  
 अवैध रूप से अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण व भूमि पर कब्जे  
 किये जाने, अवैध नगक खारड़ों का निर्माण किये जाने तथा झील की भूमि  
 से अवैध गिट्टी का दोहन किये जाने से उनको रोके जाने का निवेदन  
 किया है।

16- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दरतावेज सांभर झील सन्धि जयपुर दिनांक  
 07-08-1869, सांभर झील सन्धि जयपुर दिनांक 15-02-1870, सांभर झील  
 सन्धि 26-07-1870, भारतसंधि व राजप्रमुख राजस्थान के मध्य हुई सन्धि  
 दिनांक 25-02-1950 के अनुसार सांभर झील में नमक उत्पादन किये जाने  
 का अधिकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सांभर साल्ट को प्रदान किये जाने के  
 तथ्य परिलक्षित होते हैं।



17- इसी प्रकार वी.टी.कृष्णाचारि अवार्ड दिनांक 29-04-1961 के अनुसार  
 वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय भारत सरकार व राजस्थान सरकार के मध्य  
 नमक उत्पादन की लीज होने का तथ्य दर्शित होता है। गजट  
 नोटिफिकेशन 1961, 1976-9ए के अनुसार झील की सम्पूर्ण भूमि को सांभर  
 साल्ट को लीज पर दिये जाने का तथ्य परिलक्षित होता है। ट्रांसफर ऑफ  
 पजेशन लेटर विथ लिस्ट ऑफ फिल्ड दिनांक 13-02-1924 के अनुसार  
 उसमें वर्णित भूमि में नमक उत्पादन का प्राधिकार सांभर साल्ट को प्रदान  
 किये जाने का तथ्य परिलक्षित होता है।

18- प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दरतावेज राजस्थान सरकार, राजस्व(गुप-3)  
 विभाग के पत्रांक प.3(24) राज-3/02, जयपुर दिनांक 27-12-2002 के  
 अनुसार सांभर साल्ट की भूमि को किसी अन्य को आवंटित नहीं करने,  
 राजस्थान सरकार, उद्योग(गुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 18-10-2004  
 के अनुसार सांभर साल्ट लिमिटेड को लीज पर दी गयी भूमि का अन्य  
 किसी को किया गया आवंटन रद्द किये जाने और तपखण्ड अधिकारी  
 परवतसार के आदेश दिनांक 18-06-1990 के अनुसार उरा क्षेत्र से

12/11/2023 प्रस्तावित प्रतिनिधि

प्रस्तुत : (3) प्रस्तावित प्रतिनिधि

अपर जिला अधिकारी  
 सांभर जिला सांभर (राज.)

हिन्दुस्तान साल्ट व अन्य वनाम साजसज्जा सरकार व अन्य  
दीवानी विधि प्रकरण संख्या. 26/2023  
आदेश दिनांक :- 27.07.2023

- अतिक्रमण हटाने के सम्यन्ध में आदेशित किया जाना परिलक्षित होता है।
- 19- प्रार्थीगण की ओर से आर्द्रभूमि(WETLAND)रूल्स, गजट नोटिफिकेशन, 2017, सांभर साल्ट मैनेजमेंट कमेटी, 2021 से सम्बंधित जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी कम्पनी को वादग्रस्त भूमि से नमक उत्पादन करने का प्राधिकार दिये जाने के तथ्य परिलक्षित होते है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 27-12-2002 एवं दिनांक 18-10-2004 के अनुसार वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को अंतरित नहीं किए जाने बाबत आदेश पारित किया गया है। अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होता है कि सांभर साल्ट को लीज पर दी गयी भूमि आर्द्रभूमि(WETLAND) की श्रेणी में आती है। यदि उक्त भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर किसी प्रकार की व्यावसायिक, वाणिज्यिक या कृषि सम्बन्धी गतिविधियों सम्पादित की जाती है तो वहाँ के पारिस्थितिकीय तंत्र के विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना रहेगी। प्रार्थीगण के अभिवचनों, प्रस्तुत फोटोज व अन्य दस्तावेजात से मिण्डा नदी के जलमार्ग तथा उसके आस-पास निजी व्यक्तियों द्वारा निर्माण कार्य किये जाने का तथ्य परिलक्षित होता है। यदि नदी के बहाव क्षेत्र व उसके आस-पास के स्थानों पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य किये जाते है अथवा वहाँ से मिट्टी एवं अन्य खनिजों का उत्खनन कर निर्गमन किया जाता है तो उससे नदी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र के अवरुद्ध होकर सीमित होने की सम्भावना विद्यमान रहेगी। इसलिये इस स्तर पर अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
- 20- फलतः प्रार्थीगण/वादीगण की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रस्तुत कर (मुद्रक प्रतिलिपि),  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
मुयासल सिटी (नागौर) राज.  
13 | Page

  
27-7-2023  
(सुन्दर लाल खारोल)  
अपर जिला न्यायाधीश, कुर्घा मैनेसिटी  
कुचागड जिला नागौर (राज.)

हिन्दुस्तान टाइम्स व अन्य कम्पन राजस्थान सरकार व अन्य  
कीवकी विधि प्रकरण संख्या: 26/2023  
आदेश दिनांक :- 27.07.2023

21- आदेश आज दिनांक 27.07.2023 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर  
हस्ताक्षरित मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

*(Handwritten signature)*  
27-7-2023

(सुन्दर लाल खारोल)  
अपर जिला न्यायाधीश कुचेरियासिटी  
कुचापनजिला मोगेर (राज.)



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रस्तुत है (मुख्य प्रतिलिपि)  
करिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
अति-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
कुचापन जिला मोगेर (राज.)

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय तहसीलदार नावां जिला डीडवाना-कुचामन

क्रमांक/राजस्व/2023-24/1197

दिनांक:- 2.2.2024

प्रेषित:-

हल्का पटवारी  
नावां, खारडियां, जालीनगर

विषय :- माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा स्थगन आदेश की पालना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जिला जयपुर के उनवानी प्रकरण हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 92/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2023 को राजस्व ग्राम सांभर झील नावां खसरा नम्बर 01 व अन्य विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व अंतरित नहीं करने के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन आदेश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित खसरान पर राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन आदेश का अंकन कर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
तहसीलदार नावां  
डीडवाना-कुचामन  
राजस्थान सरकार  
जिला डीडवाना-कुचामन

	<p>न्यायालय:- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जिला-जयपुर</p> <p>हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण सं - 92 / 2023</p>	<p>22 DEC 2023</p>
तारीख	पीठारीन अधिकारी के तघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
21.12.2023	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05, 06 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01, 07, 08, 10, 11 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पूर्व तारीख पेशी पर वहस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गयी थी।</p> <p>दौराने वहस अधिवक्ता प्रार्थीगण के मुख्य रूप से यह तर्क रहे कि प्रार्थी कंपनी सांभरझील में नमक उत्पादन व उससे संबंधित गतिविधियों का संचालन करती है। सांभरझील का क्षेत्रफल 90 वर्गमील से अधिक है। झील को वर्ष 1990 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड घोषित किया जाकर झील का वेटलैंड में भी जारी किया गया है, जिसमें झील की सीमाओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। दिनांक 29.04.61 को एक अवार्ड पारित कर सांभर झील एवं सांभर झील के समस्त साल्ट सोर्सज को 99 वर्ष के लिए भारत सरकार को लीज पर दे दिया गया। सांभर झील वेटलैंड के पुराने में 1902-03 व 1949-50 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं जिनमें झील की वास्तविक सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उक्त में को राज्य सरकार व भारत सरकार ने भी मान्यता प्रदान की है। उक्त में को आधार पर ही सांभर झील को रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड घोषित किया गया है। परंतु अब अप्रार्थीगण द्वारा सांभर झील की भूमि को अवैध रूप से अन्य ध्यवित्तियों/संस्थाओं को आवंटित किया जा रहा है। जिसे रोका जाना आवश्यक है। यद्यपि अप्रार्थीसंख्या 09, 02(i)(ii) की तामील नही हुई है परंतु उनके विरुद्ध उन्होंने कोई रिलीफ नही चाहा है।</p> <p>इसके विपरित अप्रार्थीसंख्या 2, 3, 4, 5, 6 के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिए कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की भूमि है जिस पर वे नियमानुसार सीमांकन कर रहे हैं। उन्हे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाना चाहिए।</p> <p>सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि सांभर झील क्षेत्र एक प्राकृतिक वेटलैंड क्षेत्र है तथा सांभर झील रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड भी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना भी मौजूद है, जिसमें वेटलैंड भूमि की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार की नॉन वेटलैंड एक्टिविटी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर उद्योग विभाग का पत्र दिनांकित 19.01.2004 भी मौजूद है। जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिख गया है कि भूमि सांभर साल्ट लिमिटेड को लीज पर होने कि स्थिति में राजकीय सिवाय चक कृषि भूमि नही है तथा खुद फारत के लिए आवंटन के लिए भी उपलब्ध नही है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के खंड में वर्तमान प्रकरण पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। यद्यपि अप्रार्थीसंख्या 09, 02(i)(ii) की तामील नही हुई है तथापि उनके विरुद्ध प्रार्थीगण ने कोई मुख्य अनुतोष(रिलीफ) नही चाहा है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विवादग्रस्त भूमि को सुरक्षित व संरक्षित किए जाने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिमअस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 को आगामी आदेश तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे सांभर झील वेटलैंड</p>	




संख्या 92/2023  
मुख्य प्रतिनिधि  
प्रतिनिधि द्वारा  
अधिवक्ता न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट  
सांभर लेक, जयपुर

का सीमांकन सांगर झील वेटलैंड मैप वर्ष 1990 के अतिरिक्त किसी मैप से न करे तथा प्रार्थना पत्र के मद संख्या 25 में वर्णित खसरा नं० राजस्व ग्राम सौंनर झीला भुलेरा के खसरा नं० 01 एवं राजस्व ग्राम सांगर झील नाया के खसरा नं० 01 की भूमि एवं सांगर झील की प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित भूमि के पुराने खसरा नं० मि.300, 302, 678, 679, 680, 681, 683, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 643, 644, 645, मि. 998, 1009, 1010, कुल किता 31 कुल रकबा 9043 बीघा 10 बीस्वा तथा नये खसरा नं० 1781 लगायत 1788, 1173, 1175, 1176 य 1180 लगायत 1183, 1195 एवं 1203 लगायत 1209, 1805, 1807, 1875/1198, 1874/1191, 1937/1805, 1938/1805, 1953/1805, 1941/1203, 1954/1203, 1983/1805 लगायत 1988/1805, 1790, 1797 लगायत 1803, 1174 जो नावां में स्थित है तथा ग्राम खारडिया के खसरा नं० 150, 152 किता 2 रकबा 295 बीघा 15 बीस्वा, ग्राम जाब्दीनगर के खसरा नं० 122, 118, 117, 13/1, 13, 12, 6 कुल किता 07 रकबा 923 बीघा 09 बिस्वा, ग्राम सिनोदिया जिला अजमेर के खसरा नं० 412 लगायत 415 कुल किता 4 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा ग्राम आउ के खसरा नं० 1, 65, 112, 125, 135/1, 168, 169, 170, 176, 177, 179, 180 में वर्णित भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा अंतरित ना करे।

जयपुरी पासो पेश होने जयाय टी0आइ0/तदवी अत्रनी र.अ. 03.  
02(i)(ii) दिनांक 30.01.2024 को पेश हो।

*Rahul*  
21.12.2023  
मि.वि.स. जयपुरी एवं जयपुरी मंडिस्ट्रेट  
सांगर लेक, जयपुर जिला





जयपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुचामन शहर  
जिला नागौर।

वाद पत्र नम्बर: /2023

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01 जाप्ता दीवानी

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) पता  
जी0-229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302022 जरिये  
प्राधिकृत अधिकारी

साँभर साल्ट्स लिमिटेड (सहायक कम्पनी), हिन्दुस्तान साल्ट्स  
लिमिटेड, साँभर लेक, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

वादी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये-

- (i) मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (ii) प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय जयपुर।
- (iii) जिला कलेक्टर, नागौर जिला नागौर।
- (iv) उपखण्ड अधिकारी, नावां जिला नागौर।
- (v) तहसीलदार, तहसील नावां जिला नागौर।

भारत संघ जरिये-

- (i) सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, रानी मार्ग, नई  
दिल्ली।
- (ii) कमिश्नर, लवण विभाग, झालाना झूंगरी, जयपुर 302004
- (3) सचिव, राजस्थान स्टेट वेटलैण्ड ऑथोरिटी, कमरा नम्बर:  
8236 द्वितीय तल, एस0 एस0 ओ0 बिल्डिंग, सचिवालय,  
जयपुर।
- (4) सचिव, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति एवं वन और जलवायु  
परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साँभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी,  
कमरा नम्बर: 8325, उ. प. भवन, तृतीय तल, शासन  
सचिवालय, जयपुर।

↓

- उक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साँभर लोक ननैजमेन्ट एजेन्सी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कुचामन सिटी, नागौर।
- (7) खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, मकराना, जिला नागौर।

प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा बाबत।

मान्यवर जी,

वादी कम्पनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है तथा प्रतिवादी संख्या: 02 के अधीन व नियन्त्रण में कार्य करती आ रही है जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के तहत रजिस्टर्ड सरकारी कम्पनी है जिसका मुख्य कार्यालय जी0 229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। वादी कम्पनी की सहायक कम्पनी साँभर साल्ट्स लिमिटेड है, जो हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधिन व नियन्त्रण में साँभर झील में नमक उत्पादन व वितरण का कार्य करती है, जिसका स्थानीय कार्यालय रावण टीबा, साँभर लोक, जिला जयपुर पिन 303604 में स्थित है। दोनो वादी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी श्री विकास यादव, वरिष्ठ प्रबन्धक (लीगल) को वादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा अपनी बैठक संख्या 288 दिनांक 01.06.2012 के रेज्युलेशन नम्बर 288.4 के द्वारा वादी कम्पनी की ओर से उक्त वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, जबाब-उल-जबाब, वकालतनामा एवं अन्य समस्त

↓

वाही करने के लिये अधिकृत किया गया है जो अधिकारी है।

यह कि विश्व धरोहर साँभर झील जयपुर जिले की फुलेरा तहसील, नागौर जिले की नावा तहसील व अजमेर जिले की रूपनगढ़ (किशनगढ़) तहसील के गांवों में विस्तृत रूप से फैली हुई है तथा 26°, 52' 31" to 27°, 01' 57" N Latitude एवं 74°, 53' 47" to 75°, 13' 41" E Longitude में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्गमील से अधिक है। साँभर झील को वर्ष 1990 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर वेटलेण्ड घोषित किया जाकर जिसका वेटलैण्ड मेप भी जारी किया गया है। जिसमें साँभर झील की सीमाओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। वर्ष 1902-03 व 1949-50 में भी भारत सरकार के विभाग सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा ही वर्ष 1902-03 व 1949-50 में साँभर झील की सीमाओं, उसमें गिरने वाली नदियों, नालों, नमक उत्पादन क्षेत्र, रेल लाईन, नमक के क्यार, पेन, कुएं, सीमा चिन्ह, मन्दिर व अन्य संरचनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा उक्त संरचनायें आज भी मौके पर स्थित है।

यह कि वादी कम्पनी व साँभर साल्ट्स लिमिटेड भारत की आम जनता के लिये खाने योग्य उत्तम गुणवत्ता का नमक उत्पादन साँभर झील में कर उसका वितरण सम्पूर्ण भारत वर्ष में करते है। नमक उत्पादन व उससे सम्बन्धित गतिविधियों को सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये वादी के पास राजस्व ग्राम बरडोटी, कोच्या की ढाणी, साँभर, गुढ़ा साल्ट, नावां में बहुतसी भूमियाँ ऑफिस, लेबर क्वार्टर, ऑफिसर क्वार्टर, बंगले, सर्किट हाऊस, ट्राजिट हाऊस इत्यादि साल्ट सोर्सज

↓

की उपयोग, उपभोग कर यादी कम्पनी, साँभर व नमक उत्पादन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करती है। साँभर झील जयपुर जिले की फुलेरा तहसील, नागौर जिले की गावां तहसील व अजमेर जिले की रूपनगढ़ (किशनगढ़) तहसील के गांवों में फैली हुई है। यादी कम्पनी की सहायक कम्पनी, साँभर साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) साँभर झील में उक्त समस्त सम्पत्तियों व साल्ट सोर्सिज का उपयोग, उपभोग कर नमक उत्पादन व उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करती है तथा उक्त समस्त सम्पत्तियों की देख-रेख करती है। सम्पूर्ण झील, उक्त समस्त साल्ट सोर्सिज व सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य यादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड में निहित है।

यह कि आजादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार (तत्कालीन भारत सरकार) द्वारा सम्पूर्ण साँभर झील को जरिये ट्रीटीज वर्ष 1869, 1870 एवं 1879 में जयपुर व जोधपुर दरबार से अधिगृहण कर नमक उत्पादन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जाने लगा, तब से साँभर झील से सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही हैं। आजादी के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व, आधिपत्य की सम्पूर्ण झील एवं इससे सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-295 के तहत भारत सरकार में उन्ही संविधानों (ट्रीटीज) के तहत निहित हो गयी जिनसे वे पूर्व से अधिशासित थी। वर्ष 1950 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय व राज प्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के अनुसार वर्ष 1960 तक साँभर झील व समस्त साल्ट सोर्सिज,

↓

को लीज पर दिया गया, जिनका उपयोग कर 1960 तक भारत सरकार के साल्ट विभाग द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया गया।

यह कि इसी दौरान दिनांक 13/01/1959 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्णय पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने साँभर झील, डीडवाना झील (राजस्थान) एवं खाराघोड़ा (बम्बई) का साल्ट सोर्सेंज का स्वामित्व व प्रबन्धन, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को हस्तान्तरण कर दिया, तब से वादी कम्पनी का साँभर झील एवं झील से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। तथा उक्त पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार ही वादी कम्पनी उक्त समस्त साल्ट सोर्सेंज का उपयोग व उपभोग कर नमक उत्पादन का कार्य करती आ रही है।

यह कि इसी दौरान वर्ष 1950 में भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति व राजप्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के समाप्त होने पर भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने राष्ट्रहित को देखते हुए साँभर झील एवं समस्त साल्ट सोर्सेंज से नमक उत्पादन का कार्य करने के लिए भारत सरकार के पक्ष में पूर्व से चली आ रही लीज (ट्रीटीज) को निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात् साल्ट सोर्सेंज पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अदा की जाने वाली रायल्टी को समाप्त करने के लिए सोल-आर्बिट्रेटर श्री वी० टी० कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया जिन्होंने दोनो सरकारों के पक्ष को सुनने के बाद दिनांक 29-04-1961 को एक अवार्ड पारित कर साँभर झील एवं साँभर झील के समस्त साल्ट सोर्सेंज को 99 वर्ष के

↓

सरकार को लीज पर दे दिया गया तथा इसके  
 में भारत सरकार द्वारा रु. 5.50 लाख प्रतिवर्ष राजस्थान  
 सरकार को अदा करने का निर्णय किया गया तथा इसके बदले  
 राज्य सरकार झील में फ्री फ्लो वाटर (निर्बाध पानी)  
 निश्चित करेगी तथा रॉयल्टी को समाप्त कर उसके सम्पूर्ण  
 कम्पनशेसन के रूप में वादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड  
 द्वारा स्थापित की जाने वाली नई सहायक कम्पनी (साँभर साल्ट  
 लिमिटेड) के 40 प्रतिशत फ्री-पेडअप केपिटल शेयर राजस्थान  
 सरकार को जारी किये जायेंगे और राजस्थान सरकार के अन्य  
 समस्त क्लेम अस्वीकार कर दिये गये। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी  
 द्वारा जारी अवार्ड को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार करने के  
 पश्चात उक्त अवार्ड को दिनांक 19.08.1961 को भारत सरकार  
 के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया गया। श्री वी.टी.  
 कृष्णमाचारी अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन के तहत वादी  
 कम्पनी की सहायक कम्पनी, साँभर साल्ट लिमिटेड का गठन  
 किया गया तथा साँभर झील, झील के समस्त साल्ट सॉसेज व  
 सम्पतियों का 5.50 लाख रूपये लीज रेन्ट प्रतिवर्ष राजस्थान  
 सरकार को वादी कम्पनी द्वारा अदा किया जा रहा है। उक्त  
 श्री वी० टी० कृष्णमाचारी अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन 1961  
 आज भी प्रभावी है तथा दोनो सरकारो पर बाध्यकारी है।

यह कि विवादित पुराने आरजी खसरा नम्बर मि. 300 रकबा  
 170 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 302 रकबा 2508 बीघा 6  
 बिस्वा, खसरा नम्बर 578 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा  
 नम्बर 579 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 580 रकबा  
 4 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 581 रकबा 8 बिस्वा, खसरा

15

बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 856 रकबा 16 बीघा 15  
 बिस्वा, खसरा नम्बर 587 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा  
 नम्बर 588 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 589 रकबा  
 51 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 590 रकबा 51 बीघा 3 बिस्वा,  
 खसरा नम्बर 591 रकबा 27 बीघा, खसरा नम्बर 620 रकबा 57  
 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 621 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा,  
 खसरा नम्बर मि. 622 रकबा 2925 बीघा 16 बिस्वा, खसरा  
 नम्बर 623 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 625 रकबा  
 150 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 626 रकबा 36 बीघा 17  
 बिस्वा, खसरा नम्बर 527 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा  
 नम्बर 527 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 629 रकबा 40  
 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 630 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा,  
 खसरा नम्बर 631 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 643  
 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 644 रकबा 10 बीघा  
 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा  
 नम्बर 996 रकबा 1494 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1009  
 रकबा 582 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1010 रकबा 694  
 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 21 कुल रकबा 9043 बीघा 10  
 बिस्वा ग्राम नांवा में स्थित है तथा उक्त भूमि की किस्म राजस्व  
 रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 1981 में परमठ व समन्द दर्ज है तथा  
 उक्त किस्म अपरिवर्तनशील है। नमक उत्पादन क्षेत्र व झील को  
 स्थानीय बोलचाल की भाषा में क्रमशः परमठ व समन्द बोला  
 जाता है तथा उक्त भूमि साँभर झील वेटलैण्ड मेप की सीमाओं  
 के भीतर स्थित है तथा साँभर झील वेटलैण्ड की अभिन्न भूमि



~ 8 ~

ग्राम के नये खसरा नम्बर 1781 लगायत 1788, 1173, 1176, व 1180 लगायत 1193, 1195 एवं 1203 लगायत 209, 1805, 1807, 1873/1188, 1874/1191, 1937/1805, 938/1805, 1953/1805, 1941/1203, 1954/1203, 983/1805 लगायत 1988/1805, 1790, 1797 लगायत 803, 1174 है।

यह कि वर्ष 1983 में तहसीलदार नांवा द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी महोदय, जयपुर को भेजी गई सूचना में ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 302 रकबा 2508 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन समन्द, खसरा नम्बर 996/1 रकबा 90 बीघा 13 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन समन्द, खसरा नम्बर 1009/88 रकबा 582 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1010/622 रकबा 694 बीघा 13 बिस्वा गैर मुमकिन समन्द, खसरा नम्बर 622 रकबा 2693 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 996 रकबा 1419 बीघा भूमि को स्पष्ट तौर पर माना है कि उक्त भूमि का रकबा साँभर झील में आता है इससे स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि साँभर झील की भूमि है।

यह कि वर्ष 1987 में साँभर झील का सीमाकन भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर द्वारा करवाया जाकर एक विस्तृत रिपोर्ट बनायी गई जिसमें उक्त विवादित भूमि को मौके पर झील के कब्जे में झील ही के अन्दर आता है, माना गया है तथा झील का कुल रकबा 233.10 वर्ग किलोमीटर माना गया है। इससे पूर्व वर्ष 1901 में भी साँभर झील का सीमाज्ञान करवाया जाकर कमिश्नर नार्थन इण्डिया साल्ट रेवेन्यू आगरा द्वारा दिनांक 07/01/1901 में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें साँभर

↓

सीमा चिन्हों को दर्शाया है तथा उक्त सीमा के भीतर उक्त विवादित भूमि स्थित है।

यह कि वर्ष 1902-03, वर्ष 1949-50 में सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा साँभर झील की सीमाओं, झील में बने नमक के क्यार, ऑफिस, पेन, कम्पनी की रेल लाईन, मन्दिर, कुएं व अन्य संरचनाओं को दर्शाया जाकर मेप बनाये गये हैं तथा उक्त दोनों मेप की सीमाओं के भीतर उक्त विवादित भूमि को दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि साँभर झील की भूमि है, जिसमें राज्य सरकार व अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है।

यह कि वर्ष 1990 में साँभर झील को रामसर अभिसमय (ईरान) के तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैण्ड घोषित किया जाकर, वर्ष 1990 में साँभर झील का वेटलैण्ड मेप जारी किया गया है तथा उक्त मेप को रामसर अभिसमय में अंगीकार किया गया है। वेटलैण्ड मेप भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत व मान्यता प्राप्त मेप है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है जो किसी भी स्थिति में अपरिवर्तनशील है तथा विवादित भूमि उक्त वेटलैण्ड मेप की सीमाओं के भीतर स्थित है तथा वेटलैण्ड रूल्स 2010 व 2017 से अधिशाषित है तथा वेटलैण्ड रूल्स के अनुसार वेटलैण्ड भूमि की सीमाओं के भीतर सभी प्रकार की नॉन वेटलैण्ड एक्टिविटी पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

यह कि वाद पत्र के मद नम्बर 7 में वर्णित विवादित झील की भूमि को प्रथम सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती व मौका स्थिति के विपरित जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज कर किया गया तथा

↓

सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के उक्त भूमि की परिवर्तनशील किस्म को परिवर्तन कर दिया गया, जो कतई र कानूनी है। जबकि उक्त भूमि साँभर झील की अभिन्न भूमि तथा बारीश के समय उक्त भूमि पर पानी का भराव होता है जिसका उपयोग, उपभोग कर कम्पनी द्वारा नमक उत्पादन का गर्य किया जाता है।

ह कि खसरा नम्बर: 996 मि. के नये खसरा नम्बर 111/1803, 1800 व खसरा नम्बर: 622 के नये खसरा नम्बर: 805 में अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर नये खारड़ो का नेर्माण, अवैध नमक उत्पादन करने के लिये बनाये जा रहे है, खसरा नम्बर: 996 मि. में बने चालीस मोरा जिसमें होकर मिण्डा नदी साँभर झील में आती है, के बीच व चालीस मोरा के सामने दिनांक 14/02/2023 से चोरी-छिपे रात्रि के समय भारी मशीनों, जेसीबी, ट्रैक्टरों की मदद से नमक के अवैध खारड़ो का व कमरे का निर्माण किया जा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या: 07 खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये साँभर झील वेटलैण्ड मेप की सीमाओं कें भीतर स्थित भूमि पर से मिट्टी दोहन करने की अनुमति अपने आदेश संख्या: 989, 993 दिनांक 21/03/2023 व आदेश संख्या: 1850 दिनांक 05/06/2023 को प्रदान की गई। उक्त आदेशों व किये जा रहे अतिक्रमणों के सम्बन्ध में वादी कम्पनी ने प्रतिवादी संख्या: 1 जिला कलेक्टर नागौर, उपखण्ड अधिकारी नांवा व तहसीलदार नांवा को अनेक शिकायतें दी जाकर झील की मिट्टी के अवैध दोहन व अवैध नमक उत्पादन के नये खारड़ों के निर्माण को रूकवाने हेतु पत्र दिनांक 15/02/2023,

↓

23,	18/02/2023,	25/02/2023,
02/2023,	28/02/2023,	01/03/2023,
08/03/2023,	31/03/2023,	04/02/2023,

26/04/2023, 08/05/2023 को किये गये हैं परन्तु आज दिन तक प्रतिवादीगण संख्या: 1, 3, 5, 6 द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके कारण अतिक्रमणियों के हौसले बुलन्द हैं तथा साँभर झील वेटलैण्ड में अवैध अतिक्रमण खुले आम हो रहे हैं, जिससे वेटलैण्ड रूल्स 2017 की खुले आम अवहेलना हो रही है तथा साँभर झील की वेटलैण्ड भूमि के इकोलोजिकल सिस्टम पर गम्भीर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसे न्याय हित में तुरन्त प्रभाव से रूकवाया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या: 3, 5, 6 को भी वादी कम्पनी द्वारा लगातार अवगत करवाया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या: 3, 5, 6 द्वारा कोई उचित व प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 15/08/1947 से पूर्व स्थिति, नदी, नालों की भूमि जिसे दिनांक 15/08/1947 के पश्चात् उनकी किस्म या राजस्व रिकार्ड में उनकी स्थिति को परिवर्तन किया जाकर किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण या भूमि की किस्म को परिवर्तन कर दिया गया है तो उनको निरस्त कर दिनांक 15/08/1947 की स्थिति पुनः बहाल की जावें तथा इस प्रकार की भूमि पर से समस्त अतिक्रमण हटाये जावें इस सम्बन्ध में वादी कम्पनी द्वारा जिला कलेक्टर नागौर को तीन आवेदन

↓

~ 12 ~

12/2023, 27/02/2023 व 28/02/2023 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साँभर लेक मैनेजमेंट एजेन्सी को दिनांक 18/02/2023 व 17/05/2023, सदस्य सचिव महोदय राजस्थान स्टेट वेटलैण्ड ऑथरिटी को दिनांक 18/02/2023 तथा दिनांक 08/03/2023 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार को पेश किया जिस पर आज दिन तक कोई प्रभावी कार्यवाही प्रतिवादी संख्या: 01 जिला कलेक्टर नागौर, उपखण्ड अधिकारी नांवा व तहसीलदार नांवा तथा प्रतिवादी संख्या: 3, 5, 6 व 7 द्वारा नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि अतिक्रमणियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि खुले आम अतिक्रमण कर रहे हैं तथा वादी कम्पनी के रोके नहीं रूक रहे हैं।

यह कि अतिक्रमणियों द्वारा नमक उत्पादन करने के लिये खसरा नम्बर: 2111/1803, 1800 की भूमि में अवैध बोरवैल, अवैध रूप से बिजली के तार फैलाकर, अवैध विद्युत कनेक्शनों द्वारा साँभर झील से पानी चोरी कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में वादी कम्पनी द्वारा तीन परिवाद पुलिस थाना नांवा में दर्ज करवा रखे हैं, परन्तु पुलिस द्वारा उक्त परिवादों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने पर जरिये न्यायालय एफ0 आई0 आर0 संख्या: 146/2023, एफ0 आई0 आर0 संख्या: 147/2023, एफ0 आई0 आर0 संख्या: 148/2023, अतिक्रमणियों के विरुद्ध पुलिस थाना नांवासिटी मे दर्ज करवायी गयी है जो जैरे अनुसंधान है।

यह कि राजस्व ग्रुप-(4) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक: प.8(5)राज./4/2000 जयपुर दिनांक 22/11/2002 द्वारा खुदकाशत आयुक्त व समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश दिये



~ 13 ~

पूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि का आवंटन भी जिले में न किया जाकर नियमानुसार इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में इस प्रयोजन हेतु आरक्षित क्षेत्र में ही किया जावेगा। इसके बावजूद साँभर झील वेटलैण्ड भूमि का आवंटन खुदकाश्त आयुक्त द्वारा किये गये हैं जो विधि के विपरित होने से प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन है। तत्पश्चात् राजस्व ग्रुप-(3) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक: प.3(24) राज-3/02 जयपुर दिनांक 27/12/02 जयपुर द्वारा जिला कलेक्टर नागौर को आदेशित किया गया है कि साँभर साल्ट्स के लवण क्षेत्र में भूमि आवंटित नहीं की जायें। यदि लवण क्षेत्र में कोई आवंटन हुआ है तो कब्जा नहीं दें तथा इसके पश्चात् उद्योग (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18/10/2004 द्वारा निर्देशित किया गया कि साँभर साल्ट लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को किया गया आवंटन रद्द किये जाने की कार्यवाही करावें। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित भूमि साँभर झील वेटलैण्ड की भूमि है तथा उक्त आदेशों की पालना प्रतिवादी संख्या: 01 द्वारा नहीं की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप साँभर झील वेटलैण्ड में अवैध अतिक्रमण व भूमि पर कब्जे किये जा रहे हैं तथा अवैध नमक के खारड़े बनाये जा रहे हैं तथा वादी कम्पनी द्वारा प्रतिवादी संख्या: 01 के समस्त अधिकारियों व प्रतिवादी संख्या: 3, 5, 6 को लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी इनके द्वारा इन अतिक्रमणों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही या आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। जो साँभर झील वेटलैण्ड के अस्तित्व व

↓

~ 14 ~

इकोलोजिकल सिस्टम पर गम्भीर विपरित प्रभाव डाल  
 है। इसलिए उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।  
 यह कि साँभर झील के प्रबन्धन व संरक्षण के लिये राज्य  
 सरकार द्वारा साँभर लेक मैनेजमेंट एजेन्सी का गठन किया गया  
 है जिसमें प्रतिवादी संख्या: 05 को उक्त एजेन्सी का मुख्य  
 कार्यकारी अधिकारी व प्रतिवादी संख्या: 06 को अतिरिक्त मुख्य  
 कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है परन्तु प्रतिवादी  
 संख्या: 5 व 6 के द्वारा साँभर झील वेटलैण्ड की भूमि पर हो  
 रहे उक्त अतिक्रमणों की सूचना के बावजूद इनको रोकने के  
 लिये ना तो आज दिन तक कोई प्रभावी आदेश दिया गया है  
 और ना ही कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है और ना ही कोई  
 मौका निरीक्षण कर समुचित रिपोर्ट तैयार की गई है और ना ही  
 इनके द्वारा अतिक्रमणियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज  
 करवायी गई है। प्रतिवादी संख्या: 1, 5, 6 व 7 साँभर झील  
 वेटलैण्ड मैप में निर्धारित सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद  
 करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तथा भारत सरकार  
 व राजस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त व स्वीकृत साँभर झील वेटलैण्ड  
 मैप में दर्शित सीमाओं को मानने से इन्कार करते हैं तथा  
 अपमान करते हैं एवं वेटलैण्ड की भूमि पर अतिक्रमणियों द्वारा  
 अतिक्रमण करने पर उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं  
 करते हैं तथा कम्पनी द्वारा शिकायत करने पर टालम टोल  
 करते हैं और कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करते हैं जिसके कारण  
 साँभर झील के इकोलोजिकल सिस्टम पर गम्भीर विपरीत प्रभाव  
 पड़ रहा है तथा झील का काफी बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया  
 है।

↓

~ 15 ~

प्रतिवादी संख्या: 02 व 05 को वाद में आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार कायम किया गया है तथा इनके विरुद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। *कारा 400, 412 आ*  
 यह कि वाद कारण प्रथम बार दिनांक 14/02/2023 को तक उत्पन्न हुआ जब अतिक्रमणकारियों द्वारा चेटलैण्ड भूमि चालीस मोरा व झील की अन्य भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध नमक के खारड़ो का निर्माण करने व प्रतिवादी संख्या: 07 खनिज अभियन्ता मकराना द्वारा झील की भूमि से अवैध मिट्टी दोहन की अनुमति दिनांक 21/03/2023 व 05/06/2023 को प्रदान करने तथा ठेकेदारों द्वारा झील से मिट्टी का दोहन लगातार करने से उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है।

यह कि विवादित भूमि की किमत 5.50 लाख रुपये होने व भूमि ग्राम नांवा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधीकार प्राप्त है तथा वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है।

यह कि सम्पूर्ण साँभर झील को भारत सरकार ने वादी कम्पनी को 5.50 लाख रुपये पर लीज पर दे रखी है तथा विवादित भूमि का लगान 53.40 रुपये होने से कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7(B) के अनुसार 53.40 रुपये के 25 गुणा रुपये पर 1335/-रुपये कायम कर 34/- रुपये व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 400 रुपये पर 20 रुपये कायम कर कुल 54/- रुपये के न्याय शुल्क पर वाद पत्र पेश है जो पर्याप्त है।

प्रार्थना:- यह कि वादी कम्पनी प्रतिवादी संख्या: 1, 3, 5, 6, 7 के विरुद्ध निम्न लिखित अनुतोष पाने का अधिकारी है।

यह कि वादी कम्पनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या: 1, 3, 5, 6, 7 के विरुद्ध डिक्री फरमाया इस आशय कि डिक्री प्रदान की



~ 16 ~

झील वेटलैण्ड मेप की सीमाओं के भीतर स्थित  
 रहे अवैध अतिक्रमण व अवैध नमक के खारड़ो को हटाया जावे  
 तथा चालीस मोरा व मिण्डा नदी के पानी के प्रवाह को  
 अतिक्रमण मुक्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या: 1, 3, 5, 6, 7  
 को पाबन्द फरमाया जावे कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा  
 अवैध अतिक्रमण करने पर तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जावे।  
 यह कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया  
 जाकर आदेशित किया जावे कि अब्दुल रहमान प्रकरण की  
 पालना व वेटलैण्ड रूल्स 2017 की पालना सुनिश्चित किया  
 जावे।

यह कि राजस्व ग्रुप (3) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक  
 प-3(24) राज0 -3/02 जयपुर दिनांक 27/12/2002 व  
 उद्योग (ग्रुप -2) विभाग राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक  
 18/10/2004 के आदेशो की पालना प्रतिवादी सं0 1 मे वर्णित  
 प्रतिवादीगण से करवाईजावे।

यह कि साँभर झील वेटलैण्ड की भूमि खसरा नम्बर: 1779,  
 1789 व 1807 से खनिज अभियन्ता के अवैध आदेश पर दोहन  
 की गई मिट्टी को पुनः डलवायी जाकर झील की पूर्व की  
 स्थिति बहाल की जावे तथा खनिज अभियन्ता मकराना को  
 पाबन्द किया जावे कि भविष्य में साँभर झील वेटलैण्ड की सीमा  
 से एक किलोमीटर की दूरी की भूमि में मिट्टी दोहन की  
 अनुमति न देवे एवं दी गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया  
 जावे।

in

~ 17 ~

अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय साँभर झील  
कलेण्ड व यादी कम्पनी के पक्ष में उचित समझे दिलवाये जाने  
के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

  
यादी

### सत्यापन

मैं विकास यादव, वरिष्ठ प्रबन्धक (लीगल), हिन्दुस्तान  
साल्ट्स लिमिटेड/साँभर साल्ट्स लिमिटेड सत्यापनकर्ता आज  
दिनांक ..... बमुकाम कुचामन सत्यापित करता हूँ कि  
वाद पत्र का मद नम्बर: 1 लगायत 22 मेरे नीजी ज्ञान व  
विश्वास में सही व सत्य है।

  
सत्यापनकर्ता/प्रार्थी

~ 1 ~

न्यायालय सिविल न्यायाधीश साँभर लेक ।

मु. नं.

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01 जाप्ता दीवानी

1. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)  
पता - जी-229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर  
302022 जरिये समूह महाप्रबन्धक (संचालन), रावण टीबा,  
साँभर लेक ।
2. साँभर साल्ट्स लिमिटेड (सहायक कम्पनी) हिन्दुस्तान  
साल्ट्स लिमिटेड, साँभर लेक । समस्त जरिये समूह  
महाप्रबन्धक (संचालन), रावण टीबा, साँभर लेक ।

वादीगण

बनाम

(I) राजस्थान सरकार जरिये:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर ।
2. सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय  
जयपुर ।
3. उपवन संरक्षक, कार्यालय उपवन संरक्षक, जयपुर  
ग्रासफार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड़, जयपुर ।
4. सचिव पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय  
जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान स्टेट वेटलेण्ड ऑथोरिटी, कमरा नं.  
8236 द्वितीय तल एस0 ओ0 बिल्डिंग, सचिवालय जयपुर ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साँभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी,  
कमरा नम्बर 8325 उ.प. भवन, तृतीय तल, शासन  
सचिवालय, जयपुर ।
7. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार,  
सचिवालय जयपुर ।
8. जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण, जिला जयपुर ।
9. जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन ।
10. जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर ।

~ 2 ~

11. पी.डी.सी.ओ.आर. जरिये निदेशक, पता - झालाना डूंगरी, जयपुर।

(II) भारत संघ जरिये।

1. सचिव, सैन्ट्रल वेटलैण्ड कमेटी पता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली 110003
2. सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली 110003

वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा बाबत।

मान्यवर जी

वादी कम्पनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है।

1. यह कि वादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है तथा भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन व नियन्त्रण में कार्य करती आ रही है जो कम्पनी अधिनियम 1953 की धारा 617 के तहत रजिस्टर्ड सरकारी कम्पनी है जिसका मुख्य कार्यालय जी0 229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। वादी कम्पनी की सहायक कम्पनी साँभर साल्ट्स लिमिटेड है, जो हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन व नियन्त्रण में साँभर झील में नमक उत्पादन व वितरण का कार्य करती है, जिसका स्थानीय कार्यालय, रावण टीबा, साँभर लेक, जिला जयपुर पिन 303604 में स्थित है। दोनों वादी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़, समूह महाप्रबन्धक (संचालन) को वादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा अपनी बैठक संख्या

*CM*

~ 3 ~

- 249 दिनांक 01.06.2012 के रेज्युलेशन नम्बर 249.3 के द्वारा वादी कम्पनी की ओर से उक्त वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, जबाब-उल-जबाब, वकालतनामा एवं अन्य समस्त न्यायिक कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है जो सक्षम अधिकारी है।
- 2. यह कि विश्व धरोहर साँभर झील नवसर्जित जयपुर ग्रामीण जिले की फुलेरा तहसील, नवसर्जित डीडवाना-कुचामन जिले की नावा तहसील व अजमेर जिले की रूपनगढ़ (किशनगढ़) तहसील के गांवों में विस्तृत रूप से फैली हुई है तथा  $26^{\circ}, 52' 31''$  to  $27^{\circ}, 01' 57''$  N Latitude एवं  $74^{\circ}, 53' 47''$  to  $75^{\circ}, 13' 41''$  E Longitude में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्गमील से अधिक है। साँभर झील को वर्ष 1990 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर वेटलेण्ड घोषित किया जाकर जिसका वेटलैण्ड मेप भी जारी किया गया है। जिसमें साँभर झील की सीमाओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। वर्ष 1902-03 व 1949-50 में भी भारत सरकार के विभाग सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा ही वर्ष 1902-03 व 1949-50 में साँभर झील की सीमाओं, उसमें गिरने वाली नदियों, नालों, नमक उत्पादन क्षेत्र, रेल लाईन, नमक के क्यार, पेन, कुएं, सीमा चिन्ह, मन्दिर व अन्य संरचनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा उक्त संरचनायें आज भी मौके पर स्थित हैं।
- 3. यह कि वादी कम्पनी व साँभर साल्ट्स लिमिटेड भारत की आम जनता के लिये खाने योग्य उत्तम गुणवत्ता का नमक उत्पादन साँभर झील में कर उसका वितरण सम्पूर्ण भारत वर्ष में करते हैं। नमक उत्पादन व उससे सम्बन्धित गतिविधियों को सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये वादी के पास



~ 4 ~

राजस्व ग्राम बरडोटी, कोच्या की ढाणी, साँभर, गुड़ा साल्ट, नावां में बहुतसी भूमियाँ ऑफिस, लेबर क्वार्टर, ऑफिसर क्वार्टर, बंगले, सर्किट हाऊस, ट्राजिट हाऊस इत्यादि साल्ट सोर्सेंज स्थित है जिनका उपयोग, उपभोग कर वादी कम्पनी, साँभर झील में नमक उत्पादन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करती है। साँभर झील जयपुर जिले की फुलेरा तहसील, नागौर जिले <sup>वर्तमान डोडनमा-उच्छान</sup> की नावां तहसील व अजमेर जिले की रूपनगढ़ (किशनगढ़) तहसील के गांवों में फैली हुई है। वादी कम्पनी की सहायक कम्पनी, साँभर साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) साँभर झील में उक्त समस्त सम्पत्तियों व साल्ट सोर्सेंज का उपयोग, उपभोग कर नमक उत्पादन व उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करती है तथा उक्त समस्त सम्पत्तियों की देख-रेख करती है। सम्पूर्ण झील, उक्त समस्त साल्ट सोर्सेंज व सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य वादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड में निहित है।

4. यह कि आजादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार (तत्कालीन भारत सरकार) द्वारा सम्पूर्ण साँभर झील को जरिये ट्रीटीज वर्ष 1869, 1870 एवं 1879 में जयपुर व जोधपुर दरबार से अधिगृहण कर नमक उत्पादन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जाने लगा, तब से साँभर झील से सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। आजादी के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व, आधिपत्य की सम्पूर्ण झील एवं इससे सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-295 के तहत भारत सरकार में उन्ही संविधाओं (ट्रीटीज) के तहत निहित हो गयी

~ 5 ~

जिनसे वे पूर्व से अधिशासित थी। वर्ष 1950 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय व राज प्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के अनुसार वर्ष 1960 तक सांभर झील व समस्त साल्ट सोर्सैज, भारत सरकार को लीज पर दिया गया, जिनका उपयोग कर वर्ष 1960 तक भारत सरकार के साल्ट विभाग द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया गया।

5. यह कि इसी दौरान दिनांक 13/01/1959 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्णय पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने साँभर झील, डीडवाना झील (राजस्थान) एवं खाराघोड़ा (बम्बई) का साल्ट सोर्सैज का स्वामित्व व प्रबन्धन, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को हस्तान्तरण कर दिया, तब से वादी कम्पनी का साँभर झील एवं झील से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। तथा उक्त पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार ही वादी कम्पनी उक्त समस्त साल्ट सोर्सैज का उपयोग व उपभोग कर नमक उत्पादन का कार्य करती आ रही है।
6. यह कि इसी दौरान वर्ष 1950 में भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति व राजप्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के समाप्त होने पर भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने राष्ट्रहित को देखते हुए साँभर झील एवं समस्त साल्ट सोर्सैज से नमक उत्पादन का कार्य करने के लिए भारत सरकार के पक्ष में पूर्व से चली आ रही लीज (ट्रीटीज) को निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात् साल्ट सोर्सैज पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अदा की जाने वाली रायल्टी को समाप्त करने के लिए सोल-आर्बिट्रेटर श्री वी० टी० कृष्णमाचारी को

CA

~ 6 ~

नियुक्त किया गया जिन्होंने दोनों सरकारों के पक्ष को सुनने के बाद दिनांक 29-04-1961 को एक अवार्ड पारित कर सांभर झील एवं सांभर झील के समस्त साल्ट सोर्सिज को 99 वर्ष के लिए भारत सरकार को लीज पर दे दिया गया तथा इसके बदले में भारत सरकार द्वारा रु. 5.50 लाख प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को अदा करने का निर्णय किया गया तथा इसके बदले में राज्य सरकार झील में फ्री फ्लो वाटर (निर्बाध पानी) सुनिश्चित करेगी तथा रॉयल्टी को समाप्त कर उसके सम्पूर्ण कम्पनशेसन के रूप में वादी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाने वाली नई सहायक कम्पनी (सांभर साल्ट लिमिटेड) के 40 प्रतिशत फ्री-पेडअप कैपिटल शेयर राजस्थान सरकार को जारी किये जायें और राजस्थान सरकार के अन्य समस्त क्लेम अस्वीकार कर दिये गये। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा जारी अवार्ड को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार करने के पश्चात उक्त अवार्ड को दिनांक 19/08/1961 को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया गया। श्री वी. टी. कृष्णमाचारी अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन के तहतवादी कम्पनी की सहायक कम्पनी, सांभर साल्ट लिमिटेड का गठन किया गया तथा सांभर झील, झील के समस्त साल्ट सोर्सिज व सम्पत्तियों का 5.50 लाख रुपये लीज रेंट प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को वादी कम्पनी द्वारा अदा किया जा रहा है। उक्त श्री वी० टी० कृष्णमाचारी अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन 1961 आज भी प्रभावी है तथा दोनों सरकारों पर बाध्यकारी है।

7. यह कि सांभर झील वेटलैण्ड के पुराने मेप 1902-03 व 1949-50 में सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त



~ 7 ~

दोनों मेपो में साँभर झील की वास्तविक सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुये झील में बने नमक के क्यार, पेन, रिजरवायर, ऑफिस, केनाल, रेल लाईन, मन्दिर, सीमा चिन्ह, गार्ड पोस्ट, झील में गिरने वाली नदियाँ जैसे मींड़ा, रूपनगढ़, तुरतमति, खारी, कुचामन नांवा व छोटे मोटे अन्य जल स्रोत को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 1902-03 व 1949-50 में जारी साँभर झील के मेप को ही राज्य सरकार व भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर रामसर कन्वेंशन ब्यूरो स्वीटरजरलैंड को भेजा था जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार व अंगीकार कर वर्ष 1990-91 में साँभर झील को वेटलैण्ड घोषित कर अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड सूची सूचीबद्ध कर साँभर झील का वेटलैण्ड मेप जारी किया गया। राज्य सरकार ने साँभर झील वेटलैण्ड की सुरक्षा व संरक्षण हेतु स्टेट वेटलैण्ड अथोरिटी का गठन प्रतिवादी संख्या: 05 के अधीन तथा साँभर लेक मेनेजमेन्ट एजेन्सी का गठन प्रतिवादी संख्या: 06 के अधीन किया गया है। प्रतिवादी संख्या: 05 व 06 का कार्य क्षेत्र रामसर अभिसमय के तहत घोषित साँभर झील वेटलैण्ड की सीमाओं से एक किलोमीटर की परिधी तक तय किया गया है तथा साँभर लेक मेनेजमेन्ट एजेन्सी रूल्स एवं वेटलैण्ड रूल्स 2017 की पालना करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या: 05 व 06 पर डाला गया है।

8. यह कि वर्ष 1902-03 व 1949-50 में ही सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा मौके के अनुसार वास्तविक सीमाओं को निर्धारित करते हुए एकीकृत झील का नक्शा जारी किया गया है जो आज भी मौके पर वास्तविक स्थितियों के अनुसार सही एवं सटीक है।



~ 8 ~

9. यह कि राज्य सरकार के पास साँभर झील का अंशतः राजस्व रिकार्ड संधारित था, शेष मुख्य (बड़ा) भाग का राज्य सरकार के पास राजस्व रिकार्ड नहीं था तथा झील के कुछ भाग का राजस्व रिकॉर्ड राज मारवाड़ संवत् 1981 के समय संधारित था जो साँभर झील का अभिन्न भाग है तथा वर्ष 1990 में जारी वेटलेण्ड मेप की सीमाओं के भीतर स्थित है तथा उक्त भूमि ग्राम नावां में स्थित है जिसकी किस्म परमठ, समंद व खारड़े के रूप में दर्ज है जिसके खसरा नम्बर: मि. 300, 302, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 643, 644, 645, मि. 996, 1009, 1010, कुल किता 31 कुल रकबा 9043 बीघा 10 बिस्वा है तथा ग्राम खारडीया के खसरा नम्बर 150, 152 किता 2 रकबा 295 बीघा 15 बिस्वा, ग्राम जाब्दीनगर के खसरा नम्बर 122, 118, 117, 13/1, 13, 12, 6 कुल किता 07 रकबा 923 बीघा 09 बिस्वा, ग्राम सिनोदिया जिला अजमेर के खसरा नम्बर 412 लगायत 415 कुल किता 4 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा ग्राम आऊ के खसरा नम्बर 1, 65, 112, 125, 135/1, 168, 169, 170, 176, 177, 179, 180 कुल किता 12 रकबा 1143 बीघा 01 बिस्वा है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान का कुल रकबा 11,481 बीघा 05 बिस्वा है तथा इसी प्रकार अन्य भूमि जो वेटलैण्ड मेप की सीमा के भीतर आती है, परन्तु जिसका राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, वो भी साँभर झील का अभिन्न हिस्सा है तथा साँभर झील वेटलैण्ड मेप की सीमाओं के भीतर उक्त भूमि स्थित है तथा वेटलैण्ड है। उक्त भूमि की किस्म समन्द परमठ व खारड़ा दर्ज है स्थानीय



~ 9 ~

बोलचाल की भाषा में साँभर झील की भूमि में समन्द, परमठ, खारड़ा के नाम से पुकारा जाता है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि साँभर झील का अभिन्न भूमि है।

10. यह कि दिनांक 13/02/1924 को तत्कालीन असिस्टेन्ट सेटलमेंट अधिकारी, राज मारवाड़ द्वारा रजिस्ट्रार मकहमा खास, जोधपुर को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप आदेश दिये गये हैं कि पत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि जो नांवा में स्थित है, साल्ट ऑथोरिटी के कब्जे में है। पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित खसरा नम्बर 812 रकबा 2508 बीघा 6 बिस्वा किस्म समन्द, खसरा नम्बर 813 रकबा 1519 बीघा किस्म समन्द, खसरा नम्बर 813/12 रकबा 582 बीघा 13 बिस्वा किस्म समन्द खसरा नम्बर 815 रकबा 694 बिस्वा 13 बिस्वा किस्म समन्द के रूप में दर्शित है जो साँभर झील कि अभिन्न भूमि है जो वाद पत्र के मद संख्या 9 में वर्णित खसरा नम्बर 302, 1009/88, 1010/622, 996 व 996/1 कि भूमि है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि साँभर झील कि भूमि है जिसे वर्ष 1902-03, 1949-50 में सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा जारी साँभर के मेप व 1990 में जारी वेटलैण्ड मेप की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि है।


11. यह कि साँभर झील का सर्वप्रथम सीमाज्ञान तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1901 में कमिश्नर नोर्थन इण्डिया साल्ट रेवेन्यू आगरा द्वारा करवाया जाकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कि गई, जिसमें साँभर झील के पुख्ता सीमाचिन्ह को दर्शाया गया है जो वर्ष 1902-03 में जारी झील के मेप से पूर्णतः मिलान (मेच) करता है। वर्ष 1901 में हुये सीमांकन के आधार पर बाउण्ड्री

~ 10 ~

पिलर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं जो आज भी कई स्थानों पर मौजूद हैं। इन बाउण्ड्री पिलरों को वर्ष 1902-03 व 1949-50 के मेप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन बाउण्ड्री पिलरों में से कई बाउण्ड्री पिलरों को अतिक्रमणियों द्वारा झील की भूमि पर अतिक्रमण करने व झील से पानी (ब्राईन) चोरी करने की नियत से हटा दिये गये हैं।

12. यह कि वाद पत्र के मद नम्बर 09 में वर्णित भूमि को प्रथम सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती व मौका स्थिति के विपरित जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज कर किया गया तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के उक्त भूमि की अपरिवर्तनशील किरम समंद, परमठ व खारड़े को परिवर्तन कर दिया गया, जो कतई गैर कानूनी है। जबकि उक्त भूमि साँभर झील की अभिन्न भूमि है तथा साँभर झील के अन्दर आती है। बारीश के समय उक्त भूमि पर पानी का भराव होता है जिसका उपयोग एवं उपभोग कर वादी कम्पनी द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। उक्त भूमि में ब्रिटिश काल से ही वादी कम्पनी के नमक उत्पादन के क्यार, पेन, रिजरवायर, कैनल, मीण्डा नदी व अन्य छोटे मोटे पानी के स्रोतों का मुआना (जहाँ से पानी झील के अन्दर आता है) ऑफिस, पुराने कुएं कम्पनी की रेल लाईन, ऑफिस व अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं उक्त समस्त संरचनाओं को वर्ष 1902-03 व 1949-50 में जारी सर्वे ऑफ इण्डिया के मेप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।


13. यह कि वर्ष 1987 में भू प्रबन्ध विभाग जयपुर द्वारा साँभर झील का सीमांकन किया जाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है



~ 11 ~

जिसमें वाद पत्र कि मद संख्या 09 में वर्णित भूमि को मौके पर झील के कब्जे में झील ही के अन्दर आना तथा इस विभाग वादी कम्पनी का ही कब्जा होना स्वीकार किया है, इससे यह पूर्णत स्पष्ट है कि उक्त भूमि साँभर झील की अभिन्न भूमि है। जिसका राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है इस सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार साँभर झील का कुल रकबा 233.10 वर्ग किलोमीटर बताया गया है।

14. यह कि प्रतिवादी संख्या: 01 के राजस्व अधिकारियों ने यह जानते हुये भी कि वाद पत्र के मद संख्या: 09 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि साँभर झील वेटलैण्ड की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि की किस्म समंद, परमठ व खारड़ा दर्ज होने के बावजूद वेटलैण्ड व राजस्व रिकार्ड को दरकिनार कर 730 बीघा भूमि का विधि विरुद्ध तरीके से भूतपूर्व जागीरदारों को आवंटन कर दिया गया तथा अपरिवर्तनशील किस्म समन्द, परमठ, खारड़ा को गैर कानूनी रूप से परिवर्तित कर दिया गया। तत् पश्चात् प्रतिवादी संख्या 07 के विभाग राजस्व ग्रुप-(4) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक: प.8(5)राज. /4/2000 जयपुर दिनांक 22/11/2002 द्वारा खुदकाशत आयुक्त व समस्त जिला कलक्टर को निर्देश दिये गये थे कि भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाशत भूमि का आवंटन किसी भी जिले में न किया जाकर नियमानुसार इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में इस प्रयोजन हेतु आरक्षित क्षेत्र में ही किया जावेगा। इसके बावजूद साँभर झील वेटलैण्ड भूमि का आवंटन खुदकाशत आयुक्त द्वारा किये गये है जो विधि के विपरित होने से प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन है। तत्पश्चात्



~ 12 ~

प्रतिवादी संख्या 07 के विभाग के राजस्व ग्रुप-(3) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक: प.3(24) राज-3/02 जयपुर दिनांक 27/12/02 जयपुर द्वारा जिला कलक्टर नागौर को आदेशित किया गया है कि साँभर साल्ट्स के लवण क्षेत्र में भूमि आवंटित नहीं की जायें। यदि लवण क्षेत्र में कोई आवंटन हुआ है तो आवंटनी को कब्जा नहीं दें तथा इसके पश्चात् उद्योग (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18/10/2004 द्वारा निर्देशित किया गया कि साँभर साल्ट लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को किया गया आवंटन रद्द किये जाने की कार्यवाही करावें। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त भूमि को साँभर झील की भूमि मानते हुए राज्य सरकार ने उक्त आवंटनों को विधि के विपरीत व गलत मानते हुये रद्द कर दिया परन्तु उक्त आदेशों की पालना प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9, 10 द्वारा जानबूझकर नहीं की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप साँभर झील वेटलैण्ड में अवैध अतिक्रमण व भूमि पर कब्जे किये जा रहे हैं तथा अवैध नमक के खारड़े बनाये जा रहे हैं इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इन अतिक्रमणों को रोकने व हटाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही या आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। जो साँभर झील वेटलैण्ड के अस्तित्व व झील के इकोलॉजिकल सिस्टम पर गम्भीर विपरित प्रभाव डाल रहे हैं तथा गैर आवंटनों को रद्द करने के पश्चात् भी उक्त भूमि का हस्तांतरण अतिक्रमणियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को किया जा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या: 8 लगायत 10 द्वारा साँभर झील वेटलैण्ड भूमि का अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आवंटन व हस्तान्तरण



~ 13 ~


किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनोद कपूर आयोग का गठन किया गया तथा उन्होंने सिफारिश करी की साँभर झील के समस्त अतिक्रमण हटा दिये जायें तथा उनकी सिफारिश पर पुनः साँभर झील वेटलैंड का सीमांकन करवाने हेतु वादी कम्पनी द्वारा कुल रूपये 14,09,240=00 सीमा शुल्क राज्य सरकार के विभाग भू-प्रबंधक विभाग को जमा करवाया गया परन्तु भू-प्रबंधक विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यावाही नहीं की गयी तथा वादी कम्पनी द्वारा जमा करवाये गये रूपये 14,09,240=00 आज भी राज्य सरकार के पास जमा है ।

15. यह कि साँभर झील में हो रहे अतिक्रमण को लेकर माननीय NGT भोपाल द्वारा राज्य सरकार को आदेशित किया गया कि साँभर झील के पुराने मेप (1902-03 व वर्ष 1949-50 में जारी मेप) को सुपरइम्पोज कर साँभर झील वेटलैंड की वास्तविक सीमाओं का सीमांकन किया जावे। परन्तु राज्य सरकार द्वारा साँभर झील वेटलैंड का वर्ष 2017 में NGT भोपाल के आदेश, सेटलमेंट ऑपरेशन, वेटलैंड रूल्स 2010 व 2017, वर्ष 1990 में जारी वेटलैंड मेप को दरकिनार करते हुए साँभर झील वेटलैंड में किये गये अवैध आवंटनों व अतिक्रमणों को जायज ठहराने की नियत से मनमाना व विधि के विपरीत जाकर अन्तर्राष्ट्रीय रामसर साईट साँभर झील वेटलैंड का सेटलमेंट ऑपरेशन किया गया तथा वाद पत्र के मद संख्या 09 में वर्णित भूमि को राजस्व रिपोर्ट में साँभर झील वेटलैंड से अलग कर दिया गया तथा साँभर झील के वास्तविक रकबा 24,294 हैक्टेयर से कम कर 19,552 हैक्टेयर कर दिया गया है। इस सेटलमेंट ऑपरेशन द्वारा साँभर झील के दो नये राजस्व ग्राम बनाये गये जिसमें



~ 14 ~

प्रथम साँभर झील फुलेरा खसरा नम्बर 1 रकबा 8539 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन झील, दूसरा राजस्व ग्राम साँभर झील नांवा खसरा नम्बर 1 रकबा 11013 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों खसरा नम्बर का कुल रकबा 19552 हैक्टेयर कायम किया गया इस प्रकार कुल 4742 हैक्टेयर भूमि झील से कम कर दी गई है तथा साँभर झील नांवा एवं साँभर झील फुलेरा की भूमि में से प्रतिवाद संख्या I (8 लगायत 10) द्वारा अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आवंटन की जा रही है। जबकि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वाद पत्र के मद संख्या 9 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में गैर कानूनी रूप से किये गये आवंटनों व अतिक्रमणों को जानबूझकर बचाने व नियमन करने की नियत से उक्त भूमि को साँभर झील वेटलैण्ड की भूमि से पृथक किया गया है जबकि उक्त भूमि साँभर झील वेटलैण्ड की अभिन्न भूमि है। साँभर झील एक अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड है जिसकी भूमि की किस्म लवणीय है जिसका नियमानुसार एक ही एकीकृत मेप बनाया जाकर एक ही मेप जारी किया जाना था तथा लेक में स्थित वादी कम्पनी की सम्पूर्ण संरचनाएँ जैसे - नमक के क्यार, पेन, कुंए, ऑफिस, मन्दिर, पुख्ता निशांनात, रेल लाईन इत्यादि को दर्शाना चाहिए था, परन्तु जानबूझकर उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर दो अलग-अलग मेप बनाये गये, ऐसी परिस्थिति में साँभर झील की वेटलैण्ड की भूमि व सीमाओं को लेकर गम्भीर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा अतिक्रमणियों द्वारा झील की भूमि में अतिक्रमण करने की गम्भीर सम्भावना बढ़ गई है, जो कतई न्यायोचित नहीं है।



~ 15 ~

16. यह कि प्रतिवादी सं०- I (9) व अधिनस्थ अधिकारी, तहसीलदार नांवा द्वारा वेटलेण्ड रूल्स 2017, सांभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी के नियम एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार मे पारित आदेशो के विपरीत जाकर सांभर झील, नांवा के खसरा नम्बर 1 मे से नगर पालिका मण्डल नांवा को जरिये आवंटन खसरा नम्बर 3/1 रकबा 0.4783 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 4/1 रकबा 0.9602 हैक्टेयर भूमि की आवंटित की गई है। उक्त आवंटन करने से पूर्व ना तो प्रतिवादी सं० II और ना ही वादी कम्पनी से अनुमति ली गई है और ना ही एन०ओ०सी० प्राप्त की है। ऐसी परिस्थिति मे किये गये उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है।
17. यह की माननीय NGT भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि साँभर झील का सीमांकन रामसर कन्वेंशन को प्रतिवादी संख्या I (2) के द्वारा जारी अपने पत्र संख्या F11(56)Forest/85 dated 03.06.1989 और वन एवं प्रतिवादी संख्या II (2) के पत्र संख्या J-2012/68/89-W dated 23-03-1990 के आधार पर सांभर झील वेटलेण्ड का सीमांकन किया जावेँ इसके बावजूद राज्य सरकार प्रतिवादी संख्या I (1-10) द्वारा अपनी एजेन्सी प्रतिवादी संख्या I (11) से साँभर झील वेटलेण्ड का सीमांकन माननीय NGT भोपाल के आदेशों व वेटलेण्ड मेप 1990 को दरकिनार, कर अपने मनचाहे मेप से प्रतिवादी संख्या I (11) से करवाया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या I (11) द्वारा नजरी नक्शा में वर्णित साँभर झील की वास्तविक सीमाओं को छोड़कर एक नयी काली रेखा को साँभर झील की नई सीमा मानकर सीमाज्ञान कर रही

~ 16 ~

है। इस नई सीमा रेखा से वाद पत्र के मद नम्बर 9 में वर्णित भूमि को पूर्ण रूप से साँभर झील वेटलैण्ड से पृथक करना दर्शाया गया है इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादी राज्य सरकार वाद पत्र के मद संख्या 9 में वर्णित भूमि पर स्थित अवैध अतिक्रमण, बौरवेल, नमक के खारड़े व गैर कानूनी आवंटनों को जानबूझकर बचा रही है ताकि भविष्य में इन अवैध आवंटनों और अवैध अतिक्रमणों को नियमन किया जा सकें नजरी नक्शे में काली रेखा द्वारा साँभर झील वेटलैण्ड का जो हिस्सा पृथक किया गया है, उस हिस्से में ब्रिटिश काल पूर्व से ही कम्पनी के नमक के क्यार, पेन, रिजरवायर, केनाल, ऑफिस मंदिर इत्यादि बने हुये है जिन्हें वर्ष 1902-03 व 1949-50 के मेप में स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या: 2, 3, 4, 5, 6 के पास वर्ष 1990 में जारी साँभर झील वेटलैण्ड का मेप मौजूद होने के बावजूद उक्त मेप को छिपाते हुए जानबूझकर गलत मेप के आधार पर सीमाज्ञान किया जा रहा है ताकि अतिक्रमणियों व रद्द किये गये आवंटनों का नियमन गैर कानूनी तरीके से किया जा सकें। नजरी नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है।


18. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 द्वारा संयुक्त रूप से साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन वादी कम्पनी की जानकारी में लाये बगैर मनमाने तौर पर किया जा रहा है इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या: 2 लगायत 10 के अधिनस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 09/10/2023 को झील क्षेत्र में आये और मौका मुआयना करने लगे जिस पर वादी कम्पनी के कर्मचारियों ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से पुछा कि आप



~ 17 ~

किस बात का मौका मुआयना कर रहे है तो उन्होंने बताया कि झील का सीमांकन किया जा रहा है तब वादी कम्पनी के कर्मचारियों ने पुछा की किस मेप के आधार पर सीमांकन किया जा रहा है तो उन्होंने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया तब वादी कम्पनी ने एक पत्र दिनांक 11/10/2023 को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 तथा प्रतिवादी संख्या (II) 1 व 2 को सुचित कर निवेदन किया कि साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वेटलेण्ड मेप के आधार पर ही सीमांकन करें, परन्तु इस पत्र का उपरोक्त प्रतिवादीगण ने कोई समुचित जबाव नही दिया और ना ही कोई वेटलैण्ड मेप के आधार पर झील का सीमांकन किया।

19. यह कि प्रतिवादी संख्या: I (11) द्वारा दिनांक 30/10/2023 को फुलेरा तहसील के राजस्व ग्राम साँभर झील फुलेरा के खसरा नम्बर 1 की भूमि जो ग्राम झपोक से सीमा के पत्थर झील की वास्तविक सीमा से लगभग 200 से 300 मीटर झील के अन्दर लगाना प्रारंभ कर दिया जिससे झील का काफी बड़ा हिस्सा झील से पृथक हो रहा है जब वादी कम्पनी के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी हुई तब प्रतिवादी संख्या I (11) के कर्मचारियों से मौके पर जाकर पूछने पर ज्ञात हुआ कि जिस मेप से वे सीमा के पत्थर लगा रहे है वह मेप वेटलैण्ड मेप वर्ष 1990 में जारी मेप के अनुसार नहीं लगा रहे हैं तब वादी कम्पनी के कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या I (11) के कर्मचारियों को गलत सीमा पत्थर लगाने से रोका तथा NGT भोपाल के आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुसार सीमा पत्थर लगाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या I (11) के



~ 18 ~

कर्मचारियों ने बताया कि प्रतिवादी संख्या I (3) द्वारा हमें जो आदेश व मेप दिया गया है उसी के अनुसार हम साँभर झील वेटलैण्ड में सीमा के पत्थर लगा रहे हैं तब वादी कम्पनी के कर्मचारियों ने ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या I (11) ने कहा की हम तो राज्य सरकार के आदेशों पर कार्य कर रहे हैं यदि आपको कोई समस्या हैं तो राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग से वार्ता कर लें।

20. यह कि प्रतिवादी संख्या I (11) द्वारा दिनांक 30/10/2023 से ग्राम झपोक से साँभर झील में सीमा पत्थर स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ करने पर वादी कम्पनी द्वारा पुनः दिनांक 01/11/2023 को एक पत्र वादी कम्पनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को प्रेषित कर सूचित किया गया कि साँभर झील का सीमांकन वेटलैण्ड मेप माननीय एन.जी.टी. भोपाल के आदेशो व वेटलेण्ड रूल्स 2017 के मुताविक किया जाये इस पत्र की प्रतियाँ झील से सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई, परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा उक्त पत्र पर किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही प्रतिवादी संख्या I (11) को निर्देशित किया गया कि वेटलैण्ड मेप के आधार पर ही साँभर झील का सीमांकन किया जाये यदि गलत मेप के आधार पर झील का सीमांकन करने से झील का काफी बड़ा भू-भाग झील से पृथक हो जायेगा जिसपर अतिक्रमियो द्वारा अतिक्रमण करने व उसका दुरुपयोग करने की सम्भावना बढ जायेगी। इसलिये उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।



~ 19 ~

21. यह कि वाद में प्रतिवादी संख्या: II आवश्यक पक्षकार है तथा साँभर झील वेटलैण्ड प्रतिवादी संख्या: II के सामान्य नियन्त्रण के अधीन आती है तथा वाद में इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है प्रतिवादी संख्या: I को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सूचना प्रेषित की गई है, परन्तु वाद अति-आवश्यक प्रकृति होने के कारण सूचना अवधि पूर्ण होने से पूर्व पेश किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।
22. यह कि वाद कारण दिनांक 09/10/2023 को प्रथम बार तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादगण संख्या: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 के अधिकारी व अधिनस्त कर्मचारी आये और बिना वादी कम्पनी को सूचित किए मौका मुआयना कर झील का सीमांकन करने को कहा तथा दिनांक 30/10/2023 को बिना वादी कम्पनी को सूचना दिए ग्राम झपोक में झील की वास्तविक सीमाओं से तरीबन 200 से 300 मीटर अन्दर बाउण्ड्री पीलर लगाने तथा वादी कम्पनी द्वारा दिनांक 11/10/2023 एवं 01/11/2023 को प्रतिवादीगण को सूचना देने के बावजूद भी वेटलैण्ड मेप के अनुसार सीमा पत्थर नहीं लगाने से ग्राम झपोक व साँभर लेक में उत्पन्न हुआ है, जो लगातार जारी है।
23. यह कि विवादग्रस्त साँभर झील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है तथा वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है।
24. यह कि कोर्ट फीस स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 400/- रुपये पर 20/-रुपये एवं आदेशात्मक आदेश हेतु 400/-रुपये पर 20/-रुपये कामय कर कुल न्यायशुल्क 40/-रुपये पर वाद पेश है जो पर्याप्त है।



25. प्रार्थना—

यह कि वादी कम्पनी प्रतिवादी संख्या: 01 लगायत 11 के

राजस्थान सरकार  
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमांक: प. 12(84)/पर्या./2023-00644

जयपुर, दिनांक 20 DEC 2023

**कार्यालय आदेश**

माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सांभर झील, जयपुर-ग्रामीण में दायर वाद (Suit) संख्या 116/2023 एवं प्रार्थना (Application) पत्र संख्या 92/2023, हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार (Res.1), सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Res.4), सचिव, राजस्थान स्टेट वैटलेण्ड ऑथोरिटी (Res.5) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांभर लेक मेनेजमेन्ट एजेन्सी (Res.6) की ओर से माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सांभर झील में जवाब एवं प्रतिरक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, दूदू को केस प्रभारी अधिकारी एवं तहसीलदार सांभर झील व नावां को अतिरिक्त केस प्रभारी अधिकारी एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(मोनाली सेन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर ग्रामीण को भेज कर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में शीघ्र राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति करवाने का श्रम करावें।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर शहर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, दूदू को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर ग्रामीण में सम्पर्क कर प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति करावें एवं उक्त प्रकरण में जवाब एवं प्रतिरक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करावें एवं की गई कार्यवाही से इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
5. तहसीलदार सांभर झील व नावां को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref  
5211597

Digitally signed by Monali Sen  
Designation: Director Cum Joint  
Secretary  
Date: 2023.12.20 15:32:10 IST  
Reason: Approved

~ 21 ~

नये खसरा नम्बर 1781 लगायत 1788, 1173, 1175, 1176, व 1180 लगायत 1193, 1195 एवं 1203 लगायत 1209, 1805, 1807, 1873/1188, 1874/1191, 1937/1805, 1938/1805, 1953/1805, 1941/1203, 1954/1203, 1983/1805 लगायत 1988/1805, 1790, 1797 लगायत 1803, 1174 है, जो नांवा में स्थित है तथा ग्राम खारडीया के खसरा नम्बर 150,152 किता 2 रकबा 295 बीघा 15 बिस्वा, ग्राम जाब्दीनगर के खसरा नम्बर 122, 118, 117, 13/1, 13, 12, 6 कुल किता 07 रकबा 923 बीघा 09 बिस्वा, ग्राम सिनोदिया जिला अजमेर के खसरा नम्बर 412 लगायत 415 कुल किता 4 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा ग्राम आऊ के खसरा नम्बर 1, 65, 112, 125, 135/1, 168, 169, 170, 176, 177, 179, 180 कुल किता 12 रकबा 1143 बीघा 01 बिस्वा है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान का कुल रकबा 11,481 बीघा 05 बिस्वा है, का किसी भी प्रकार का आवंटन या हस्तानान्तरण किसी भी व्यक्ति, सरकारी व गैर सरकारी संस्था को नहीं करें।

4. यह कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या: I डिक्री फरमाया जाकर आदेशित किया जावे कि साँभर झील फुलेरा का खसरा नम्बर: 1, साँभर झील नांवा खसरा नम्बर: 1 व वाद पत्र के मद संख्या: 9 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को सम्मिलित करते हुए साँभर झील वेटलैण्ड का एक एकीकृत मेप वर्ष 1990 में जारी वेटलैण्ड मेप के अनुसार राजस्व मेप बनाया जावे तथा वादी कम्पनी की बनी समस्त संरचनाओं को एकीकृत मेप में दर्शाया जावे।



~ 22 ~

5. यह कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी I डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री प्रदान करे कि सांभर झील नांवा के खसरा नम्बर 1 मे से की गयी आवंटन भूमि खसरा नम्बर 3/1 रकबा 0.4783 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 4/1 रकबा 0.9602 हैक्टेयर भूमि की आवंटित की गई भूमि के आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है।
5. अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय साँभर झील वेटलैण्ड के हित में प्रदान करना उचित समझे दिलवायी जाने की कृपा करें।

  
वादी

सत्यापन

मै उपरोक्त सत्यापनकर्ता आज दिनांक .....  
बमुकाम सांभर लेक सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र का मद  
नं0 1 लगायत 23 मे वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास मे  
सही व सत्य है।

  
सत्यापनकर्ता

~ 23 ~

न्यायालय सिविल न्यायाधीश साँभर लेक।

मु. नं.

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01 जाप्ता दीवानी

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) वगै०

बनाम

राजस्थान सरकार वगै०

वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा बाबत।

शपथ पत्र

मैं हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) पता - जी-229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302022 जरिये महेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़ समूह महाप्रबन्धक (संचालन), रावण टीबा, साँभर लेक का हूँ और सशपथ बयान करता हूँ कि -

1. यह कि वाद पत्र का मद नं० 1 लगायत 25 में वर्णित तथ्य नर निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है।
2. यह कि वाद पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र वाद पत्र का अभिन्न अंग मानकर साथ पढा जावे।

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता आज दिनांक .....  
बमुकाम साँभर लेक सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र का मद  
नं० 1 व 2 सही व सत्य है।

सत्यापनकर्ता

~ 1 ~

## न्यायालय सिविल न्यायाधीश साँभर लेक।

प्रा० प० सं०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा  
151 जाप्ता दीवानी

1. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) पता - जी-229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302022 जरिये समूह महाप्रबन्धक (संचालन), रावण टीबा, साँभर लेक।
2. साँभर साल्ट्स लिमिटेड (सहायक कम्पनी) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, साँभर लेक। समस्त जरिये समूह महाप्रबन्धक (संचालन), रावण टीबा, साँभर लेक।

प्राथीगण

बनाम

## (I) राजस्थान सरकार जरिये:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर।
2. सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर।
3. उपवन संरक्षक, कार्यालय उपवन संरक्षक, जयपुर ग्रासफार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड़, जयपुर।
4. सचिव पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान स्टेट वेटलेण्ड ऑथोरिटी, कमरा नं. 8236 द्वितीय तल एस० ओ० बिल्डिंग, सचिवालय जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साँभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी, कमरा नम्बर 8325 उ.प. भवन, तृतीय तल, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर।
8. जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण, जिला जयपुर।
9. जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन।
10. जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर।
11. पी.डी.सी.ओ.आर. जरिये निदेशक, पता - झालाना डूंगरी, जयपुर।

~ 2 ~

## (II) भारत संघ जरिये।

1. सचिव, सैन्ट्रल वेटलैण्ड कमेटी पता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली 110003
2. सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली 110003

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

मान्यवर जी

प्रार्थी कम्पनी की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है।

1. यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा वाद पत्र पेश किया है जिसमे प्रार्थी कम्पनी को सफलता की पूर्ण आशा है।
2. यह कि प्रार्थी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है तथा भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन व नियन्त्रण में कार्य करती आ रही है जो कम्पनी अधिनियम 1953 की धारा 617 के तहत रजिस्टर्ड सरकारी कम्पनी है जिसका मुख्य कार्यालय जी0 229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी की सहायक कम्पनी साँभर साल्ट्स लिमिटेड है, जो हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन व नियन्त्रण में साँभर झील में नमक उत्पादन व वितरण का कार्य करती है, जिसका स्थानीय कार्यालय, रावण टीबा, साँभर लेक, जिला जयपुर पिन 303604 में स्थित है। दोनों प्रार्थी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़, समूह महाप्रबन्धक (संचालन) को प्रार्थी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा अपनी बैठक संख्या 249 दिनांक 01.06.2012 के रेज्युलेशन नम्बर 249.3 के द्वारा प्रार्थी कम्पनी की ओर से उक्त वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, जबाब-उल-जबाब, वकालतनामा एवं अन्य समस्त न्यायिक कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है जो सक्षम अधिकारी है।


~ 3 ~

3. यह कि विश्व धरोहर साँभर झील नवसर्जित जयपुर ग्रामीण जिले की फुलेरा तहसील, नवसर्जित डीडवाना-कुचामन जिले की नांवा तहसील व अजमेर जिले की रूपनगढ़ (किशनगढ़) तहसील के गांवों में विस्तृत रूप से फैली हुई है तथा  $26^{\circ}, 52' 31''$  to  $27^{\circ}, 01' 57''$  N Latitude एवं  $74^{\circ}, 53' 47''$  to  $75^{\circ}, 13' 41''$  E Longitude में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्गमील से अधिक है। साँभर झील को वर्ष 1990 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर वेटलेण्ड घोषित किया जाकर जिसका वेटलैण्ड मैप भी जारी किया गया है। जिसमें साँभर झील की सीमाओं को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। वर्ष 1902-03 व 1949-50 में भी भारत सरकार के विभाग सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा ही वर्ष 1902-03 व 1949-50 में साँभर झील की सीमाओं, उसमें गिरने वाली नदियों, नालों, नमक उत्पादन क्षेत्र, रेल लाईन, नमक के क्यार, पेन, कुएं, सीमा चिन्ह, मन्दिर व अन्य संरचनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा उक्त संरचनायें आज भी मौके पर स्थित है।
4. यह कि प्रार्थी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लि० व साँभर साल्ट्स लिमिटेड भारत की आम जनता के लिये खाने योग्य उत्तम गुणवत्ता का नमक उत्पादन साँभर झील में कर उसका वितरण सम्पूर्ण भारत वर्ष में करते है। नमक उत्पादन व उससे सम्बन्धित गतिविधियों को सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये प्रार्थी के पास राजस्व ग्राम बरडोटी, कोच्या की ढाणी, साँभर, गुड़ा साल्ट, नावां में बहुतसी भूमियाँ ऑफिस, लेबर क्वार्टर, ऑफिसर क्वार्टर, बंगले, सर्किट हाऊस, ट्राजिट हाऊस इत्यादि साल्ट सोर्सेज स्थित है जिनका उपयोग, उपभोग कर प्रार्थी कम्पनी, साँभर झील में नमक उत्पादन एवं



~ 4 ~

- उससे सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करती है। साँभर झील जयपुर जिले की फुलेरा तहसील, नागौर जिले की नावां तहसील व अजमेर जिले की रूपनगढ़ (किशनगढ़) तहसील के गांवों में फैली हुई है। प्रार्थी कम्पनी की सहायक कम्पनी, साँभर साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) साँभर झील में उक्त समस्त सम्पत्तियों व साल्ट सोर्सैज का उपयोग, उपभोग कर नमक उत्पादन व उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करती है तथा उक्त समस्त सम्पत्तियों की देख-रेख करती है। सम्पूर्ण झील, उक्त समस्त साल्ट सोर्सैज व सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रार्थी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड में निहित है।
5. यह कि आजादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार (तत्कालीन भारत सरकार) द्वारा सम्पूर्ण साँभर झील को जरिये ट्रीटीज वर्ष 1869, 1870 एवं 1879 में जयपुर व जोधपुर दरबार से अधिगृहण कर नमक उत्पादन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जाने लगा, तब से साँभर झील से सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। आजादी के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के स्वामित्व, आधिपत्य की सम्पूर्ण झील एवं इससे सम्बन्धित उक्त समस्त सम्पत्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-295 के तहत भारत सरकार में उन्ही संविधाओं (ट्रीटीज) के तहत निहित हो गयी जिनसे वे पूर्व से अधिशासित थी। वर्ष 1950 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय व राज प्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के अनुसार वर्ष 1960 तक साँभर झील व समस्त साल्ट सोर्सैज, भारत सरकार को लीज पर दिया गया, जिनका उपयोग



~ 5 ~

- कर वर्ष 1960 तक भारत सरकार के साल्ट विभाग द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया गया।
6. यह कि इसी दौरान दिनांक 13/01/1959 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्णय पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने साँभर झील, डीडवाना झील (राजस्थान) एवं खाराघोड़ा (बम्बई) का साल्ट सोर्सिज का स्वामित्व व प्रबन्धन, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को हस्तान्तरण कर दिया, तब से प्रार्थी कम्पनी का साँभर झील एवं झील से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियों का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है तथा उक्त पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार ही प्रार्थी कम्पनी उक्त समस्त साल्ट सोर्सिज का उपयोग व उपभोग कर नमक उत्पादन का कार्य करती आ रही है।
7. यह कि इसी दौरान वर्ष 1950 में भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति व राजप्रमुखों के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के समाप्त होने पर भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने राष्ट्रहित को देखते हुए साँभर झील एवं समस्त साल्ट सोर्सिज से नमक उत्पादन का कार्य करने के लिए भारत सरकार के पक्ष में पूर्व से चली आ रही लीज (ट्रीटीज) को निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात् साल्ट सोर्सिज पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अदा की जाने वाली रायल्टी को समाप्त करने के लिए सोल-आर्बिट्रेटर श्री वी० टी० कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया जिन्होंने दोनों सरकारों के पक्ष को सुनने के बाद दिनांक 29-04-1961 को एक अवार्ड पारित कर साँभर झील एवं साँभर झील के समस्त साल्ट सोर्सिज को 99 वर्ष के लिए भारत सरकार को लीज पर दे दिया गया तथा इसके



~ 6 ~

बदले में भारत सरकार द्वारा रु. 5.50 लाख प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को अदा करने का निर्णय किया गया तथा इसके बदले में राज्य सरकार झील में फ्री प्लो वाटर (निर्बाध पानी) सुनिश्चित करेगी तथा रॉयल्टी को समाप्त कर उसके सम्पूर्ण कम्पनशेसन के रूप में प्रार्थी कम्पनी हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाने वाली नई सहायक कम्पनी (साँभर साल्ट लिमिटेड) के 40 प्रतिशत फ्री-पेडअप कैपिटल शेयर राजस्थान सरकार को जारी किये जायें और राजस्थान सरकार के अन्य समस्त क्लेम अस्वीकार कर दिये गयें। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा जारी अवार्ड को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार करने के पश्चात उक्त अवार्ड को दिनांक 19/08/1961 को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया गया। श्री वी. टी. कृष्णामाचारी अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन के तहत प्रार्थी कम्पनी की सहायक कम्पनी, साँभर साल्ट लिमिटेड का गठन किया गया तथा साँभर झील, झील के समस्त साल्ट सॉसेज व सम्पतियों का 5.50 लाख रुपये लीज रेन्ट प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को प्रार्थी कम्पनी द्वारा अदा किया जा रहा है। उक्त श्री वी० टी० कृष्णामाचारी अवार्ड व गजट नोटिफिकेशन 1961 आज भी प्रभावी है तथा दोनो सरकारो पर बाध्यकारी है।

8. यह कि साँभर झील वेटलैण्ड के पुराने मेप 1902-03 व 1949-50 में सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये है। उक्त दोनों मेप में साँभर झील की वास्तविक सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुये झील में बने नमक के क्यार, पेन, रिजरवायर, ऑफिस, केनाल, रेल लाईन, मन्दिर, सीमा चिन्ह, गार्ड पोस्ट, झील में गिरने वाली नदियाँ जैसे मीड़ा, रूपनगढ़, तुरतमति,



~ 7 ~

- खारी, कुचामन नांवा व छोटे मोटे अन्य जल स्रोत को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 1902-03 व 1949-50 में जारी साँभर झील के मेप को ही राज्य सरकार व भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर रामसर कन्वेंशन ब्यूरो स्वीटरजरलैंड को भेजा था जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार व अंगीकार कर वर्ष 1990-91 में साँभर झील को वेटलैण्ड घोषित कर अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड सूची सूचीबद्ध कर साँभर झील का वेटलैण्ड मेप जारी किया गया। राज्य सरकार ने साँभर झील वेटलैण्ड की सुरक्षा व संरक्षण हेतु स्टेट वेटलैण्ड अथोरिटी का गठन अप्रार्थी संख्या I (5) के अधीन तथा साँभर लेक मेनेजमेन्ट एजेन्सी का गठन अप्रार्थी संख्या I (6) के अधीन किया गया है। अप्रार्थी संख्या I (5) व (6) का कार्य क्षेत्र रामसर अभिसमय के तहत घोषित साँभर झील वेटलैण्ड की सीमाओं से एक किलोमीटर की परिधी तक तय किया गया है तथा साँभर लेक मेनेजमेन्ट एजेन्सी रूल्स एवं वेटलैण्ड रूल्स 2017 की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या I (5) व (6) पर डाला गया है।
9. यह कि वर्ष 1902-03 व 1949-50 में ही सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा मौके के अनुसार वास्तविक सीमाओं को निर्धारित करते हुए एकीकृत झील का नक्शा जारी किया गया है जो आज भी मौके पर वास्तविक स्थितियों के अनुसार सही एवं सटीक है।
10. यह कि राज्य सरकार के पास साँभर झील का अंशतः राजस्व रिकार्ड संधारित था, शेष मुख्य (बड़ा) भाग का राज्य सरकार के पास राजस्व रिकार्ड नहीं था तथा झील के कुछ भाग का राजस्व रिकॉर्ड राज मारवाड़ संवत् 1981 के समय संधारित था जो साँभर झील का अभिन्न भाग है तथा वर्ष 1990 में जारी



~ 8 ~


- वेटलेण्ड मेप की सीमाओं के भीतर स्थित है तथा उक्त भूमि ग्राम नावां में स्थित है जिसकी किस्म परमठ, समंद व खारड़े के रूप में दर्ज है। जिसके खसरा नम्बर: मि. 300, 302, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 643, 644, 645, मि. 996, 1009, 1010, कुल किता 31 कुल रकबा 9043 बीघा 10 बीस्वा है तथा ग्राम खारडीया के खसरा नम्बर 150, 152 किता 2 रकबा 295 बीघा 15 बिस्वा, ग्राम जाब्दीनगर के खसरा नम्बर 122, 118, 117, 13/1, 13, 12, 6 कुल किता 07 रकबा 923 बीघा 09 बिस्वा, ग्राम सिनोदिया जिला अजमेर के खसरा नम्बर 412 लगायत 415 कुल किता 4 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा ग्राम आऊ के खसरा नम्बर 1, 65, 112, 125, 135/1, 168, 169, 170, 176, 177, 179, 180 कुल किता 12 रकबा 1143 बीघा 01 बिस्वा है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान का कुल रकबा 11,481 बीघा 05 बिस्वा है तथा इसी प्रकार अन्य भूमि जो वेटलैण्ड मेप की सीमा के भीतर आती है, परन्तु जिसका राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, वो भी साँभर झील का अभिन्न हिस्सा है तथा साँभर झील वेटलैण्ड मेप की सीमाओं के भीतर उक्त भूमि स्थित है तथा वेटलैण्ड है। उक्त भूमि की किस्म समन्द परमठ व खारड़ा दर्ज है स्थानीय बोलचाल की भाषा में साँभर झील की भूमि में समन्द, परमठ, खारड़ा के नाम से पुकारा जाता है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि साँभर झील का अभिन्न भूमि है।
11. यह कि दिनांक 13/02/1924 को तत्कालीन असिस्टेन्ट सेटलमेंट अधिकारी, राज मारवाड़ द्वारा रजिस्ट्रर मकहमा खास,



~ 9 ~

जोधपुर को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप आदेश दिये गये है कि पत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि जो नांवा में स्थित है, साल्ट ऑथोरिटी के कब्जे में है। पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित खसरा नम्बर 812 रकबा 2508 बीघा 6 बिस्वा किस्म समन्द, खसरा नम्बर 813 रकबा 1519 बीघा किस्म समन्द, खसरा नम्बर 813/12 रकबा 582 बीघा 13 बिस्वा किस्म समन्द खसरा नम्बर 815 रकबा 694 बिस्वा 13 बिस्वा किस्म समन्द के रूप में दर्शित है जो साँभर झील कि अभिन्न भूमि है जो प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित खसरा नम्बर 302, 1009/88, 1010/622, 996 व 996/1 कि भूमि है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि साँभर झील कि भूमि है जिसे वर्ष 1902-03, 1949-50 में सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा जारी साँभर के मेप व 1990 में जारी वेटलैण्ड मेप की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि है।

12. यह कि साँभर झील का सर्वप्रथम सीमाज्ञान तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1901 में कमिश्नर नोर्थन इण्डिया साल्ट रेवेन्यू आगरा द्वारा करवाया जाकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कि गई, जिसमें साँभर झील के पुख्ता सीमा चिन्ह को दर्शाया गया है जो वर्ष 1902-03 में जारी झील के मेप से पूर्णतः मिलान (मेच) करता है। वर्ष 1901 में हुये सीमांकन के आधार पर बाउण्ड्री पिलर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किये गये है जो आज भी कई स्थानों पर मौजूद है। इन बाउण्ड्री पिलरों को वर्ष 1902-03 व 1949-50 के मेप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन बाउण्ड्री पिलरों में से कई बाउण्ड्री पिलरों को अतिक्रमणियों




~ 10 ~

- द्वारा झील की भूमि पर अतिक्रमण करने व झील से पानी (ब्राईन) चोरी करने की नियत से हटा दिये गये है।
13. यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 10 में वर्णित भूमि को प्रथम सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती व मौका स्थिति के विपरित जाकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज कर किया गया तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के उक्त भूमि की अपरिवर्तनशील किस्म समंद, परमठ व खारड़े को परिवर्तन कर दिया गया, जो कतई गैर कानूनी है। जबकि उक्त भूमि साँभर झील की अभिन्न भूमि है तथा साँभर झील के अन्दर आती है। बारीश के समय उक्त भूमि पर पानी का भराव होता है जिसका उपयोग एवं उपभोग कर प्रार्थी कम्पनी द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। उक्त भूमि में ब्रिटिश काल से ही प्रार्थी कम्पनी के नमक उत्पादन के क्यार, पेन, रिजरवायर, कैनाल, मीण्डा नदी व अन्य छोटे मोटे पानी के स्रोतों का मुआना (जहाँ से पानी झील के अन्दर आता है) ऑफिस, पुराने कुएं कम्पनी की रेल लाईन, ऑफिस व अन्य संरचनाएं बनी हुई है उक्त समस्त संरचनाओं को वर्ष 1902-03 व 1949-50 में जारी सर्वे ऑफ इण्डिया के मेप में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हैं।
14. यह कि वर्ष 1987 में भू प्रबन्ध विभाग जयपुर द्वारा साँभर झील का सीमांकन किया जाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें प्रार्थना पत्र कि मद संख्या 10 में वर्णित भूमि को मौके पर झील के कब्जे में झील ही के अन्दर आना तथा इस विभाग प्रार्थी कम्पनी का ही कब्जा होना स्वीकार किया है, इससे यह पूर्णत स्पष्ट है कि उक्त भूमि साँभर झील की अभिन्न भूमि है।



~ 11 ~

- जिसका राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है इस सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार साँभर झील का कुल रकबा 233.10 वर्ग किलोमीटर बताया गया है।
15. यह कि अप्रार्थी संख्या I के राजस्व अधिकारियों ने यह जानते हुये भी कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि साँभर झील वेटलैण्ड की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि की किस्म समंद, परमठ व खारड़ा दर्ज होने के बावजूद वेटलैण्ड व राजस्व रिकार्ड को दरकिनार कर 730 बीघा भूमि का विधि विरुद्ध तरीके से भूतपूर्व जागीरदारों को आवंटन कर दिया गया तथा अपरिवर्तनशील किस्म समन्द, परमठ, खारड़ा को गैर कानूनी रूप से परिवर्तित कर दिया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या I (7) के विभाग राजस्व ग्रुप-4 राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.8(5)राज./4/2000 जयपुर दिनांक 22/11/2002 द्वारा खुदकाशत आयुक्त व समस्त जिला कलक्टर को निर्देश दिये गये थे कि भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाशत भूमि का आवंटन किसी भी जिले में न किया जाकर नियमानुसार इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में इस प्रयोजन हेतु आरक्षित क्षेत्र में ही किया जावेगा। इसके बावजूद साँभर झील वेटलैण्ड भूमि का आवंटन खुदकाशत आयुक्त द्वारा किये गये है जो विधि के विपरित होने से प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभावहीन है। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या I (7) के विभाग के राजस्व ग्रुप-3 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.3(24) राज-3/02 जयपुर दिनांक 27/12/02 जयपुर द्वारा जिला कलक्टर नागौर को आदेशित किया गया है कि साँभर साल्ट्स के लवण क्षेत्र में भूमि आवंटित



~ 12 ~

• नहीं की जायें। यदि लवण क्षेत्र में कोई आवंटन हुआ है तो आवंटी को कब्जा नहीं दें तथा इसके पश्चात् उद्योग (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 18/10/2004 द्वारा निर्देशित किया गया कि साँभर साल्ट लिमिटेड को लीज पर दी गई भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को किया गया आवंटन रद्द किये जाने की कार्यवाही करावें। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त भूमि को साँभर झील की भूमि मानते हुए राज्य सरकार ने उक्त आवंटनों को विधि के विपरीत व गलत मानते हुये रद्द कर दिया परन्तु उक्त आदेशों की पालना अप्रार्थी संख्या 1, 7, 9, 10 द्वारा जानबूझकर नहीं की जा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप साँभर झील वेटलैण्ड में अवैध अतिक्रमण व भूमि पर कब्जे किये जा रहे हैं तथा अवैध नमक के खारड़े बनाये जा रहे हैं इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इन अतिक्रमणों को रोकने व हटाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही या आदेश नहीं दिये जा रहे हैं। जो साँभर झील वेटलैण्ड के अस्तित्व व झील के इकोलॉजिकल सिस्टम पर गम्भीर विपरित प्रभाव डाल रहे हैं तथा गैर आवंटनों को रद्द करने के पश्चात् भी उक्त भूमि का हस्तांतरण अतिक्रमणियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को किया जा रहा है तथा अप्रार्थी संख्या I (8) लगायत (10) द्वारा साँभर झील वेटलैण्ड भूमि का अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आवंटन व हस्तानान्तरण किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनोद कपूर आयोग का गठन किया गया तथा उन्होंने सिफारिश करी की साँभर झील के समस्त अतिक्रमण हटा दिये जायें तथा उनकी सिफारिश पर पुनः साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन करवाने हेतु प्रार्थी कम्पनी द्वारा कुल



~ 13 ~

- रूपये 14,09,240=00 सीमा शुल्क राज्य सरकार के विभाग भू-प्रबंधक विभाग को जमा करवाया गया परन्तु भू-प्रबंधक विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यावाही नहीं की गयी तथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जमा करवाये गये रूपये 14,09,240=00 आज भी राज्य सरकार के पास जमा है ।
16. यह कि साँभर झील में हो रहे अतिक्रमण को लेकर माननीय NGT भोपाल द्वारा राज्य सरकार को आदेशित किया गया कि साँभर झील के पुराने मेप (1902-03 व वर्ष 1949-50 में जारी मेप) को सुपरइम्पोज कर साँभर झील वेटलैण्ड की वास्तविक सीमाओं का सीमांकन किया जावे। परन्तु राज्य सरकार द्वारा साँभर झील वेटलैण्ड का वर्ष 2017 में NGT भोपाल के आदेश, सेटलमेंट ऑपरेशन, वेटलैण्ड रूल्स 2010 व 2017, वर्ष 1990 में जारी वेटलैण्ड मेप को दरकिनार करते हुए साँभर झील वेटलैण्ड में किये गये अवैध आवंटनों व अतिक्रमणों को जायज ठहराने की नियत से मनमाना व विधि के विपरीत जाकर अन्तर्राष्ट्रीय रामसर साईट साँभर झील वेटलैण्ड का सेटलमेंट ऑपरेशन किया गया तथा प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित भूमि को राजस्व रिपोर्ट में साँभर झील वेटलैण्ड से अलग कर दिया गया तथा साँभर झील के वास्तविक रकबा 24,294 हैक्टेयर से कम कर 19,552 हैक्टेयर कर दिया गया है। इस सेटलमेंट ऑपरेशन द्वारा साँभर झील के दो नये राजस्व ग्राम बनाये गये जिसमें प्रथम साँभर झील फुलेरा खसरा नम्बर 1 रकबा 8539 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन झील, दूसरा राजस्व ग्राम साँभर झील नांवा खसरा नम्बर 1 रकबा 11013 इस प्रकार दोनों खसरा नम्बर का कुल रकबा 19552 कायम किया गया इस



~ 14 ~

प्रकार कुल 4742 हैक्टेयर भूमि झील से कम कर दी गई है तथा साँभर झील नांवा एंव साँभर झील फुलेरा की भूमि में से अप्रार्थी संख्या I (8) लगायत (10) द्वारा अन्य व्यक्तियों एंव संस्थाओं को आवंटन की जा रही है। जबकि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में गैर कानूनी रूप से किये गये आवंटनों व अतिक्रमणों को जानबूझकर बचाने व नियमन करने की नियत से उक्त भूमि को साँभर झील वेटलैण्ड की भूमि से पृथक किया गया है जबकि उक्त भूमि साँभर झील वेटलैण्ड की अभिन्न भूमि है। साँभर झील एक अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड है जिसकी भूमि की किस्म लवणीय है जिसका नियमानुसार एक ही एकीकृत मेप बनाया जाकर एक ही मेप जारी किया जाना था तथा लेक में स्थित प्रार्थी कम्पनी की सम्पूर्ण संरचनाएँ जैसे - नमक के क्यार, पेन, कुंए, ऑफिस, मन्दिर, पुख्ता निशांनात, रेल लाईन इत्यादि को दर्शाना चाहिए था, परन्तु जानबूझकर उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर दो अलग-अलग मेप बनाये गये, ऐसी परिस्थिति में साँभर झील की वेटलैण्ड की भूमि व सीमाओं को लेकर गम्भीर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा अतिक्रमणियों द्वारा झील की भूमि में अतिक्रमण करने की गम्भीर सम्भावना बढ़ गई है, जो कतई न्यायोचित नहीं है।

17. यह कि अप्रार्थी सं०- I (9) व अधिनस्थ अधिकारी, तहसीलदार नांवा द्वारा वितलैण्ड रूल्स 2017, साँभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी के नियम एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार मे पारित आदेशो के विपरीत जाकर साँभर झील, नांवा के खसरा नम्बर 1 मे से नगर पालिका



~ 15 ~

मण्डल नांवा को जरिये आवंटन खसरा नम्बर 3/1 रकबा 0.4783 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 4/1 रकबा 0.9602 हैक्टेयर भूमि की आवंटित की गई है। उक्त आवंटन करने से पूर्व ना तो अप्रार्थी सं० II और ना ही प्रार्थी कम्पनी से अनुमति ली गई है और ना ही एन०ओ०सी० प्राप्त की है। ऐसी परिस्थिति मे किये गये उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है।

18. यह की माननीय NGT भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि साँभर झील का सीमांकन रामसर कन्वेंशन को अप्रार्थी संख्या I (2) के द्वारा जारी अपने पत्र संख्या F11(56)Forest/85 dated 03.06.1989 और वन एवं अप्रार्थी संख्या II (2) के पत्र संख्या J-2012/68/89-W dated 23-03-1990 के आधार पर साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन किया जावेँ इसके बावजूद राज्य सरकार प्रतिप्राथी संख्या I (1-10) द्वारा अपनी एजेंसी अप्रार्थी संख्या I (11) से साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन माननीय NGT भोपाल के आदेशों व वेटलैण्ड मेप 1990 को दरकिनार, कर अपने मनचाहे मेप से अप्रार्थी संख्या I (11) से करवाया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या I (11) द्वारा नजरी नक्शा में वर्णित साँभर झील की वास्तविक सीमाओं को छोड़कर एक नयी काली रेखा को साँभर झील की नई सीमा मानकर सीमाज्ञान कर रही है। इस नई सीमा रेखा से प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 10 में वर्णित भूमि को पूर्ण रूप से साँभर झील वेटलैण्ड से पृथक करना दर्शाया गया है इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अप्रार्थी राज्य सरकार प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित भूमि पर स्थित अवैध अतिक्रमण बौरवेल नमक के खारड़े व गैर कानूनी

(M)

~ 16 ~


आवंटनों को जानबूझकर बचा रही है ताकि भविष्य में इन अवैध आवंटनों और अवैध अतिक्रमणों को नियमन किया जा सकें नजरी नक्शे में काली रेखा द्वारा सांभर झील वेटलैण्ड का जो हिस्सा पृथक किया गया है, उस हिस्से में ब्रिटिश काल पूर्व से ही कम्पनी के नमक के क्यार, पेन, रिजरवायर, केनाल, ऑफिस मंदिर इत्यादि बने हुये है जिन्हें वर्ष 1902-03 व 1949-50 के मेप में स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या I (2, 3, 4, 5, 6) के पास वर्ष 1990 में जारी साँभर झील वेटलैण्ड का मेप मौजूद होने के बावजूद उक्त मेप को छीपाते हुए जानबूझकर गलत मेप के आधार पर सीमाज्ञान किया जा रहा है ताकि अतिक्रमणियों व रद्द किये गये आवंटनों का नियमन गैर कानूनी तरीके से किया जा सकें। जोकि सांभर झील वेटलैण्ड के प्राकृतिक स्वरूप के पूर्णतः विपरीत है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

18. यह कि अप्रार्थी संख्या I (2 लगायत 10) द्वारा संयुक्त रूप से साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन प्रार्थी कम्पनी की जानकारी में लाये बगैर मनमाने तौर पर किया जा रहा है इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या I (2 लगायत 10) के अधिनस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 09/10/2023 को झील क्षेत्र में आये और मौका मुआयना करने लगे जिस पर प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारियों ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से पुछा कि आप किस बात का मौका मुआयना कर रहे है तो उन्होनें बताया कि झील का सीमांकन किया जा रहा है तब प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारियों ने पुछा की किस मेप के आधार पर सीमांकन किया




~ 17 ~

- जा रहा है तो उन्होंने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया तब प्रार्थी कम्पनी ने एक पत्र दिनांक 11/10/2023 को अप्रार्थी संख्या I (2, 3, 4, 5, 6) तथा अप्रार्थी संख्या (II) 1 व 2 को सुचित कर निवेदन किया कि साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वेटलेण्ड मेप के आधार पर ही सीमांकन करें, परन्तु इस पत्र का उपरोक्त अप्रार्थीगण ने कोई समुचित जबाव नहीं दिया और ना ही कोई वेटलैण्ड मेप के आधार पर झील का सीमांकन किया।
20. यह कि अप्रार्थी संख्या: I (11) द्वारा दिनांक 30/10/2023 को फुलेरा तहसील के राजस्व ग्राम साँभर झील फुलेरा के खसरा नम्बर 1 की भूमि जो ग्राम झपोक से सीमा के पत्थर झील की वास्तविक सीमा से लगभग 200 से 300 मीटर झील के अन्दर लगाना प्रारंभ कर दिया जिससे झील का काफी बड़ा हिस्सा झील से पृथक हो रहा है जब प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी हुई तब अप्रार्थी संख्या I (11) के कर्मचारियों से मौके पर जाकर पूछने पर ज्ञात हुआ कि जिस मेप से वे सीमा के पत्थर लगा रहे है वह मेप वेटलैण्ड मेप वर्ष 1990 में जारी मेप के अनुसार नहीं लगा रहे हैं तब प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारियों ने अप्रार्थी संख्या I (11) के कर्मचारियों को गलत सीमा पत्थर लगाने से रोका तथा NGT भोपाल के आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुसार सीमा पत्थर लगाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या I (11) के कर्मचारियों ने बताया कि अप्रार्थी संख्या I (3) द्वारा हमें जो आदेश व मेप दिया गया है उसी के अनुसार हम साँभर झील वेटलैण्ड में सीमा के पत्थर लगा रहे हैं तब प्रार्थी कम्पनी के कर्मचारियों ने



~ 18 ~

- ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या I (11) ने कहा की हम तो राज्य सरकार के आदेशों पर कार्य कर रहे है यदि आपको कोई समस्या हैं तो राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग से वार्ता कर लें।
21. यह कि अप्रार्थी संख्या I (11) द्वारा दिनांक 30/10/2023 से ग्राम झपोक से साँभर झील में सीमा पत्थर स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ करने पर प्राथी कम्पनी द्वारा पुनः दिनांक 01/11/2023 को एक पत्र प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थी संख्या I (3 व 4) को प्रेषित कर सूचित किया गया कि साँभर झील का सीमांकन वेटलैण्ड मेप माननीय एन.जी.टी. भोपाल के आदेशो व वेटलेण्ड रूल्स 2017 के मुताबिक किया जाये इस पत्र की प्रतियाँ झील से सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई, परन्तु अप्रार्थी संख्या I (3 व 4) द्वारा उक्त पत्र पर किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही अप्रार्थी संख्या I (11) को निर्देशित किया गया कि वेटलैण्ड मेप के आधार पर ही साँभर झील का सीमांकन किया जाये यदि गलत मेप के आधार पर झील का सीमांकन करने से झील का काफी बड़ा भू-भाग झील से पृथक हो जायेगा जिसपर अतिक्रमियो द्वारा अतिक्रमण करने व उसका दुरुपयोग करने की सम्भावना बढ जायेगी। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।
22. यह कि प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या: II आवश्यक पक्षकार है तथा साँभर झील वेटलैण्ड अप्रार्थी संख्या: II के सामान्य नियन्त्रण के अधीन आती है तथा प्रार्थना पत्र में इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है अप्रार्थी संख्या: I को प्रार्थना



~ 19 ~

पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सूचना प्रेषित की गई है, परन्तु प्रार्थना पत्र अति-आवश्यक प्रकृति होने के कारण सूचना अवधि पूर्ण होने से पूर्व पेश किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

23. यह कि वाद कारण दिनांक 09/10/2023 को प्रथम बार तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण संख्या I (2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11) के अधिकारी व अधिनस्त कर्मचारी आये और बिना प्रार्थी कम्पनी को सूचित किए मौका मुआयना कर झील का सीमांकन करने को कहा तथा दिनांक 30/10/2023 को बिना प्रार्थी कम्पनी को सूचना दिए ग्राम झपोक में झील की वास्तविक सीमाओं से तरीबन 200 से 300 मीटर अन्दर बाउण्ड्री पीलर लगाने तथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 11/10/2023 एवं 01/11/2023 को अप्रार्थीगण को सूचना देने के बावजूद भी वेटलैण्ड मेप के अनुसार सीमा पत्थर नहीं लगाने से ग्राम झपोक व साँभर लेक में उत्पन्न हुआ है, जो लगातार जारी है।
24. यह कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति के तीनों ही बिन्दू प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साबित हैं।
25. यह कि कोर्ट फीस अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु 2/- रूपये पर पेश है जो पर्याप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण सं० I व उसके अधिनस्थ अधिकारियों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक साँभर झील वेटलैण्ड का सीमांकन साँभर झील वेटलैण्ड मेप वर्ष 1990 के अतिरिक्त किसी अन्य मेप से नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या I (01 लगायत 10) को पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम



~ 20 ~

साँभर झील फुलेरा के खसरा नम्बर: 01 एंव राजस्व ग्राम साँभर झील नांवा के खसरा नम्बर 01 की भूमि एंव साँभर झील की प्रार्थना पत्र के मद संख्या 10 में वर्णित भूमि के पुराने खसरा नम्बर: मि. 300, 302, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 643, 644, 645, मि. 996, 1009, 1010, कुल किता 31 कुल रकबा 9043 बीघा 10 बीस्वा है तथा नये खसरा नम्बर 1781 लगायत 1788, 1173, 1175, 1176, व 1180 लगायत 1193, 1195 एंव 1203 लगायत 1209, 1805, 1807, 1873/1188, 1874/1191, 1937/1805, 1938/1805, 1953/1805, 1941/1203, 1954/1203, 1983/1805 लगायत 1988/1805, 1790, 1797 लगायत 1803, 1174 है, जो नांवा में स्थित है तथा ग्राम खारडीया के खसरा नम्बर 150, 152 किता 2 रकबा 295 बीघा 15 बिस्वा, ग्राम जाब्दीनगर के खसरा नम्बर 122, 118, 117, 13/1, 13, 12, 6 कुल किता 07 रकबा 923 बीघा 09 बिस्वा, ग्राम सिनोदिया जिला अजमेर के खसरा नम्बर 412 लगायत 415 कुल किता 4 रकबा 75 बीघा 10 बिस्वा ग्राम आऊ के खसरा नम्बर 1, 65, 112, 125, 135/1, 168, 169, 170, 176, 177, 179, 180 कुल किता 12 रकबा 1143 बीघा 01 बिस्वा है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान का कुल रकबा 11,481 बीघा 05 बिस्वा है, का किसी भी प्रकार का आवंटन या हस्तानान्तरण किसी भी व्यक्ति, सरकारी व गैर सरकारी संस्था को नहीं करें तथा राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांक .....

प्रार्थी

~ 21 ~

न्यायालय सिविल न्यायाधीश साँभर लेक ।

मु. नं.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा  
151 जाप्ता दीवानी

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) वगै०

बनाम

राजस्थान सरकार वगै०

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

शपथ पत्र

मैं हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) पता - जी-229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302022 जरिये महेन्द्र प्रताप सिंह राठौड समूह महाप्रबन्धक (संचालन), रावण टीबा, साँभर लेक का हूँ और सशपथ बयान करता हूँ कि -

1. यह कि वाद पत्र का मद नं० 1 लगायत 25 में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है।
2. यह कि वाद पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र वाद पत्र का अभिन्न अंग मानकर साथ पढा जावे।

  
शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता आज दिनांक .....  
बमुकाम साँभर लेक सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र का मद  
नं० 1 व 2 सही व सत्य है।

  
सत्यापनकर्ता